महानगर नई दिल्ली मंगलवार 3 मार्च, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

दिल्ली में कोरोना की दस्तक, सरकार सतर्क

दिल्ली में पहला मामला सामने आया
दिल्ली निवासी इटली की यात्रा पर गया था
एक अन्य मामला तेलंगाना में सामने आया, वह दुबई यात्रा पर गया था
केरल में संक्रमित पाए गए तीनों मरीज सही, अस्पताल से घर पहुंचे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के भारत में दो और मामले सामने आए हैं। इनमें से एक मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दूसरा तेलंगाना का है। इन दोनों मामलों को मिलकर देश में अब तक पांच मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से तीन मरीज (सभी केरल के) संक्रमण से बाहर निकलकर वापस अपने घर पहुंच गए हैं।

हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दो और मामले सामने आए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को यह जानकारी दी। वहीं, जयपुर आए एक इतालवी पर्यटक के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अभी इस पर्यटक बाकी पेज 8 पर के

जापान के तोक्यो में एक ट्रेन में मास्क पहने यात्री

कोरोना वायरस से बचाव के तरीके

लोगों से दूरी बनाकर मिलें, हाथों को दिन में कई बार धोएं
मुंह और आंखों को हाथों से बार-बार न छूएं
खांसते या छींकते समय रूमाल आदि का उपयोग करें
बुखार, गला खराब या सांस लेने में दिक्कत है तो चिकित्सक की सलाह लें
सही जगह से जानकारी लें और लोगों को सही जानकारी दें, अफवाहों से बचें

यूरोपीय संघ ने खतरे को 'मध्यम' से 'उच्च' किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

यूरोपीय संघ रोग नियंत्रण (ईसीडीसी) एजंसी ने कोरोना वायरस के खतरे को 'मध्यम' से बढ़ाकर 'उच्च' श्रेणी का कर दिया है। ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे पहले वायरस के प्रकोप से फ्रांस, थाईलैंड, चीन बाकी पेज 8 पर

जयपुर के मामले को पुणे प्रयोगशाला भेजा गया

जयपुर में इटली के एक पर्यटक के कोरोना से संक्रमित होने के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस व्यक्ति का नमूना जांच के लिए पुणे प्रयोगशाला भेजा गया है। अभी इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं है। यह व्यक्ति इटली से 29 फरवरी को जयपुर आया था।

सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार : प्रधानमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि वे सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'इस रविवार (8 मार्च) को मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा।'

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल @narendramodi से इसकी जानकारी बाकी पेज 8 पर

05 करोड़ 33 लाख 70 हजार से ज्यादा फॉलोअर हैं ट्विटर पर प्रधानमंत्री के। जबकि वे खुद 2373 लोगों को फॉलो करते हैं। ट्विटर पर सितंबर 2019 में वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी हस्ती बन गए, जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं।

04 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लाइक हैं फेसबुक पर उनके पेज पर। यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मोदी के 45 लाख फॉलोअर हैं।

03 करोड़ 52 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर।

वायरल हुआ प्रधानमंत्री का ट्वीट, लोगों ने कहा 'नो सर'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार करने से जुड़ा ट्वीट आने के कुछ ही देर के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों ने उनसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ने का अनुरोध किया और इस दौरान माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर 'नो सर' ट्रेंड कर रहा था। करीब एक घंटे में उनका ट्वीट 26,000 बार रीट्वीट किया गया और इस दौरान लगभग हर सेकेंड लोग इस पर कमेंट कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में ट्विटर पर 'नो सर' ट्रेंड करने लगा और लोग प्रधानमंत्री के इस विचार पर कहीं चौंकते तो कहीं भ्रम में दिखे। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों ने उनसे सोशल मीडिया नहीं छोड़ने का अनुरोध किया।

दिल्ली हिंसा : संसद के दोनों सदनों में ठीक से नहीं हुआ कामकाज

लोकसभा में धक्कामुक्की राज्यसभा में भी हंगामा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

दिल्ली में हुए दंगों को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी सदस्यों के हंगामे, नारेबाजी और धक्कामुक्की के मद्देनजर लोकसभा कामकाज नहीं हो पाया। राज्यसभा भी हंगामे के कारण कामकाज नहीं हो पाया। लोकसभा में विपक्षी सदस्य गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही दो-दो बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने एलान किया कि दिल्ली दंगों को लेकर उसका विरोध आगे भी जारी रहेगा।

लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री शाह के इस्तीफा की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस व भाजपा सदस्यों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार को सदन बाकी पेज 8 पर

लोकसभा में सोमवार को बजट सत्र में बोलते हुए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी।

कांग्रेस सांसद राम्या का भाजपा की जसकौर पर मारपीट का आरोप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लोकसभा में हंगामे के दौरान केरल से कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास ने भाजपा सांसद जसकौर मीणा पर मारपीट का आरोप लगाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई।

लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि कांग्रेस सांसद पर हाथ उठाया गया। दूसरी तरफ भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने आरोपों को झूठा करार दिया। दूसरी ओर इस मामले में केंद्रीय बाकी पेज 8 पर

तालिबान ने खत्म किया संघर्षविराम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

तालिबान ने सोमवार को कहा कि वह आंशिक संघर्षविराम खत्म करने के साथ ही अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ आक्रामक अभियान फिर शुरू करने जा रहा है। इस आंशिक संघर्षविराम की घोषणा तालिबानी चरमपंथियों और वाशिंगटन के बीच समझौते पर दस्तखत होने से पहले की गई थी। जिस तरह से तालिबान ने आंशिक संघर्षविराम खत्म करने की बात कही है, उससे अफगानिस्तान शांति समझौते को झटका लग सकता है।

कहा, अफगान बलों के खिलाफ फिर शुरू करेंगे अभियान

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, 'हिंसा में कटौती - अब खत्म हो गई है और हमारा अभियान सामान्य रूप से जारी रहेगा। समझौते (अमेरिका-तालिबान) के मुताबिक, हमारे मुजाहिदीन विदेशी बलों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन काबुल के प्रशासन वाले बलों के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा।'

अमेरिका और तालिबान के बीच शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी विदेश मंत्र माइक पोम्पियो ने कहा था कि तालिबान के साथ हमारा समझौता कारगर साबित होगा और तालिबान पूरी तरह शांति बहाली रखने की दिशा में काम करेगा। हालांकि, इस समझौते के अगले ही दिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अमेरिका-तालिबान बाकी पेज 8 पर

नफरती बोल : याचिका पर कल सुनवाई

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा को कथित तौर पर भड़काने वाले नफरती भाषणों के लिए नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली एक याचिका पर चार मार्च को सुनवाई करने का सोमवार को निर्णय किया।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ दंगा पीड़ितों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हुई।

दंगा पीड़ितों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने इस याचिका का उल्लेख तत्काल सुनवाई के लिए किया था।

गोंजाल्विस ने कहा कि हाल में हुई हिंसा के कारण लोगों के मरने की खबर आनी बदस्तूर जारी रहने के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी है।

अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

वृहद पीठ में नहीं सुनी जाएंगी याचिकाएं

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधितर प्रावधान खत्म करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपने से इनकार कर दिया।

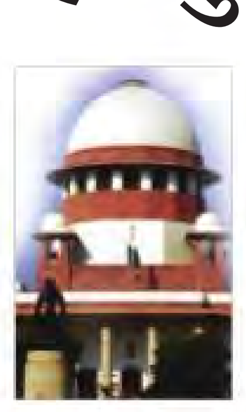

न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले को वृहद पीठ को सौंपने की कोई वजह नहीं है।

न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस मामले को वृहद पीठ को सौंपने की कोई वजह नहीं है।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत शामिल है। गैर सरकारी संगठन पीपुल्स बाकी पेज 8 पर

पीठ सुनवाई से हुआ अलग

चिन्मयानंद मामला

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के एक पीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर दिया।

चिन्मयानंद के खिलाफ कानून की एक छात्रा ने बलात्कार बाकी पेज 8 पर

यूएन ने भारत से इजराइल-फिलिस्तीन में मध्यस्थता को कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

लंबे समय से चले आ रहे इजराइल- फिलिस्तीन संघर्ष के स्थायी शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को भारत से मध्यस्थता को कहा। दो दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंची संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति के सदस्यों ने विदेश बाकी पेज 8 पर

रविवार शाम को दंगे की अफवाह ने उड़ा दी थी पुलिस की नींद **अफवाह के दौरान** फोन करके लोग लगातार करते रहे मदद की फरियाद

18 सौ से ज्यादा बार घनघनाया दिल्ली पुलिस का फोन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 मार्च।

रविवार को दिल्ली में दंगे की अफवाह ने पुलिस की नींद उड़ा दी। आनन-फानन में आला अधिकारियों की निगरानी में फ्लैग मार्च शुरू हुआ और देर रात तक पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को अलग-अलग जिलों से 1880 फोन कॉल आए।

दिल्ली पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। दक्षिणी जिले में दो मामले संबंधित धाराओं में दर्ज किए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि दिल्ली में स्थिति शांतिपूर्ण है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की नजर है। राजधानी दिल्ली में रविवार शाम को अचानक हिंसा को लेकर अफवाह फैलने लगी थी। इस दौरान हिंसा की खबरों को झूठा करार देते दिल्ली पुलिस शांति-सद्भाव के लिए कई वैकल्पिक कोशिशों में जुटी रही। पुलिस ने रविवार रात और सोमवार को अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। पुलिस ने अमन विहार से विकास, पुनीत और शिवम नामक तीन युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें दो को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

सोमवार को दिल्ली पुलिस ने अफवाहों के दौरान मदद की गुहार के लिए अए फोन कॉल की जिलेवार बाकी पेज 8 पर

सोमवार को उत्तरपूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में ड्रोन से निगरानी करता एक पुलिसकर्मी।

दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने सोमवार रात को सोशल मीडिया पर दंगा भड़काने जैसे अफवाह फैलाने वाले 24 साल के अभिषेक शुक्ला नामके युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर उसके 10 हजार फालोवर हैं। उसके मोबाइल फोन से इस अफवाह की सत्यता प्रमाणित हो चुकी है।

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,hitherto known as Nisha daughter of Jessa Ram and wife of Dinesh Kumar residing at 348-A,Ramesh Nagar, Sarkari School,Panipat, Haryana-132103,occupation Private Job have changed my name and shall hereafter be known as Madhu. 0040534204-9

I,Sushil Chander Gupta S/o Jagdish Chander Gupta R/o-B-38,Sector-39,Noida, Gautam Buddha Nagar,U.P.-201301, have Changed my name to Sushil Gupta for all purpose. 0040534204-3

I, Ravinder Singh Rawat, S/O Mr. Bhagwan Singh Rawat, R/o H.No. 378, 1st Floor, I.P. Society, Sector-30/33, Faridabad, Haryana have changed my name to Ravindra Rawat 0070701104-1

I,Sushama Jayan, spouse of No.15680077X Hav. Jayan C.A R/o-M-97/11, Vasant Range Colony,Shankar Vihar,New. Delhi-110010,have changed my name from Sushama Jayan to Sushama S, vide Affidavit dated-29/02/2020, Affidavit No.IN-DL29582461502384S 0040534158-2

I,Sunita W/o Ram Niwas R/o-989, Sector-37,Noida,(U.P.), have changed my name from Sunita to Sunita Bhardwaj for all future purposes. 0040534204-1

I,Shashikant Prabhakarrao Shirapurakar S/o Prabhakar Shirpurkar R/O-H.No240A, UF-2,Sector-4,Vaishali, Ghaziabad,U.P.-201010,have changed my name to Shashikant Prabhakar Shirapurakar. 0040534204-7

I,Sangeeta,W/O-Shri Ram Kumar,R/O-H.No C-12, New Gautam Colony,Narela,Delhi-110040,my husband name wrongly mention in my voter I,card Raj kumar instead of Ram Kumar. 0040534204-6

I,Parsotam Das Garg,S/o Murari Lal,R/o-H-2/3,near Friday Bazar,Sec-16,Rohini, Delhi-110089 have changed name Purshotam Das Garg 0040534204-5

I,Anjani Prasad Singh S/o. Anandi Singh R/o.Vill-Marchoi, Post-Marchoi,Thana-Satgawan,Marchoi, Koderma, Jharkhand-825132, Have Changed my Name to Anjani Kumar Singh for all purpose. 0040534204-2

I,Amit Khan S/o Munsif Ali R/o-H.no.138,Jatt Chopal, Village-Bakkarwala,West.Delhi-110041.,my Father name wrongly mentioned in my service Records,as Munsaf Ali. I,Confirm & affrim that his actual & correct name is Munsif Ali. 0040534204-4

I, Vinod Kumar Panwar S/o Sh.Hoshiar Singh R/o H.No.29, Ber Sarai, South West Delhi, Delhi-110016 have changed the name of my minor daughter from Nandini to Nandini Panwar for all purposes. 0040534147-1

I, Tapan S/o Shiv Kumar Chauhan R/o-C-90B, West Vinod Nagar, Shakarpur, Delhi-110092. have changed my name to Tapan Chauhan. 0040534201-5

I, Simrin Malhotra@ Simrin Arya, W/o Sh. Manu Arya, R/o N-181, Panchsheel Park, New Delhi-110017 have changed my name to Simrin Arya post marriage for all purposes. 0040534144-1

I, Shiv Kumar S/o Ram Singh Chauhan R/o-C-90B, West Vinod-Nagar, Shakarpur, Delhi-110092. have changed my name to Shiv Kumar Chauhan. 0040534201-6

I, Seema W/o Late Anil Kumar R/o-103, 2nd-Floor, PKT-26,Sector-24, Rohini, Delhi-110085,changed my minor son's name from Shubham to Veer Singh. 0040534195-2

I, Sarita Kumari W/o Rajeev Kumar R/o 92-S, Sector-8, SFS Flats Jasola Vihar Delhi-110025 have changed my name to Sarita Rai for all purposes. 0040534161-1

I, Sarika Sharad Bhasin w/o Sharad Bhasin r/o L-111, Kirti Nagar, Delhi-110015 have changed my name to SARIKA BHASIN. 0040534187-1

I, Sanjay S/O Hari Chand R/O-A-36, Galino.3, Indra Nagar, Adarsh Nagar, Delhi-110033. Have Changed My Name To Sanjay Makhija. 0040534189-8

I, Rajesh Kumar s/o Budh Ram Sharma r/o WZ-14E,Sant Garh,Tilak Nagar, Delhi-110018 have changed my name to Rajesh Kumar Sharma permanently. 0040534165-1

I Ambika Sharma W/O Pradeep Kumar Sharma R/O-4-G Kamla Nagar Jawaharnagar Delhi-110007 Have Changed My Name To Paramespari Sharma. 0040534195-3

I Abdul Hamid S/O Abdul Mannan R/O-51, M-Block, Gali NO-2,Sunder Nagri, Delhi-110093 Have Changed my Name to Abdul Hameed. 0040534189-7

I K Romesh Singh S/O Gopal Add-Imphal East Manipur-795005, Changed My Name To Keithellakpam Romesh Singh 0040534208-7

व्यक्तिगत

I, Rajat Sharma S/o Sh.M.P.Kathwan R/o:49-B, 1st-Floor, Mohmmadpur R.K.Puram New Delhi-110066, Have Changed My Name To Aman Kathwan, For All Future Purposes. 0040534195-10

I, Vikas Chopra S/o Devi Parkash R/o 300, GH-13 Paschim Vihar Delhi-110087, have changed my name to Vikas Kumar Permanently. 0040534146-2

I, Pravesh Kumar S/o Tara Chand Sharma R/o-1/10330, B-2, Street No.1, Near-Durga-Mandir, West/Gorakh-Park, Shahdara, Delhi-110032. changed my name to Pravesh Sharma. 0040534201-4

I, Prashant Singh S/o Late Shiva Pujan Singh R/o-A-34/383, 2nd Floor, Ganesh Nagar-2 Delhi-110092,have changed the name of my minor daughter Aanchal Raj Nandini Age-10Years and she shall hereafter be known as Aanchal Singh 0040534186-3

I, Nirmala Kolazhy Narayanan W/o Parvesh Bagri R/o H.no-453, 1st floor,Orchid Island Appt, Sector-51 Gurgaon-122018 Have Changed my name to Nirmala Narayanan. 0070701116-1

I, Neeraj S/o Ved Prakash R/o-B-14 Kirti Nagar New Delhi-110015 have changed my name to Neeraj Arora for all purpose. 0040534219-5

I, Nalband Raziyabegum Babumiya D/o badruddin Nalband W/o Mohammed Iqbal Mulla R/o D-318, Dawat Nagar, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, N.Delhi-110025 have changed my name to Atiya Parveen for all purposes. 0040534153-1

I, Najeeb Ahmad Siddiqui S/o Late Mohammad Nafees R/o B-16, 1st Floor, Mujeeb Bagh, Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, South Delhi, Delhi-110025 informs that my father Late Mohammad Nafees is also known as MO. Nafees. Both names are of one & the same person. 0040534147-2

I, Munney Hassan S/o Jamaluddin R/o-R-3A2/66-67, Mohan Garden, Uttam Nagar, N.Delhi-110059. have changed my name to Rifakat Hussain. 0040534201-3

I, Munna Devi W/o Sudhir R/o-RZF-222/28, Gali-31D,Sadh-Nagar,Palam Colony, New Delhi-110045,have changed my name from Munna Devi to Roseleena,for future purposes. 0040534208-1

I, Mohammad Zakki S/o Noor Mohammad H.No.6681, Gali No-04, Kothi Mem Bara-Hindu-Rao, Delhi-110006. have changed my name to Mohammad Zaki. 0040534201-2

I, Mithlesh Kumar S/o-Ram Brishk Sharma R/o-A-38, A-Block, Chander-Vihar, Mandawali, Delhi-110092. have changed my name to Mithlesh Kumar Sharma. 0040534201-1

I, Manu Kamboj S/O Vijay Kamboj Residing At-H.No-814, Sector-16, Karnal Haryana-132001. Have Changed The Name Of My Minor Son Avi Kamboj Aged 11-Years And He Shall Hereafter Be Known As Arnav Kamboj. 0040534195-9

I, Khasti Dosad W/o Harish Chandra Singh, Address-15, Safdarjung Road, New Delhi, have changed my Name to Khasti Gariya, permanently. 0040534189-1

I, Kapil Dev Singh S/o Nirdosh Kumar R/o-H.No.27 Block-CP, Ground Floor, Pitampura Delhi-34. changed my name to Kapil Singh permanently. 0040534189-4

I, Jatinder Kaur D/o Krishan Kumar and W/o Shubjit Singh R/o House No-81-82 A, Baba Deep Singh Avenue, Ram Tirath Road, Amritsar, Punjab-143105, that name of mine has been wrongly written as Neelam Rani in my Passport B1833924. The actual name of mine is Jatinder Kaur 0070701097-1

I, Ikram S/o Irsad R/o N-118/436, WazirPur Village, Ashok vihar phase-1, Delhi-110052, have changed name Mohammad Ikram 0040534219-1

I Anju Rani W/O Raj Kishore Panwar H-No-5-J/1 Shahpur Jat Delhi 110049, changed my name to Anju Panwar. 0040534201-8

I, Girish S/o Sushil Kumar R/o-E-16/1094, Block-E-16, Bapa-Nagar, KarolBagh, Delhi 110005, have changed my name to Girish Kumar. 0040534189-3

I, Dhananjay Kumar Shrivastav S/o Vishwajeet Narayan Shrivastav R/o-Flat.802 Block-B1B, Pocket-1 DDA MIG-Flat, Sector-18B Dwarka Delhi-110078,have changed my name to Dhananjay Kumar Srivastava permanently. 0040534146-1

I, Devani Devi W/o-Budh Singh R/o-House.No.-J-69, Gali-5, ShivMandir Marg, Raj-Nagar-1,Palam-Colony,New Delhi-110077,have changed,my name,from Devani Devi to Jesi Devi,for future purposes. 0040534208-2

I Anoop Kishore Alias Anoop Kishore Bhatnagar S/o Prem Ballabh Kishore R/o Flat No-121, Pradasir Apartment, Plot No-1, Sector-9, Dwarka, Delhi-110077, have changed my name to Anoop Kishore Bhatnagar 0070701096-1

I, Babita W/O Heera Singh R/O.H.No-A/77 Zamrudpur Gk Van Greater-Kailash South/Delhi-110048. Have Changed My Name To Pavitra Thapa, For All Future Purposes. 0040534208-8

I, Babita Rani W/o Vanish Kumar R/o Vill-Ladpura, Post-Mayacha,Gautam Budh Nagar UP-201306 Have Changed my name to Neha. 0070701112-1

I, Avinash Kumar Arora S/O Mohan Lal R/O-103, Chander-Lok, Pitampura, Delhi Changed Name To Avinash Arora. 0040534189-5

I, Aleykutty T.J. D/O Joseph Thottunkal R/O-Holy Child Auxilium School, R.K.Puram, Sector-12, N.Delhi-110022 Have Changed My Name To Aleykutty Joseph. 0040534208-3

I, Akash Sharma S/o-Pawan Sharma, R/o-1733, Block-B, Ashram-Wali-Gali, Shastri-Nagar, Delhi-52.inform that my name has been wrongly-written,in my educational-documents,as Aakash Sharma instead of Akash Sharma. 0040534195-1

I, Akash Baal S/o Satish R/o-L-208, Dakshinpuri, New Delhi.have changed my name from Akash Baal to Akash Bal,for all purposes. 0040534195-5

I hitherto known as Avlokit Kaushik D/o Bal Raj Verma Residing at H.No.1847, Sector-23, HUDA, Gurugram, Haryana-122001. have changed my name and shall hereafter be known as Aashvi Verma. 0040534195-7

I Vandana W/O Pratab Kumar Das H.NO-520, Gali No-2, Lado-Sarai, Mehrauli, N.Delhi-110030 Have Changed my Name to Vandana Das. 0040534208-4

I Susheel Kumar Singh S/o Mohan Singh R/o-G-5/2 Mahavir Vihar Colony Kanjhawala Delhi-110081, Changed My Name To Sushil Singh. 0040534208-6

I Satya Pal Singh/Satya Paul Bhola S/O Sohan Singh R/O-807, Ground-Floor, Mukherjee Nagar Delhi-110009. Have Changed My Name To Satyapal Singh Bhola. 0040534195-6

I Satnam S/O Baljeet H No Vill Sherpur Dhadar P.O Bhaskola Distt Faridabad 121002. changed my name to Satnam Singh. 0040534201-9

I Sarita Pal Kumari W/O, Sunil Bam R/o D-401, Ranjit Vihar-2, Plot No-16, Sector-23, Dwarka, New Delhi-110077 have changed my name to Sarita Bam for all purposes. 0040534196-1

I Rehema Begam W/O Abdul Karim Kasmi R/O- C-6/40 Bhalaswa J.J.Colony Delhi-110042 Have Changed My Name To Rahima Begam. 0040534195-4

I Rajia Khatoon D/o Imtiaz Khan and W/o Md Shamshad Khan R/o HT-A/12, DTPS Mayabazar, Durgapur, Paschim Bardhaman, WB-713207, have changed my name to Ishrat Khatoon 0070701094-1

I Priya D/o Jagan Nath Chugh and W/o Gagan Sachdeva R/o C-1/9, Phase-1, Budh Vihar, Delhi-110086, have changed my name to Sanjana for all purposes 0070701098-1

I, Balraj Tomar S/o Chauhal Singh R/o-2/29, FF-2, Sector-9, Judge-Colony, Vaishali, Ghaziabad have changed my name to Balraj Singh Tomar. 0040534195-8

I Parveen Kumari W/o Ravi Kumar Mahajan R/o House No-171, Ward No-12, Mistrian Mohalla, PO Sujanpur, Tehsil Pathankot, Gurdaspur, Punjab-145023, have changed my name to Parveen Mahajan 0070701102-1

I P.K. Kalbhor S/o Sukhdev Kalbhor R/o 13, Shivlok Phase-4, Khajuri Kalan Road, Piplani, Huzur, Bhel, Bhopal, MP-462022, have changed my name to Pankaj Kumar Kalbhor 0070701095-1

I Omkarnath Darbarilal Karada S/O Darbarilal R/O-K-3/19, Iind-Floor, Dlf-Pahse-2, Gurgaon Haryana-122002. Have Changed My Name To Omkar Kalra. 0040534189-10

I Naresh parashar S/O Rajeshwar Dayal R/O-Hno.D-6 engineer-park housing society sector omega-1, kasana, Gautam-buddha nagar-up-201310. Change my name to Naresh kumar sharma. 0040534189-2

I Mohamad Asraf S/O Mohamad Ajmeri R/o-C-182 J.J.Colony Wazirpur Ashok Vihar Delhi-110052, changed my name to Mohamad Ashraf. 0040534201-7

I Md Raaj S/o Md Tullu Husain R/o Ward 06, Panchayat Purvi Karimullapur, Village Paharpur Post PaniKamla Thana, Amdabad, Kaithar, Bihar-854112, have changed my name to Raza Ali Shekh 0070701093-1

I, Rajendra Kumar S/O, Ram Asre R/o H.no.26/g-1, Uttranchal Colony, Kamal Pur, Burari, Delhi-110084 have changed my name to Rajender Kumar for all purposes. 0040534171-1

I,Yogesh Solanki,father of Zidane Ali Solanki / Zidane Solanki,R/o.A-100,Shakti Apartment,Sector-9,Rohini,Delhi-110085,have changed my son's name to KABIR SOLANKI. 0040534162-1

व्यक्तिगत

I Manju Choudhary Alias Manju Multani Alias Manju Arora D/o Netra Pal and W/o Tarun Arora R/o House No-10, Devi Murti Colony, Panipat, Haryana-132103, have changed my name to Manju Arora 0070701092-1

I Hitherto known as Jamil Ahmad Siddiqi, Jameel Ahmad, Jameel Ahmed alias Jamil Ahmed S/o Hafiz Abdul Jabbar R/o-A-8 New Jafrabad, DDA Colony Delhi-32, have changed my name and shall hereafter be known as Jamil Ahmed. 0040534186-4

I Hitherto known as Deepika Gautam alias Deepika Dixit D/o R.K.Sharma W/o Kashish Dixit Residing at L-301, Anupam Apartmen, East Arjun Nagar Delhi-110032, have changed my name & shall hereafter be known as Deepika Dixit 0040534186-1

I Hitherto known as Bharatveer alias Bharatveer Singh S/o Mahaveer Singh R/o-H.No.-9-A Top Floor,Gali No.2, East Guru Angad Nagar Delhi-110092, have changed my name & shall hereafter be known as Bharatveer Singh 0040534186-2

I Harjeet Singh Gopi S/O Vajeer Singh H-No-F-1/4, Poorvi Marg Vasant Vihar-1, Delhi 110057. changed my name to Harjeet Singh. 0040534201-10

I Deepak S/O, Chandu Ram Motwani R/o C-9/54, 3rd Floor, Sector-5, Rohini have changed my name to Deepak Motwani for all purposes. 0040534180-1

I Chandu Ram S/O, Kallu Ram Motwani R/o C-9/54, 3rd Floor, Sector-5, Rohini have changed my name to Chandu Ram Motwani for all purposes. 0040534185-1

I Balwinder Kaur W/O Balwinder Singh R/O-Kh.No.610 Nehru-Enclave, Near Mini Stadium Alipur Delhi-36 Changed My Name To Maninder Kaur. 0040534208-5

I Babu Prasad Rout S/O Late.Shukal Raut R/O-D2-481, Shiv-Durga-Vihar, Lakkarpur, Faridabad, Haryana-121009. Have Changed My Name To Babu Prasad Raut. 0040534189-9

I Apeksha Vaish D/o Ram Narain Vaish R/o H-748A, Palam Vihar, Choma (62), Gurgaon, Haryna-122017, have changed my name to Apekshha Vaish 0070701099-1

I Anita Sharma D/O Naren Singh Biswa R/O-T-A/5, Islam Colony, Mehrauli, Delhi-110030 Have Changed my Name to Anjali Biswa. 0040534189-6

I, Sumit Moreshwar Joshi S/o Late Moreshwar Narayan Joshi R/o D-1202, R. G. Residency, Sector-120, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) inform that in my daughter's (Amruta Joshi, dob 28.10.2010) passport no. M0207078 my name is wrongly written as Sumit Joshi instead of Sumit Moreshwar Joshi. 0040534237-1

I, Sumit Moreshwar Joshi S/o Late Moreshwar Narayan Joshi R/o D-1202, R. G. Residency, Sector-120, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) inform that in my daughter's (Amruta Joshi, dob 28.10.2010) passport no. M0207078 dob 28.10.2010 my minor daughter's name is wrongly written as Amruta instead of Amruta Joshi. 0040534237-2

I, Asawari Sumit Joshi W/o Sumit Moreshwar Joshi R/o D-1202, R. G. Residency, Sector-120, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) inform that in my daughter's (Amruta Joshi, dob 28.10.2010) passport no. M0207078 dob 28.10.2010 my name is wrongly written as Asawari Joshi instead of Asawari Sumit Joshi. 0040534237-3

Change of Name

I, Supriya Jaiswal D/o Virendra Kumar Jaiswal, R/o 1179, Lucknow Road, P.S.-Gabhariya, Sultanpur -228001, Uttar Pradesh, have changed my name from Supriya Jaiswal to Sofia Fatima, for all purposes.

Change of Religion

I, Supriya Jaiswal D/o Virendra Kumar Jaiswal, R/o 1179, Lucknow Road, P.S. -Gabhariya, Sultanpur-228001,Uttar Pradesh, have changed my religion from Hindu to Islam (Muslim) w.e.f.-11.3.2015, for all purposes.

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT VIJAY KUMAR ANEJA S/O LATE LAKSHMAN DASS, R/O B-3/98, 1ST FLOOR, SECTOR-16, ROHINI, DELHI-110089 HAVE SEVERED ALL HIS RELATIONS & DISOWNED HIS SON ANKIT ANEJA & HIS WIFE FROM ALL MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES DUE TO THEIR MISCONDUCT. MY CLIENT SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ACTS IN FUTURE.

ANIL KUMAR NARANG (Advocate) Ch. No. 1311, Rohini Courts, Delhi-85

खोया+पाया

I, Vikash Kumar singh S/o Sanjay kumar singh R/o-A-824 st.no-17 Indira Marg mandawali Delhi have lost my original/certificate class-10th year 2017 Rollno-8153798 CBSE-Delhi. 0040534208-10

I, Manju D/o Late Ramrakha R/o H.No.297 Gagan Vihar Delhi have lost my original certificate class-10th, Year-1981, Rollno-040735 C.B.S.E, Delhi. 0040534219-2

I, Sanjay Kumar, S/o-Giri Raj Prashad, R/o-H.No.-434, sector-22A,Gurgaon opposite-Rotary Public-School Gurgaon-122015,have lost my secondary Marksheet and-certificate Previous roll no.420382,year-1987.New Roll.no.496104, Passing year-1988. 0040534219-4

I, Kiran Rawat D/o Govind Singh Rawat R/o A-12, Nehru Gali, Mandawali, Fazalpur, Delhi have lost my Original Certificates of Class-10th, Year 1996, Class-12th, Year 1998, issued by CBSE. Graduation Year 2010, issued by Sikkim University and Property Papers of Dhaunary, Kashipur, Uttarakhand. Finder please contact above address. Telephone: 9818475772. 0040534149-1

LOST & FOUND

I. Mrs Nisha Gandhi w/o Wg Cdr Chandra Mohan Gandhi r/o B-33 Apoorva Apartment Plot 14 Sector 5 Dwarka New Delhi 75 declare that share certificate no. 321 issued by Apoorva CGHA Ltd. in the name of Wg Cdr Chandra Mohan Gandhi and Nisha Gandhi has been lost /misplaced. Anybody in possession of the same may please return at the above address.

LOST AND FOUND

To be known to all that my client, Mr. Subhash Chand Aggarwal S/o (Late) Sh. Ram Kumar Aggarwal R/o C-11, Surya Nagar, Chander Nagar, Ghaziabad, U.P.-201011 has been lost original DDA documents i.e. Allotment-cum-demand letter, Possession Letter, Site possession slip and completion certificate etc for Plot No. 40 in Block-B, Jhilmil Tahirpur Indl. Area, G.T. Road (Shahdara), Delhi-110095 which is in the name of M/s Hind Metal Works, which was issued by the DDA vide file No. F-6A (46)66/LAB (Indl.), An FIR to this effect has been lodged with Station House Officer, Crime Branch, New Delhi vide LR No. 1374389/ 2019, dt. 09-08-2019.

Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contract with the above named person at above Address/ Mobile No. 9910844888 within 30 days from the date of publication of the same. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to DDA's Deputy Director, L.A.B. (Industrial) Branch, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023.

Sd/-
(NEERAJ KUMAR BHAGAT) ADVOCATE
Enrl. No. D/2055/2007

PUBLIC NOTICE

Notified to the general Public at large that my clients 1. Shri Rajiv Kamra MOBILE NO. 9899887171 and 2. Naveen Kamra MOBILE NO. 7838894766 Sons of Late Shri Sugriv Kishan Kamra, both R/o House No. 1701, Outram Lines, Kingsway Camp, Delhi-110009 have entered into an Agreement to sell and are Purchasing TWO SHOPS BEARING MUNICIPAL NO. 5626-B AND 5626-C ON GROUND FLOOR AND MEZZANINE FLOOR AREA MEASURING 4.12 SQ. MTRS. EACH FLOOR WITHOUT ROOF/TERRACE RIGHTS, SITUATED AT WARD NO. XIII, GANDHI MARKET, SADAR BAZAR, DELHI-110006 from MOHD. SHAMIM Son of Late Sheikh Mohd. Yunas, R/o H.No. 5444, Kucha Rehman, Chandni Chowk, Delhi-110006.

Any person having any Objections or having any title, claims documents etc. for the said property may contact the undersigned as well as my clients on their Mobile Phones with the documents if any within 3 (three) days from the date of Publication of this notice and after expiry of said notice period, it will be presumed that there is no claims or any rights by any person and after expiry of said period, no person shall have any rights to claim object or challenge the Sale Deed to be executed by Seller in favour of my clients.

ROSHAN LAL (Advocate)
Seat No. 12, Near Treasury Gate, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

It is for the general public information that my clientess Late W/o Sh. Sanjay Otwal R/o G-4, Double Storey, Motia Khan , Paharganj, Delhi-110055, has debarred, disown and break down all the relationship from her son namely Arjun & his wife Chandni and another legal/illegal wife, from her all moveable and immovable properties either self acquired or ancestral situated all over India due to their misconduct, disobedience and misbehavior attitude. My clientess will not be responsible in future for their acts which was done by her.

V.P. Tripathi, Advocate
Ch. No. 73, Patiala House Courts, New Delhi-110001
M: 9999104749

अदालती सूचना

NOTICE UNDER SECTION 11 OF ACT NO. VIII OF 1890 OF GUARDIAN & WARDS ACT
IN THE COURT OF SH. GIRISH KATHPALIA DISTRICT & SESSIONS JUDGE (HQs.) DELHI
ROOM NO.301, IIIRD FLOOR, TIS HAZARI COURTS, DELHI-54
GUARDIANSHIP CASE NO. 02/2020
Smt. Preeti Gupta W/o Pawan Kumar, 1, Under Hill Road, Civil Lines, Delhi-110054
Versus
State Through Collector & others

The petitioner(s) above named having applied to be appointed the guardian of the person and property of minor(s) Master Vardan Agarwal, Born on 06-05-2010 son of Late Sh. Sanjay Agarwal & Smt. Sapna Agarwal. The 03 day of April 2020 has been fixed for hearing of the application and notice is hereby given to general public that if any other relatives/friends, Kinsman or well wisher of the aforesaid minor/ or desire to adopt, be appointed declare as guardian of the person and property of the said minor/ Lunancy or desire to oppose the application of the petitioner aforesaid, he/she should enter appearance in persons in this court on the aforesaid date and be prepared to adduce on that day and documentary or oral evidence which he/she may desire to adduce in support of his/her claim to such adoption, appointment or declaration of in support his/her opposition to the application of the petitioner aforesaid. Given under my hand and seal of the court on this the 26 February, 2020.

SEAL District & Sessions Judge (HQs.), Delhi

उत्तरपूर्वी दिल्ली के 98.20 फीसद विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

हिंसा से सबसे प्रभावित रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं आयोजित हुईं जिसमें 98.20 फीसद विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई।

सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी के मुताबिक सोमवार को सीबीएसई की बारहवीं की भौतिक व एप्लाइड फिजिक्स और दसवीं की संगीत की परीक्षा थी। यह परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी केंद्रों सहित पूरे देश में सुचारु रूप से आयोजित की गई। उत्तर पूर्व दिल्ली के 2,888 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 2,837 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। त्रिपाठी ने कहा कि इसका श्रेय सभी अभिभावकों, स्कूलों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, दिल्ली पुलिस और दिल्ली शिक्षा निदेशालय को जाता है जिनके सहयोग से यह परीक्षा आयोजित हुई। सीबीएसई आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार सुरक्षित और सुचारु रूप से परीक्षाएं आयोजित कराएगा।

सीटेट के लिए पंजीकरण तिथि बढ़ी

सीबीएसई ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटेट) के लिए पंजीकरण की तिथि को 2 मार्च से बढ़ाकर 9 मार्च कर दिया है। यह परीक्षा पांच जुलाई को आयोजित होगी। पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 13 मार्च तक किया जा सकता है। उम्मीदवार अपने फॉर्म में 24 मार्च तक सुधार कर सकेंगे।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल जवाहर शाह, पुत्र स्वर्गीय श्री अशरफी शाह, निवासी-16/9, ब्लॉक-ए, शर्मा एन्क्लेव, निकट शिव मंदिर, मुबारकपुर डबास, दिल्ली-110081, मो. 8130879885 ने अपने पुत्र सुजीत कुमार एवं उसकी पत्नी रेणु देवी को अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है क्योंकि वे उनके कहने से बाहर हैं।

RITU VERMA (ADVOCATE)
Enrl. No.: D/1126/92

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री [illegible] राव पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible] हरियाणा ने अपने पुत्र [illegible] को [illegible] अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है [illegible]

Sandeep Yadav (Advocate)
Office: Seat No. 82, Sub-Divisional Court Complex, Pataudi

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला मनभरी देवी पत्नी स्व० देवी सिंह, निवासी-मं०नं०:-4703, गली उमराव, पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, दिल्ली-6 अपने पुत्र अजय कुमार, पुत्रवधु रचना को राष्ट्रीय सहारा अखबार दिनांकित 24-02-2013 में प्रकाशन करवाकर सम्बन्ध-विच्छेद करते हुए अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया था। अब मेरी मुवक्किला ने पुत्र अजय कुमार, पुत्रवधु रचना से सभी सम्बन्ध पहले की तरह स्थापित कर लिये है और 24-02-2013 की सार्वजनिक सूचना को निरस्त माना जाये।

Rakhi (Advocate)
Ch.No.383, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Suraj Singh S/o Sh. Lkhami Chand and his wife Smt. Sumitra both R/o - H. No. 192, Gudadiya Mohalla, Village-Sabha Pur, Karawal Nagar, Delhi-94, have served their relations and debarred their elder son Aashu from all their moveable-immovable properties due to his misbehavior and misconduct. My clients and their family members shall not be responsible for his any kinds of act(s)/transaction(s) in any manner whatsoever.

Date : 02.03.2020 Naman Raj Thakur (Advocate)
Chamber No. E-407, Karkardooma Court, Court, Delhi-92

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Rajinder Kumar S/o Late Sh.Duli Chand and Kamla W/o Sh.Rajinder Kumar, both R/o A-31/47, Netaji Gali no.3, Maujpur, Delhi-110053 have severed all their relations with their son Vikram Singh and his wife Smt. Kajal due to their disobedient, quarrelsome behaviour and my clients have also debarred their above named son Vikram, his wife Kajal and their children namely Bhoomi and Udyansh, R/o 201/30A, 4th floor, Ramchand Gali, Maujpur, Delhi -110053 from all their movable and immovable properties and if anybody deals with the above said son and his wife of my clients, my clients or any of their family member shall not be responsible in any manner and he/she/they shall be doing so at their own risk and consequences.

Sd/-
MUKESH KUMAR TYAGI (Advocate)
692, Main Road, Burari, Delhi-84

PUBLIC NOTICE

All be informed by this public notice that my client Sagal Khan W/o Sh. Muslim Khan R/o House No. H-47C, DDA Flats, Saket, New Delhi has lost the following documents:

i. original copy of Demand Cum Allotment Letter issued by DDA in the name of Col. D.K. Chandhok in respect of property no. H-47C, DDA Flats, Saket, New Delhi.

ii. original Demand letter against 5th and Final Installment issued by DDA in the name of Col. D.K. Chandhok in respect of property no. H-47C, DDA Flats, Saket, New Delhi.

iii. Cash of Rs. 2,500/-

That on 21/02/2020 our client has already made a complaint via internet with the police. Anyone coming in to possession of the above said documents is requested to return the same to our client and in case of misuse of the above said document by anyone, our client will initiate legal proceeding against such person.

Sher Afgon (Advocate)
Ch. No. 850, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My client Mr. Shri Krishan Aggarwal s/o Late Sh. Harduari Lal R/o 122-C, DDA MIG Red Flats, Rajouri Garden, New Delhi-27 do hereby disown and debar his son Amit Aggarwal, daughter in law Pooja Aggarwal and grand daughters Ishita & Myra from all his movable and immovable properties, jewellery, FDs, bank balance and other assets etc. Anybody dealing with them shall be doing so at his / her own risk, cost and responsibility and my client shall not be responsible for that.

Sd/-
Adv. Keshaw Prasad

सार्वजनिक सूचना

हमारी कम्पनी (जय श्री [illegible] प्राइवेट लिमिटेड) की दस्तावेज फाइल दिनांक 18-02-2020 को लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर खो गई है। [illegible] 413 आदित्य टावर लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 [illegible] आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर (सीओआर) 14.00323 दिनांकित 08 मार्च, 1998 [illegible]

हम "शरारती" तत्वों को उपरोक्त सीओआर के उपयोग के संबंध में चेतावनी देते हैं। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त सीओआर मिले, कृपया उसको नीचे लिखे पते पर पहुंचाने का कष्ट करें।

जय श्री [illegible] प्राइवेट लिमिटेड
413 आदित्य टावर लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092
मोबाइल नंबर 9990980137

PUBLIC NOTICE

KNOW ALL MEN that my client Shri Vipin Gupta s/o late Om Prakash Gupta r/o J-94, IIIrd floor, Reserve Bank Enclave, Paschim Vihar, New Delhi, is a tenant along with his real brother namely Rajesh Gupta in respect of one shop no. 5387/2, G.F., New Market, Sadar Bazar, Delhi-110006 since long. The disputes have arisen between my client & his brother Shri Rajesh Gupta for quite some time & as a result of which shop is lying closed for the 6 months & the same is under lock & key of both of them. Recently is has been revealed to my client that Mr. Rajesh Gupta is trying to play mischief & may part with possession of the same to same 3rd person after taking hefty amount which is illegal & unlawful. Now through this notice, the public at large is informed that if any one dealing with him or any of his family member in any way or manner whatsoever in respect of the aforesaid tenanted premises then he or she would be doing at his own risks & consequences.

Sd/-
(SANJAY AGGARWAL) Advocate
Ch. No. 1206, Rohini Courts, Delhi-85

एम्स में छात्रावास की दसवीं मंजिल से कूद कर जान दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 मार्च।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक छात्रावास की छत से कूद कर एक अधेड़ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। छात्रावास की दसवीं मंजिल से कूदने की वजह से इस व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसे एम्स के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

विपिन साहू (48) नामक यह व्यक्ति खुद को मेडिकल रिप्रेजेंटिव बता कर एम्स के मसजिद मोठ स्थित छात्रावास में दाखिल हुआ। छात्रावास संख्या 18 के रजिस्टर से मालूम चला है कि वह छात्रावास में सोमवार की सुबह 10 बज कर 40 मिनट और फिर दोपहर में 12 बजकर 20 मिनट पर दाखिल हुआ। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि जिस जगह से इस व्यक्ति ने छलांग लगाई है वहां से कुछ दवाइयां भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि मृतक डाक्टर नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक गौतमनगर निवासी साहू साउथ एक्स पार्ट दो में एक दवा की दुकान पर काम करता था। मृतक ने एआइएम केमिस्ट नामक इस दवा की दुकान के मालिक पर वेतन न देने व परेशान करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक यह व्यक्ति जिस मेडिकल स्टोर पर काम करता था वहां की परेशानी के चलते अवसाद में था।

महाराष्ट्र : पांच साल में 14,591 किसानों ने की आत्महत्या

मुंबई, 2 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र के पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को बताया कि राज्य में अक्तूबर 2014 से अगस्त 2019 के बीच 14,591 किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने बताया कि नागपुर और अमरावती राजस्व खंडों में पड़ने वाले 11 जिलों के 1,286 किसानों ने 2019 में आत्महत्या की।

मंत्री राज्य के विधान परिषद में कांग्रेस के विधान पार्षद शरद रणपिसे के सवाल का जवाब दे रहे थे। वडेट्टीवार ने एक लिखित जवाब में कहा कि अक्तूबर 2014 से अगस्त 2019 के बीच 14,591 किसानों ने आत्महत्या की।

PUBLIC NOTICE

This is for information of General public that my client Sh. Rahul Tripathi S/o Sh. Narain Prasad Tripathi R/o 4/12 Kalkaji Extension, New Delhi, he is absolute owners of the property Residential House No. 132, Area Measuring 224.50 sq. mtrs in Block-D, Sector-ETA-01, Situated at Greater Noida, Distt. G.B. Nagar, U.P have missing original Allotment Letter Dt. 27.05.2002, Transfer Letter dated 22.07.2003 issued by GNIDA in favour of Sh. Om Pal Panwar S/o Sh. Jahan Singh and Transfer Letter 09.12.2005 issued by GNID in favour of Sh. Bal Krishan Sarda S/o Sh. Girdhari Lal if any persons finds the above stated document, it is requested to hand over the same to the undersigned And If any persons have any claim whatsoever with respect to the above said property, he/she is required undersigned within 15 days for the date of publication.

Sd/-
Rahul Mishra Advocate
Mobile No. 7827702007

प्रपत्र-'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	राठी इस्पात लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03.06.1970
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – एनसीटी ऑफ दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	L27109DL1970PLC005306
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** सी –220, सावित्री नगर मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110017 **कॉर्पोरेट कार्यालय:** ए –2, जीटी रोड के दक्षिण की ओर इस्पात नगर, गाजियाबाद –201009 यूपी
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भन की तिथि	17 दिसंबर 2019 (18 दिसंबर, 2019 को आईआरपी की नियुक्ति के लिए माननीय एनसीएलटी से आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	03.03.2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	कृपया IBBI की वेबसाइट पर जाएं https://ibbi.gov.in/uploads/legalframwork/ विवरण 'cirp.rathiispat@gmail.com' पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।
9.	धारा 29क के अधीन लागू अपात्रता के मानदंड	इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 29 ए और अन्य प्रावधानों के अनुसार विवरण 'cirp.rathiispat@gmail.com' पर ईमेल करके भी प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	18.03.2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	28.03.2020
12	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02.04.2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	12.04.2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	02.04.2020
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स, RFRP और किसी भी अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए निर्धारित क्रमांक संख्या 21 पर समाधान प्रोफेशनल से संवाद कर सकते हैं।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	02.05.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	cirp.rathiispat@gmail.com पर ईमेल करके और एस –203, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 1, अजनारा टॉवर –1, एलएससी, सविता विहार, योजना विहार के पास, नई दिल्ली –110092 पर स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप में।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	12.05.2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**राज कुमार गुप्ता** **पंजीकरण सं.-** IBBI/IPA-002/IP-N00064/2016-2017/10142
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है	**राज कुमार गुप्ता** एस –203, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 1, अजनारा टॉवर –1, एलएससी, सविता विहार, योजना विहार के पास, नई दिल्ली –110092 **ईमेल:** rkgassociat@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**पत्राचार का पता:** एस –203, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 1, अजनारा टॉवर –1, एलएससी, सविता विहार, योजना विहार के पास, नई दिल्ली –110092 **ईमेल:** cirp.rathiispat@gmail.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	विवरण cirp.rathiispat@gmail.com पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	03.03.2020

हस्ता / –
राज कुमार गुप्ता
राठी इस्पात लिमिटेड के लिए समाधान प्रोफेशनल
तिथि : 02.03.2020
स्थान : नई दिल्ली
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00064/2016-2017/10142
एस –203, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 1, अजनारा टॉवर –1, एलएससी, सविता विहार, योजना विहार के पास, नई दिल्ली –110092

www.readwhere.com

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा

अंकित शर्मा के परिवार को एक करोड़ रुपए की मदद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 मार्च।

दिल्ली दंगों के दौरान हुई हिंसा में जान गंवाने वाले आइबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा के परिजनों को दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की। उन्होंने जरूरतमंदों लोगों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने की अपील की ताकि उन तक सरकारी एजंसियों की मदद तत्काल पहुंचाई जा सके।

केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा–अंकित शर्मा आइबी के जांबांज अधिकारी थे। दंगों में उनका नृशंस तरीके से कत्ल कर दिया गया। देश को उन पर नाज है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उनके परिवार को एक करोड़ रुपए और उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने राजधानी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए ट्वीट किया–हम सभी जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए दिन–रात काम कर रहे हैं। अगर आप किसी जरूरतमंद को जानते हैं तो हैशटैग दिल्ली रिलीफ का प्रयोग कर हम तक पहुंचें। कृपया सही पता/ फोन नंबर का उल्लेख करें ताकि हम उन तक पहुंच सकें। हम हमारी एजंसियों की ओर से तत्काल मदद सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक केजरीवाल राहत कार्य की दिनरात निगरानी कर रहे हैं और जिन लोगों के घरों को जलाया गया है उन्हें 25,000 रुपए की सहायता त्वरित राहत के रूप में दी जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार और मुस्ताफाबाद इलाकों में हिंसा में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

बयान में कहा गया कि संबंधित विभागों के अधिकारी उन लोगों को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं जिनके घरों, दुकानों और वाहनों को हिंसा के दौरान क्षति पहुंची है। इसमें कहा गया कि काम पूरा होने की कगार पर है और जल्द ही पीड़ितों को घोषित मुआवजा राशि दे दी जाएगी। सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुआवजा देने के लिए पीड़ितों की विस्तृत सूची तैयार की जा रही है। पीड़ित उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित काउंटर पर गैर सरकारी संगठनों के जरिये आवेदन कर रहे हैं।

राघव चड्ढा जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 मार्च।

आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली सरकार ने पहली बार विधायक चुने गए राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। 31 वर्षीय चड्ढा राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बुराड़ी से 'आप' विधायक संजीव झा और देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पिछली सरकार में आप विधायक दिनेश मोहनिया दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे थे।

संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ एक संगठन को रामलीला मैदान से संसद तक मार्च करने की अनुमति देने से मना कर दिया। विभिन्न छात्र संगठनों की एक समिति के समन्वयक एन सांई बालाजी ने मंगलवार को मार्च का आह्वान किया था। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली और मध्य पुलिस जिलों में अनुमति के लिए आवेदन दिया गया था लेकिन मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई। बालाजी को इस बात की जानकारी दे दी गई है। **(जसं)**

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय
आपका सहयोग

महत्वपूर्ण सूचना

दिल्ली में तनाव की स्थिति होने की कुछ अप्रमाणित खबरें जानबूझकर सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप पर प्रसारित की जा रही हैं। यह पुनः सूचित किया जाता है कि ऐसी खबरें केवल अफवाह फैलाने और लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने के लिए फैलाई जा रही हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली पुलिस ऐसी झूठी खबरों/अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंटस पर कड़ी नजर रख रही है। ऐसी अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
लोगों को सलाह दी जाती है कि ऐसी किसी भी सूचना को दिल्ली पुलिस से निम्नलिखित टेलीफोन नम्बरों पर सत्यापित कर सकते हैं:

क्र.सं.	डिस्ट्रिक्ट का नाम	हेल्पलाइन नम्बर
1.	पूर्वी जिला	011– 22231905
2.	उत्तर–पूर्वी जिला	011–22829334 / 35
3.	शाहदरा जिला	011–22131114
4.	दक्षिणी जिला	011–26523967
5.	दक्षिण–पूर्वी जिला	011–26825825
6.	पश्चिमी जिला	011–25441909
7.	द्वारका जिला	011–28042979
8.	बाहरी जिला	011–27034876
9.	मध्य जिला	011–23270000
10.	उत्तरी जिला	011–23818595
11.	उत्तर–पश्चिमी जिला	011–27229834
12.	रोहिणी जिला	011–27579011
13.	बाहरी उत्तर जिला	011–21710111
14.	नई दिल्ली जिला	011–23362229
15.	दक्षिण–पश्चिमी जिला	011–26140054
16.	रेलवे	011–23219007

यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की नफरतपूर्ण सूचना पाता है तो वह "साइबर हेल्पलाइन नं. 155260 या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत कर सकता है

उपरोक्त के अलावा, ऐसी अफवाहों की सूचना ERSS–112 पर भी साझा की जा सकती है। नियमित जानकारी के लिए कृपया दिल्ली पुलिस एवं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल @DelhiPolice और @dtptraffic क्रमशः पर सम्पर्क करें।
लोगों से शहर में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है।
दिल्ली पुलिस

तुरंत पुलिस सहायता के लिए 112 नम्बर पर कॉल करें | पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें–1090

DP/9225/2020

नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 मार्च।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की अगुआई में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर दिल्ली दंगों की उच्चस्तरीय जांच कराने और इन दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की जेब से की जाए।

भाजपा विधायकों ने उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की कि रविवार को जिस तरह अफवाहें फैलाकर पूरी दिल्ली को एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने की साजिश की गई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। विधायक दल में नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी के अलावा मोहन सिंह बिष्ट, विजेन्द्र गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन तथा अभय वर्मा शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने उपराज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में दंगों में इस्तेमाल किए गए हथियारों पर भी सवाल उठाए। भाजपा नेताओं ने कहा है कि ऐसा लगता है कि दंगा ग्रस्त इलाकों में पहले से ही हथियारों का जखीरा जमा था। उन्होंने संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत आना बहुत ही गौरव का अवसर था। दंगे भड़काना एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। इसका उद्देश्य भारत की छवि खराब करना था। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को सामने लाना जरूरी है।

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में
और
एपीलीफाई एडवाईज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U65191DL2015PTC279989)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. 217, स्टेशन नं.-2, अंबर टॉवर, आजादपुर कमर्शियल काम्प्लेक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033 में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्त्ता
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु **20 फरवरी 2020** को पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन , सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **ऑफिस नं. 217, स्टेशन नं.-2, अंबर टॉवर, आजादपुर कमर्शियल काम्प्लेक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते **एपीलीफाई एडवाईज़र्स प्राइवेट लिमिटेड**
प्राजक्त राउत
दिनांक: 02 मार्च 2020 (निदेशक)
स्थान: दिल्ली डीआईएन: 01489284

CONTINENTAL SEEDS AND CHEMICALS LIMITED
(CIN: L01111DL1983PLC015969)
Registered office: A-33, UPPER GROUND FLOOR, FIEE COMPLEX OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE II New Delhi 110020
Tel. No.:011-45380810 Email – info@continentalseeds.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and such other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) or amendment(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Company has on March 02, 2020: (i) completed the dispatch of Notice of Postal Ballot dated February 27, 2020 containing draft resolutions, Postal Ballot Form and a self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelop to the members (who have not registered their e-mail ids with Depositories/RTA);(ii) sent an e-mail containing the Notice of Postal Ballot dated February 27, 2020 with relevant form to the Members (whose e-mail ids are registered with the Depository Participants/RTA) through National Securities Depository Limited (NSDL) along with the details of login ID and password.
The Postal Ballot Notice has been sent to all the members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories/Registrar & Transfer Agent ("RTA") as on Friday, February 21, 2020, for seeking their consent on the agenda item listed in the Postal Ballot Notice dated February 27, 2020, including voting by electronic means for the following special resolutions:

Item No.	Description of the Resolution
1.	Migration of Company from Emerge Platform of NSE Limited to Main Board of NSE Limited

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Manju Laur, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS-9254 & CP No. 12247), as the Scrutinizer for conducting postal ballot / e-voting process in a fair and transparent manner.
The Members are also informed and requested to note that:
a) The business to be transacted through Postal Ballot may also be transacted by e-voting as provided in the Act read with related Rules thereto and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended from time to time;
b) In compliance of provisions of Sections 108,110 and other applicable provisions of the Act read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations as amended from time to time, the Company has provided facility for e-voting through National Securities Depository Limited (NSDL). The procedure for e-voting is given in the notes forming part of the Postal Ballot Notice. In case of electronic mode (for e-voting instructions), Members may go through the Instructions given in the Notice and in case of any queries connected with e-voting, the user manual is available for Members at download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 and in case of any grievances with respect to e-voting/Postal Ballot, you may contact Ms. Megha Jain Company Secretary at the designated e-mail id: cs@continentalseeds.co.in at telephone nos. 011-45380810.
c) The Voting including E-voting shall commence on Tuesday, March 03, 2020 from 9:00 a.m. and ends on Wednesday, April 01, 2020 at 5:00 p.m. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter;
d) Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than the close of business hours (i.e. 5:00 PM) on Wednesday, April 01, 2020. Postal Ballot Form received from the Members beyond the said date will not be valid and voting by post shall not be allowed beyond the said date;
e) Voting rights of the Members has been reckoned as on February 21, 2020, which is the Cut-off Date;
f) Member can opt for only one mode of voting i.e. either by Physical Ballot or e-voting. In case of receipt of vote by both the modes, voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot shall be treated as Invalid;
g) The Notice of the Postal Ballot along with the explanatory statement and other annexures is displayed on the website of the Company www.continentalseeds.co.in and also on the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com In case a Member is desirous of obtaining a Postal Ballot Form or a duplicate, he/she may send an e-mail to cs@continentalseeds.co.in or write to the Company at its registered office, A-33, Upper Ground Floor, Fiee Complex Okhla Industrial Estate, Phase II New Delhi 110020 or download the Postal Ballot Form from the Company's website www.continentalseeds.co.in under Investor Relation section or from the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.
h) The result of voting (through Postal Ballot forms and e-voting) by postal ballot will be announced on or before Wednesday, April 02, 2020 by or before 06:00 pm at the registered office of the Company. The result along with the Scrutinizer Report will be displayed at the registered office of the Company and shall be placed on the website of the Company www.continentalseeds.co.in and on the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall also be communicated to Stock Exchanges where shares of the Company are listed.

By the order of Board of Directors
For Continental Seeds And Chemicals Limited
Sd/-
(Mr. Pravin Rastogi)
Managing Director
DIN: 01414608

Place: New Delhi
Date: 03.03.2020

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन–L74899DL1960GOI003335
आरबीजी (आईटीपीओ) का कार्यालय, एनबीसीसी बिजनेस सेन्टर, लॉजिक्स टेकनोवा, 8वां तल, सेक्टर 132, नोएडा (यू.पी.) ई–मेल आईडी: sbg.delhi1@nbccindia.com

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र क्रमांक 21-151/2017-IA-III दिनांक 28.07.2017 के द्वारा प्रगति मैदान, दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी–सह–कन्वेंशन सेंटर के पुनर्विकास हेतु एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान कर दी गई है।
और, जबकि इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र की प्रति दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट **http://www.envfor.nic.in** पर उपलब्ध है।

MANEKSHAW CENTRE
MANEKSHAW CENTRE PARADE ROAD, DELHI CANTT-10
NOTICE INVITING TENDER
1. ADG Adm & Coord invites sealed tender from vendors for **installation of 500KW Grid Connected SPV Power Plant at Manekshaw Centre, Parade Road, Delhi Cantt-10**
2. The Tender Documents (RFP) may be collected from the office of **GSO-1 (Coord), Manekshaw Centre, Parade Road, Delhi Cantt-10.** Tele. **8800031803** between 1000 hrs to 1700 hrs wef **03 March 2020 to 01 May 2020** on any working day against submission of Tender Documents fee of **Rs. 500/- in** the form of **Bankers Cheque/DD** in favour of **'Manekshaw Centre Main Acct'**
3. Sealed Tender documents as per RFP will be dropped in tender box Placed at the **front gate of Manekshaw Centre** by **1100 hrs on 01 May 2020**

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा
(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली मैट्रो रीज़न–III, प्लॉट नं. 19 और 31, कम्युनिटी सेन्टर, प्रीत विहार, दिल्ली–110092

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तिया जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक / भौतिक कब्जा, (नीचे वर्णित संपत्ति के अनुसार) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **20-03-2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

क्र. सं.	शाखा	कर्जदार और गारंटर्स का नाम	स्वामित्व और सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / मांग सूचना की तारीख के अनुसार बकाया राशि + भविष्य का ब्याज एवं प्रभार	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी तिथि एवं समय	खाता नं. और IFSC कोड	प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नं.
1	एमएसएमई बल्लभगढ़ पूर्व में विजया बैंक	उधारकर्ता – मैसर्स दिशा इंजीनियर, प्लॉट नं. 15, बेरी का बाग के सामने, आदर्श नगर, मलेरना रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004, प्रोपराइटरः – रसिक बिहारी मित्तल पुत्र श्री केदार बिहारी मित्तल, मकान नं. 499, सेक्टर 3, फरीदाबाद–121004, गारंटरः – 1. रंजना मित्तल पत्नी श्री रसिक बिहारी मित्तल (कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से जारी किए गए मृतक के बाद नोटिस) (क) विपुल मित्तल पुत्र श्री रसिक बिहारी मित्तल, मकान नं. 499, सैक्टर–3, फरीदाबाद–121004 (ख) दिशा मित्तल एम/जी/एफ श्री रसिक बिहारी मित्तल, मकान नं. 499, सैक्टर–3, फरीदाबाद–121004, 2. दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री श्याम लाल, मकान नं. 73–बी, पटवारी मंदिर, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़ –121004	रैक्ट. नं. 68, किला नं. 16(8–0) जोकि मौज़ा ऊँचा गाँव, बल्लभगढ़ में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रंजना मित्तल पुत्र श्री रसिक बिहारी मित्तल के नाम पर है। विस्तारित भूमि 100 वर्ग गज (22.6'*40') चौहद्दी : पूरब में – सम्पत्ति का हिस्सा, पश्चिम में – 20' रास्ता, उत्तर में – सम्पत्ति का हिस्सा, दक्षिण में – बलवान की सम्पत्ति (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	03.01.2019 / रु 21,28,213.11	₹ 18.00 लाख / ₹ 1.80 लाख / ₹ 0.10 लाख	20-03-2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक	A/c 830501013000053 Name of A/c: The authorized officer e-auction sales IFSC CODE VIJB0008305 Branch: eVijaya Bank, MSME Ballabhgarh	श्री अशोक कुमार तँवर 8146667519

धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 19.03.2020 — नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक अर्थात https://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm को देखें और पोर्टल: https://bob.auctiontiger.net
दिनांक : 02-03-2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
ई–नीलामी (बिक्री केवल ई–नीलामी द्वारा)
जोन–दिल्ली जोन–I, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली–110014

अचल सम्पत्ति के विक्रयार्थ ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना 20.03.2020 को 10 बजे से 11 बजे तक
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम, 2002 (2002 की सं. 54) के अन्तर्गत बैंक के पास बन्धक अचल सम्पत्तियों का विक्रय। जबकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफॉएसि) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत निर्गमित सूचना के अनुपालन में हमारी शाखा के निम्नलिखित ऋण खाता में प्रविष्ट निम्नलिखित सम्पत्ति का, बैंक की देयताओं की वसूली करने हेतु "जैसी है जहा है आधार" और "जैसी है जो है आधार" पर उसको बेचने के अधिकार के साथ, कब्जा ग्रहण कर लिया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विक्रय का आयोजन वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर एवं शाखा का नाम	सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (रू.) + भावी ब्याज एवं अन्य खर्चे	मांग सूचना की तिथि	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी	बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
1.	श्रीमती नीना अनेजा बीओ– कृष्णा मार्केट, लाजपत नगर– I, नई दिल्ली।	प्रॉपर्टी बेअरिंग प्लॉट नं. 313, बैंक साइड राइट साइड पार्ट, ग्राउंड फ्लोर, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली। क्षेत्रफल 45 वर्ग गज की माप।	रू. 42,64,838 as on 31-01-2020 + तक + उस पर आगे ब्याज, खर्च और अन्य प्रभार इत्यादि	05.04.2014	17,00,000/-	1,70,000/-	25,000/-	20.03.2020 पूर्वा. 10.00 बजे से पूर्वा 11.00 बजे तक

नियम व शर्तें 1. ई–नीलामी का आयोजन "जैसी है जहा है" तथा "जैसी है जो है आधार" पर किया जा रहा है।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार यहां किसी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, सम्पत्तियों के स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा उन्हें इस बावत निरीक्षण कर अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए।
3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने और ई–नीलामी में भाग लेने से पहले https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई–नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों देखें।
इच्छुक बोलीदाताओं को भागीदारी और पूर्व बोली औपचारिकताओं के लिए https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर पंजीकरण करना होगा। (विस्तारित अवधि और शर्तों के लिए कृपया **https://ibapi.in** पर देखें)।
यह सूचना कर्जदारों तथा गारंटरों (एल/आरस) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत विक्रय हेतु 15 दिन का कानूनी नोटिस भी माना जाएगा।
दिनांक 02.03.2020, स्थान: दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

www.readwhere.com

निर्भया बलात्कार मामले में दिल्ली की एक अदालत का आदेश

चारों दोषियों की फांसी तीसरी बार टली

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मृत्युदंड पाए चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह रोक तब तक रहेगी जब तक कि दोषियों की दया याचिका पर फैसला नहीं हो जाता। चारों दोषियों को मंगलवार सुबह छह बजे एक साथ फांसी दी जानी थी।

दोषियों के मृत्यु वारंट पर अमल कानूनी प्रक्रियाओं के चलते अब तक तीन बार टाला जा चुका है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका के निस्तारण तक मौत की सजा नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश ने कहा, 'पीड़ित पक्ष की तरफ से कड़े प्रतिरोध के बावजूद, मेरा विचार है कि किसी भी दोषी के मन में अपने रचयिता से मिलते समय ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि देश की अदालत ने उसे कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने में निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया।'

न्यायाधीश ने कहा, 'चर्चा के समग्र प्रभाव के मद्देनजर, मेरी राय है कि दोषी की दया याचिका के निस्तारण तक मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए यहां यह आदेश दिया जाता है कि तीन मार्च को सुबह छह बजे निर्धारित सभी दोषियों के मृत्यु वारंट पर तामील अगले आदेश तक रोकी जाती है।' अदालत ने यह आदेश पवन की याचिका पर दिया जिसमें सोमवार को उसने राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने सुधारात्मक और दया अर्जियां दायर करने में इतनी देरी करने के लिए दोषी के वकील की खिंचाई की। पवन की सुधारात्मक याचिका इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अदालत ने इससे पहले दिन में पवन और अक्षय कुमार सिंह की उन अर्जियों को खारिज कर दिया जिसमें दोनों ने अपने मृत्यु वारंटों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

पवन की दया याचिका गृह मंत्रालय को मिली

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

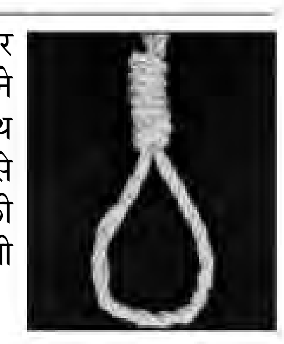

निर्भया बलात्कार एवं हत्या मामले के चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिल गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अब मंत्रालय यह याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजेगा। और वह इस पर विचार करेंगे तथा फैसला लेंगे। इससे पहले, राष्ट्रपति इस मामले में दोषी ठहराए गए मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका अस्वीकार कर चुके हैं। राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी और किशोर को सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया था।

निर्भया मामले के दोषियों के अंगदान की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के दोषियों को अंगदान करने तथा शव चिकित्सीय अनुसंधान के लिए देने का विकल्प उपलब्ध कराने का तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश देने के बारे में दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

यह याचिका हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने दायर की है। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के पीठ ने कहा, 'जनहित याचिका के माध्यम से आप ऐसा निर्देश देने का अनुरोध नहीं कर सकते। यदि वे (दोषी) ऐसा करना चाहते हैं, वे स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इस बारे में अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।'

शांति एवं सद्भाव समिति का फैसला

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो हो सकती है जेल

दंगा प्रभावित इलाके में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय

दंगे में 1284 पकड़े गए

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के मामले में 369 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और 1,284 लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 44 मामले शस्त्र कानून, 21 मामले साइबर अपराध के तहत दर्ज किए गए। सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में शांति समितियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने 76 बैठकें कीं।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 मार्च।

सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों को अब जेल जाना पड़ सकता है। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने फैसला किया है कि सोशल मीडिया के जरिए दो समुदायों के बीच नफरत, घृणा और दुश्मनी फैलाने वालों को तीन साल की सजा होगी। समिति ने दिल्ली में हुए दंगे के मद्देनजर यह फैसला लिया है।

दिल्ली विधानसभा की यह समिति एक एजंसी की मदद से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की जांच कराएगी और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराएगी। साथ ही समिति ने सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरें फैलाने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत भी करेगी। इसके लिए मंगलवार को एक ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। दिल्ली में हुए दंगे के दौरान अपने धर्म व मजहब की दीवार तोड़कर दूसरों की मदद करने वालों को भी सम्मानित करने पर विचार किया गया है।

ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज की अगुआई में गठित इस समिति में अब्दुल रहमान, अजय कुमार महावर, आतिशी, बीएस जून, जरनैल सिंह, दिलीप पांडेय, कुलदीप कुमार और राघव चड्ढा को सदस्य बनाया गया है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में समिति की पहली बैठक दोपहर तीन बजे सम्पन्न हुई, जिसमें कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए। समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए इसके अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह चर्चा हुई कि क्या कारण हैं, जो इस तरह के दंगे- देश के अलग-अलग राज्यों में हो रहे हैं। दिल्ली में भी इस तरह के फसाद देखे गए हैं। उन्होंने बताया कि अब अगर आप कोई भी खबर जो किसी दो समुदायों के बीच नफरत या दुश्मनी फैलाता है, जिसे आगे बढ़ाता है या री-ट्वीट करते हैं या फेसबुक पर शेयर करते हैं, तो आपको तीन साल की सजा हो सकती है। समिति के इस फैसले को टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाएगा।

समिति ने यह भी फैसला लिया है कि हम कुछ सेवानिवृत्त पुलिस के आला अधिकारियों को समिति के अंदर उनकी सेवा लेंगे, क्योंकि उनके पास भी कानून का अच्छा अनुभव होता है। सेवानिवृत्त अधिकारी समिति को राय देंगे कि कैसे किन मामलों में जो लोग गड़बड़ी व घृणा फैला रहे हैं, उनको किस तरह से सजा दी जाए। समिति के सदस्यों ने खुद इस तरह के कुछ घटनाओं को भी साझा किया है। जिसमें हिंदू और मुसलिम, दोनों ही समुदायों के सोशल मीडिया के ग्रुप के अंदर इस तरह के शरारती तत्व हैं, जो झूठी खबरों को अक्सर और आदतन बार-बार डालते हैं। भारद्वाज ने कहा कि समिति के पास एक सुझाव आया है कि जो लोग फर्जी खबरें या अफवाह फैलाने वालों की जानकारी देंगे, समिति उनको पुरस्कृत करेगी। हालांकि समिति के कुछ सदस्यों ने इनाम राशि 10 हजार रुपये करने की सिफारिश की है।

मोबाइल ऐप से संपर्क कर लूटपाट करता था गिरोह

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पांच को गिरफ्तार किया

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 मार्च।

थाना फेज थ्री पुलिस ने समलैंगिक लोगों से संपर्क बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सोमवार सुबह गिरोह के पांच बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ग्रिंडर ऐप पर समलैंगिक लोगों से संपर्क करते थे। फिर मिलने के बहाने लूटपाट कर फरार हो जाते थे। आरोपियों के कब्जे से 30 लाख रुपए मूल्य के हीरे, सोने व चांदी के गहने, 1.14 लाख रुपए नकद, 15 मोबाइल, 24 घड़ियां, होंडा सिटी एवं ब्रेजा कार, दो तमंचे, तीन चाकू, पांच चेकबुक और दो एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। सेंट्रल जोन के डीसीपी हरीश चंदर के मुताबिक सोमवार सुबह एफएनजी मार्ग पर जांच के दौरान रुकने का इशारा करने पर भी ब्रेजा कार नहीं रुकी। पुलिस के पीछा करने पर आरोपियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। जवाब देने पर पुलिस की गोली दो बदमाशों के पैर में लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों समेत पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान बुलंदशहर निवासी कपिल, राहुल, अजय, राजकुमार और मनीष के रूप में हुई है। मुठभेड़ में कपिल व राहुल के पैर में गोली लग गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी अजय व राजकुमार, दोनों सगे भाई हैं।

ऐसे फंसाते थे जाल में

पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना अजय ग्रिंडर एप से जुड़ा है। इस ऐप पर समलैंगिक जुड़े होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। इसी ऐप के जरिए अजय व इसके साथी पिछले छह महीनों से समलैंगिक लोगों को बुलाते थे। आने वाले को बंधक बनाकर एटीएम से रुपए निकलवाते और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते। लूट पीड़ित अपनी बदनामी के डर से पुलिस से शिकायत नहीं करते थे। जिससे आरोपियों का हौंसला बढ़ गया ।

'नए मनुष्य की प्रार्थना' का लोकार्पण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 मार्च।

हिंदी के कवि, कथाकार और आलोचक नंदकिशोर नंदन के 75वें जन्मदिन पर इंडिया इंटरनेशनल के सभागार में सूफी गायन और 'नए मनुष्य की प्रार्थना' पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम हुआ।

स्वागत भाषण की शुरुआत में भक्ति वरसिटी की संस्थापक डॉ मेधा ने प्रेम और शांति की महत्ता को रेखांकित किया। उसके बाद दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। धर्मशाला से आए प्रसिद्ध गायक प्रभजोत सिंह प्रभु ने कबीर, रैदास, बुल्लेशाह, सरहपा के पद गाए। प्रभु ने नंदकिशोर के गीत 'ज्योतिर्मय मां बरसो तम पर', सदा सत्य के लिए लड़े हम आदि गीत भी प्रस्तुत किए।

मुस्कान दंगा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में सुरक्षाबलों की मौजूदगी में सीबीएसई परीक्षा के दौरान छात्राओं को गुलाब भेंट करता एक पुलिसकर्मी।

योगी की नसीहत

जनता को सही बात बताएं

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 2 मार्च।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन अधिकारियों को नसीहत दी कि वे जनता को सही बात बताएं। अगर उनका काम नहीं हो सकता तो साफ-साफ कहें। इस दौरान उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का नया आयाम लिखा जा रहा है।

प्रदेश का आईना होने के साथ अब जेवर हवाई अड्डे के जरिए पूरे विश्व में नोएडा का नाम लिया जाने लगा है। नोएडा दौरे के दूसरे दिन सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने बोटेनिकल गार्डन मेट्रो पार्किंग परिसर से 1452 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही 1369 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं, मुख्यमंत्री के दो दिवसीय दौरे के दौरान नोएडा के किसान नेता सुखबीर समेत अन्य किसानों को नजरबंद रखा गया।

कार्यक्रम स्थल पर तय समय से करीब एक घंटे देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह देश की सबसे बड़ी बहुस्तरीय पार्किंग है, जिसका तीन साल में निर्माण कराना साबित करता है कि अफसरों ने सही तरीके से मेहनत की है। जनता के प्रति जवाबदेही की जिम्मेदारी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सभी काम के बारे में बताना आवश्यक है। किस नियम के तहत इसमें दिक्कत आ सकती है, यह बताएं। यदि कोई काम हो सकता है, तो उसे टाले नहीं बल्कि उस समय पर पूरा कर अपना और संबंधित व्यक्ति, दोनों का जीवन सरल बनाए। जेवर हवाईअड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों से अपनी प्राथमिकताएं तय करने को कहा। मुआवजा मिलने के बाद किसान बड़ी- बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनसीआर का पहला एयर क्राफ्ट मेंटिनेंस सेंटर यहां जल्द खोला जाएगा।

जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक जनपद में युवाओं के लिए स्मार्ट अप हब बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिलान्यास व लोकार्पण से जुड़ी योजनाओं की पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में नोएडा एंप्लाइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। एनईए अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री से रिक्त पड़े पदों की भर्ती कर और वरिष्ठता सूची तैयार कर पदोन्नति कराने की मांग की।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल

उड़ानों में 'वाई-फाई' उपलब्ध कराने को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

केंद्र सरकार ने भारत में संचालित उड़ान सेवाओं को उड़ानों के दौरान यात्रियों को वाई-फाई उपलब्ध कराने की सोमवार को मंजूरी दे दी।

नागरिक उड्डययन मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि उड़ानों के दौरान जब लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच, ई-रीडर या कोई अन्य उपकरण फ्लाइट मोड या एअरप्लेन मोड पर लगा हो तो पायलट विमान में सवार यात्रियों को वाई-फाई के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है।

लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच, ई-रीडर या कोई अन्य उपकरणों के इस्तेमाल की मिल सकती है अनुमति

यह सेवा उस समय के लिए पायलट द्वारा स्थगित की जा सकती है जब मौसम खराब हो और दृश्यता बेहद कम हो। इससे पहले पिछले शुक्रवार को विस्तारा के सीईओ लेस्ली थंग ने पहले बोइंग 787-9 विमान की डिलीवरी के मौके पर पत्रकारों से कहा था कि यह भारत में उड़ान के दौरान वाई-फाई उपलब्ध कराने वाला पहला विमान होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी कर विमान अधिनियम, 1937 में बदलाव किया है।

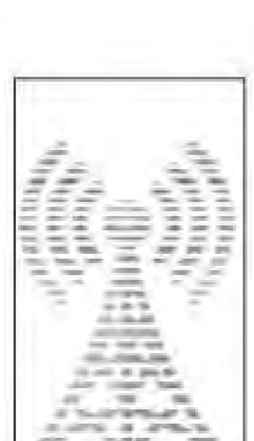

***विमान** अधिनियम, 1937 के तहत यह नियम बनाया गया था कि कोई भी यात्री या पायलट उड़ान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा।*

विमान अधिनियम, 1937 के तहत यह नियम बनाया गया है कि कोई भी यात्री या पायलट उड़ान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब नई अधिसूचना के तहत पायलट इस सेवा को उपलब्ध करा सकता है। सिर्फ विमानों के लैंड करने या रनवे में जब तक हो, तब तक इसकी सेवा नहीं देने की बात कही गई है।

प्रतिबंधित आतंकी संगठन के दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 मार्च।

अगस्त 2018 में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति एपी पांडेय को धमकी देने के आरोपी मणिपुर के एक प्रतिबंधित संगठन कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी-पीपुल्स वार ग्रुप (केसीपी-पीडब्लूजी) के दो कथित उग्रवादियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुराड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान लशराम मंगलजाओ सिंह और हिज्बुर रहमान के रूप में की गई है। ये दोनों मणिपुर के रहने वाले हैं। रविवार को इन वांछित उग्रवादियों को बुराड़ी के निरंकारी सरोवर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। संबंधित अदालतों ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट किए हुए थे।

सेल के पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिंह उग्रवादी संगठन कंगलिपक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपुल्स वार ग्रुप), केसीपी-पीडब्ल्यूजी का अध्यक्ष है और रहमान संगठन के लिए धन जुटाता था। ये दोनों दूसरे राज्यों से अपने संगठन का संचालन कर रहे थे और अपने संगठन के लिए धनराशि इकट्ठा करने के लिए दिल्ली में रह रहे थे। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दिल्ली हिंसा : पुनर्वास पर रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पुलिस को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं उपचार के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पीठ ने दिल्ली पुलिस को अदालत के 26 फरवरी के आदेश के अनुपालन में उसके द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। अदालत ने अगली सुनवाई 30 अप्रैल तय की है। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (फौजदारी मामलों के) राहुल मेहरा ने अदालत को रविवार शाम राष्ट्रीय राजधानी के अन्य इलाकों में फैली अफवाहों के बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसी अफवाहों से निपटने में अच्छा काम कर रही है। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि हेल्पलाइनों की मौजूदा संख्या पीड़ितों द्वारा की जा रही कॉलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अदालत घायलों के लिए एंबुलेंसों के सुरक्षित निकलने और हिंसा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दंगे के जख्म पर मरहम लगाने निकले पड़ोसी

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 2 मार्च।

***इमरान** मुनाफा लिए बिना लोगों के घरों तक सामान की आपूर्ति कर लोगों के बीच एक रहनुमा की तरह हो गए हैं*

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस अधिकारियों से अलग इलाके में रह रहे दोनों समुदाय के लोगों ने खुद ही शांति बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। सीलमपुर फल मार्केट में दूध, ब्रेड और अन्य सामान की दुकान चलाने वाले इमरान भी लोगों के बीच चर्चा में हैं। इमरान मुनाफा लिए बिना लोगों के घरों तक सामान की आपूर्ति कर लोगों के बीच एक रहनुमा की तरह हो गए हैं।

करावल नगर में रहने वाले शैफुद्दीन और पास के डीएलएफ में रहने वाले रामगोपाल बताते हैं कि ऐसे दंगों पर रोक लगाने के लिए स्थानीय लोग आगे आए हैं। पुलिस सुरक्षा के बाबत काम करती है जबकि स्थानीय लोग भाईचारा बनाने और भरोसे को कायम करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

गुरु तेगबहादुर अस्पताल में शवों के पोस्टमार्टम कक्ष से लेकर आपात वार्ड और फिर करावल नगर, शिव विहार, शहीद भगत सिंह कालोनी, जौहरीपुर, भगीरथ विहार, खजूरी खास चौक से लेकर डीएलएफ तक हर जुबान पर बस एक ही बात है कि आखिर दंगे से लोगों को क्या फायदा हुआ। किसी का घर जले, परिवार का सदस्य चला गया और कुछ का तो पूरा परिवार ही उजड़ गया। गनीमत रही कि बच्चे और महिलाएं ज्यादा पीड़ितों में शामिल नहीं हैं। शहीद भगत सिंह कॉलोनी चौक पर परचून की दुकान चलाने वाले रहमतुल्ला कहते हैं कि इस दंगे ने पूरे भरोसे का कत्ल किया है। हमने कभी भी ऐसे दंगे की कल्पना नहीं की थी। चूंकि यह बॉर्डर इलाका है लिहाजा बदमाश की लूटपाट और झपटमारी तो देखी है लेकिन सालों से साथ रह रहे लोगों का जानमाल का नुकसान उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। रहमतुल्ला की दुकान बंद है और अभी एक सप्ताह और दुकान नहीं खोलेंगे। उनका कहना है कि दुकान महीनों बंद हो जाए, वे परिवार का लालन पालन दूसरे स्त्रोतों से कर लेंगे पर जिस प्रकार एक ही मोहल्ले में रहते हुए एक समुदाय का दूसरे समुदाय से भरोसा उठा है उसकी भरपाई जब तक नहीं हो जाती उनका मन दुकान खोलने की नहीं करता।

भगीरथ विहार में सुरक्षाकर्मी रामेश्वर ने बताया कि वे साइकिल से 15 किलोमीटर दूर जाकर एक निजी कंपनी में नौकरी कर परिवार चलाते हैं। पर इस दंगे से उसे इतना डर हो गया है कि वे बीते एक सप्ताह से छुट्टी पर हैं और अगले कुछ दिनों तक और छुट्टी के लिए कंपनी के प्रबंधक को बोल दिया है। जौहरीपुर में बिजली का रिक्शा चलाने वाले ज्ञानू ने बताया कि आज पांच दिनों के बाद उसने अपनी गाड़ी सड़क पर उतारी है।

www.readwhere.com

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

वसूली विभाग, सर्किल ऑफिस : मध्य दिल्ली, चौथी मंजिल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, दूरभाष : 011-25744163, ई-मेल : cocdelrd@pnb.co.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 को वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं बन्धककर्ता/जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया था, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जहाँ है वहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख उल्लिखित के अनुसार होगी।

कृपया जनसत्ता में 1.03.2020 और 02.03.2020 को प्रकाशित पूर्व के विज्ञापन को अनदेखा करें और इस संशोधित विज्ञापन को ध्यान में लें

प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता	सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि माँग सूचना के अनुसार राशि सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम [सम्पत्ति(यों) के बंधककर्ता]	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण	सम्पर्क व्यक्ति तथा मोबाइल नं.
1.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स विजन ग्लासेज प्रा.लि., पता : सम्पत्ति सं. 2367, वार्ड नं. III, गली नवाब वाली, तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली-110007 बंधककर्ता : मो. इकलाख, सम्पत्ति सं. 2367, वार्ड नं. III, गली नवाब वाली, तिलक बाजार, खारी बावली, दिल्ली-110007	23.07.2014 रु. 2,74,92,329/- 30.11.2019 सांकेतिक	खसरा नं. 3/7, ग्राम सादाबाद, दुर्गावली, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पर स्थित ईएम का सम्पूर्ण भाग। माप 666 वर्ग गज। स्वामी का नाम मो. इकलाख।	रु. 96.00 लाख रु. 9.60 लाख (07.04.2020) रु. 100000/-	09.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री होशियार सिंह, मुख्य प्रबन्धक मोबाइल No.9741615271
2.	पीएनबी-आईबीबी मैसर्स रतन पॉलीकेम प्रा.लि., प्लॉट सं. 2286, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 बंधककर्ता : श्रीमती दर्शना डागर, निवासी म.नं. 456, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006	04.07.2019 रु. 24,94,95,866.00/- 14.10.2019 सांकेतिक	मौजा हरफला, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद पर स्थित खेवट/खाता सं. 58/66, मु नं. 15 किला नं. 2/2/2 (1-9), 9/2(1 -12), 10/1 (6-17), 11/1 (0-8) किता 4 रकबा 10 कनाल 6 मरला पर स्थित औद्योगिक प्लॉट। माप : 6231 वर्ग गज। स्वामी का नाम श्रीमती दर्शना डागर	रु. 372.00 लाख रु. 37.20 लाख (07.04.2020) रु. 1000000/-	09.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री के.एम. सहाय मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 9999865200
3.	पीएनबी-आईबीबी मैसर्स रतन पॉलीकेम प्रा.लि., प्लॉट सं. 2286, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 बंधककर्ता : श्रीमती दर्शना डागर, निवासी म.नं. 456, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006	04.07.2019 रु. 24,94,95,866.00/- 14.10.2019 सांकेतिक	मकान नं. 456, सेक्टर 9, अर्बन एस्टेट फरीदाबाद, हरियाणा पर दोमंजिला भवन की सम्पत्ति। माप 500 वर्ग गज। स्वामी का नाम : श्री यशवीर डागर एवं श्रीमती दर्शन डागर	रु. 417.00 लाख रु. 41.70 लाख (07.04.2020) रु. 1000000/-	09.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री के.एम. सहाय मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 9999865200
4.	पीएनबी-आईबीबी मैसर्स रतन पॉलीकेम प्रा.लि., प्लॉट सं. 2286, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 बंधककर्ता : श्रीमती दर्शना डागर, निवासी म.नं. 456, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006	04.07.2019 रु. 24,94,95,866.00/- 14.10.2019 सांकेतिक	मकान नं. 2286, सेक्टर 9, अर्बन एस्टेट फरीदाबाद, हरियाणा पर दोमंजिला भवन की सम्पत्ति। माप 350 वर्ग गज। स्वामी का नाम : श्रीमती दर्शना डागर एवं श्री यशवीर सिंह	रु. 305.00 लाख रु. 30.50 लाख (07.04.2020) रु. 1000000/-	09.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री के.एम. सहाय मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 9999865200
5.	पीएनबी-आईबीबी मैसर्स रतन पॉलीकेम प्रा.लि., प्लॉट सं. 2286, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 बंधककर्ता : श्रीमती दर्शना डागर, निवासी म.नं. 456, सेक्टर-9, फरीदाबाद, हरियाणा-121006	04.07.2019 रु. 24,94,95,866.00/- 14.10.2019 सांकेतिक	ग्राम महोला, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, खसरा नं. 12/2(1-16). 13/1(0-9), 9/1(13-17), 8/2(2-18), 2/2/2(4-9), 1/2(1-5), 21/1(7-7), क्षेत्रफल लगभग 22 कनाल 01 मरला (क्षेत्रफल 11162 वर्ग गज) स्वामी का नाम : श्रीमती दर्शना डागर एवं श्री यशवीर सिंह	रु. 352.00 लाख रु. 35.20 लाख (07.04.2020) रु. 1000000/-	09.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री के.एम. सहाय मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 9999865200
6.	पीएनबी-आईबीबी मैसर्स रतन सिंह चैरिटेबल एण्ड एजूकेशन सोसाइटी 456, सेक्टर-9, फरीदाबाद बंधककर्ता : मैसर्स रतन सिंह चैरिटेबल एण्ड एजूकेशन सोसाइटी 456, सेक्टर-9, फरीदाबाद	04.07.2019 रु. 3,91,83,355.53 03.12.2019 सांकेतिक	रेक्ट नं. 62, किला नं. 17/2(2-19), 24(8-0) रेक्ट नं. 63 किला नं. 10(8-0), 11/1(4-3),11/2(3-17) रकबा 26 कनाल 19 मरला, रेक्ट नं. 62, किला नं. 15/2(1-2),16/1(5-1), 16/2(2-19), 25(8-0), रेक्ट नं. 63 किला नं. 21/2/1(1-3), रेक्ट नं. 69 किला नं. 1/1 (2-13), 10/2(2-13), रेक्ट नं. 70, किला नं. 4/1 (2-7), 4/2(5- 13), 5(8-0), 6(8-0), 7(8-0), 18/2(0-7) रकबा 56 कनाल 08 मरला, रेक्ट नं. 381(2-13) रकबा 1 कनाल 6 मरला, रेक्ट नं. 70 किला 26(2-17) रकबा 14 मरला, रेक्ट नं. 70 किला नं. 14/1(0-13), 17/1/2(04) रकबा 17 मरला कुल रकबा 86 कनाल 04 मरला, मौज सेवली, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा में भूमि तथा भवन से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग। माप 10.775 एकड़। स्वामी का नाम : मैसर्स रतन सिंह चैरिटेबल एण्ड एजुकेशन सोसाइटी	रु. 2905.00 लाख रु. 290.50 लाख (08.04.2020) रु. 1000000/-	09.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री के.एम. सहाय मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 9999865200
7.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स यूनाइडेट फूड्स प्रा.लि., डी-16, तीसरी मंजिल, प्रशान्त विहार, रोहिणी, दिल्ली-110085 बंधककर्ता : श्रीमती सुनीता जिन्दल, निवासी फ्लैट सं. डी-2, विनोबा कुंज, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली	13.10.2016 रु. 60,18,72,841.84/- 22.06.2017 भौतिक	ग्राम नंगलकला, टीडीआई सिटी, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में स्थित खुला रिक्त आवासीय प्लॉट सं. 349-ए, ब्लॉक-एच। प्लॉट का क्षेत्रफल : 493.28 वर्ग गज। स्वामी का नाम : श्रीमती सुनीता जिन्दल पत्नी सुभाष जिन्दल	रु. 36.00 लाख रु. 3.60 लाख (21.03.2020) रु. 50000/-	23.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री पवन गुप्ता मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. : 9810223192
8.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स रंगोली इन्टरनेशनल प्रा.लि., 9एच, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 बंधककर्ता : श्री लव भारद्वाज पुत्र श्री आर.डी. शर्मा, एम3/9, डीएलएफ फेज-II, गुरुग्राम, हरियाणा एवं 74, वसन्त एन्कलेव, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057	02.02.2015 रु. 55,50,24,641.86/- 24.08.2017 भौतिक	छत्ता मदन गोपाल मालीवाड़ा, दिल्ली-110006 पर दुकान नं. जीएफ 12 से जीएफ 15, भूतल, सम्पत्ति संख्या वी/322 (पुराना) एवं नया एमसी सं. वी-1118 स्वामी का नाम : श्री लव भारद्वाज, पुत्र श्री आर.डी. शर्मा	रु. 42.34 लाख रु. 4.25 लाख (21.03.2020) रु. 25000/-	23.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री पवन गुप्ता मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. : 9810223192
9.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स रंगोली इन्टरनेशनल प्रा.लि., 9एच, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 बंधककर्ता : श्री लव भारद्वाज पुत्र श्री आर.डी. शर्मा, एम3/9, डीएलएफ फेज-II, गुरुग्राम, हरियाणा एवं 74, वसन्त एन्कलेव, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057	02.02.2015 रु. 55,50,24,641.86/- 24.08.2017 भौतिक	छत्ता मदन गोपाल मालीवाड़ा, दिल्ली-110006 पर दुकान नं. एसएफ 7 से एसएफ 10, द्वितीय तल, सम्पत्ति संख्या वी/322 (पुराना) एवं नया एमसी सं. वी-1118 स्वामी का नाम : श्री लव भारद्वाज पुत्र श्री आर.डी. शर्मा	रु. 32.73 लाख रु.3.27 लाख (21.03.2020) रु. 25000/-	23.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री पवन गुप्ता मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. : 9810223192
10.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स रंगोली इन्टरनेशनल प्रा.लि., 9एच, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 बंधककर्ता : श्री लव भारद्वाज पुत्र श्री आर.डी. शर्मा, एम3/9, डीएलएफ फेज-II, गुरुग्राम, हरियाणा एवं 74, वसन्त एन्कलेव, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057	02.02.2015 रु. 55,50,24,641.86/- 24.08.2017 भौतिक	छत्ता मदन गोपाल मालीवाड़ा, दिल्ली-110006 पर दुकान नं. एसएफ 12 से एसएफ 15, द्वितीय तल, सम्पत्ति संख्या वी/322 (पुराना) एवं नया एमसी सं. वी-1118 स्वामी का नाम : श्री लव भारद्वाज पुत्र श्री आर.डी. शर्मा	रु. 33.59 लाख रु. 3.36 लाख (21.03.2020) रु. 25000/-	23.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री पवन गुप्ता मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. : 9810223192
11.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स जे.एस. डिजाइनर लिमिटेड बंधककर्ता : मैसर्स जे.एस. डिजाइनर लि. अपने निदेशक श्रीमती अनुराधा सिंघल पत्नी श्री विकास मोहन सिंघल के माध्यम से पता : प्लॉट सं. 150(बी), नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.	13.02.2018 रु. 4104.68 लाख 14.05.2018 सांकेतिक	नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. में प्लॉट सं. 150(बी) पर स्थित औद्योगिक उपयोग हेतु निर्मित सम्पत्ति। क्षेत्रफल : 5311.35 वर्ग मीटर स्वामी का नाम : मैसर्स जे.एस. डिजाइनर लि., अपने निदेशक श्रीमती अनुराधा सिंघल पत्नी श्री विकास मोहन सिंघल के माध्यम से	रु. 260.00 लाख रु. 26.00 लाख (23.03.2020) रु. 100000/-	25.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री होशियार सिंह, मुख्य प्रबन्धक मोबाइल No.9741615271
12.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स कैपसन इंजीनियर्स प्रा.लि., एफ-16, शंकर मार्केट, कनाट प्लेस, नई दिल्ली बंधककर्ता : मैसर्स नवाब पैकर्स, 24, ब्लॉक-सी, सेक्टर-8, न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, अथारिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश	10.09.2018 रु. 411.66 लाख 30.12.2019 भौतिक	औद्योगिक सम्पत्ति सं. 24, ब्लॉक सी, सेक्टर-8, न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश। माप : 803.00 वर्ग मीटर। लीज होल्ड सम्पत्ति के स्वामी का नाम : मैसर्स नवाब पैकर्स	रु. 600.00 लाख रु. 60.00 लाख (21.03.2020) रु. 100000/-	23.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री होशियार सिंह, मुख्य प्रबन्धक मोबाइल No.9741615271
13.	पीएनबी : राजेन्द्रा प्लेस मैसर्स वी.जी. फैशन, प्लॉट सं. 2888/1, दुकान नं. 23, गफ्फार मार्केट, अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर स्थित बंधककर्ता : श्री विमल कुमार घई पुत्र श्री राम घई, मैसर्स वी.जी. फैशन के प्रोपराइटर, पता : ए-213, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048	06.11.2019 रु. 399.93 लाख 14.01.2020 सांकेतिक	दुकान नं. 23, प्रथम एवं द्वितीय तल, गफ्फार मार्केट, मेन अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 स्वामी का नाम : श्री विमल कुमार घई पुत्र श्री राम घई, मैसर्स वी.जी. फैशन के प्रोपराइटर, पता : ए-213, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048	रु. 600.00 लाख रु. 60.00 लाख (08.04.2020) रु. 100000/-	09.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री युगल किशोर मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. : 9599431055
14.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स तुही तुही क्रियेशन्स, जी-55, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 बन्धककर्ता : आत्मा देवी एवं गुलशन कौर, जी-55, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018	01.07.2016 रु. 413.93 लाख 29.05.2017 भौतिक	सम्पूर्ण आवासीय फ्री होल्ड सम्पत्ति प्लॉट सं. 55, ब्लॉक जी, विकासपुरी, दिल्ली-110018 का बेसमेंट। क्षेत्रफल : 160 वर्ग मीटर स्वामी का नाम : आत्मा देवी एवं गुलशना कौर	रु. 40.00 लाख रु. 4.00 लाख (23.03.2020) रु. 25000/-	25.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री पवन गुप्ता मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. : 9810223192
15.	पीएनबी-एआरएमबी नीरज खुल्लर मकान न. 720, जीएफ, टाइप : एम.आई.जी.-बी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-17, गुरुग्राम (हरियाणा) बंधककर्ता : श्रीमती स्वीटी खुल्लर एवं श्री नीरज खुल्लर। मकान नं. 720, जीएफ, टाइप : एम.आई.जी.-बी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-17, गुरुग्राम (हरियाणा)	05.05.2018 रु. 113.29 लाख 28.08.2019 भौतिक	मकान नं. 720, जीएफ, टाइप : एम.आई.जी.-बी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-17, गुरुग्राम (हरियाणा), कवर्ड एरिया : 1394.25 वर्ग फीट एवं प्लॉट क्षेत्रफल 182.73 वर्ग गज। स्वामी का नाम : श्रीमती स्वीटी खुल्लर एवं श्री नीरज खुल्लर।	रु. 100.00 लाख रु. 10.00 लाख (23.03.2020) रु. 50000/-	25.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री पवन गुप्ता मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. : 9810223192
16.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स रिवेरा टेक्सटाइल्स प्रा.लि., म.न. 7, सेक्टर-11, हुडा, पानीपत, हरियाणा बंधककर्ता : मैसर्स विवेक एन्टरप्राइजेज, म.नं. 7, सेक्टर-11, हुडा, पानीपत, हरियाणा	06.08.2015 रु. 425 लाख+ भावी ब्याज. + अन्य व्यय 15.10.2015 सांकेतिक	औद्योगिक भूमि एवं भवन प्लॉट सं. 111, हुडा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, सेक्टर-29, पानीपत, हरियाणा। क्षेत्रफल 1165.40 वर्ग मीटर स्वामी का नाम : विवेक एन्टरप्राइजेज	रु. 226.00 लाख रु. 22.60 लाख (24.03.2020) रु. 100000/-	26.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री होशियार सिंह, मुख्य प्रबन्धक मोबाइल No.9741615271
17.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स रिवेरा टेक्सटाइल्स प्रा.लि., म.न. 7, सेक्टर-11, हुडा, पानीपत, हरियाणा बंधककर्ता : विवेक गुप्ता, म.नं. 7, सेक्टर-11, हुडा, पानीपत, हरियाणा	06.08.2015 रु. 425 लाख+ भावी ब्याज. + अन्य व्यय 15.10.2015 सांकेतिक	औद्योगिक भूमि एवं भवन प्लॉट सं. 96, हुडा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, सेक्टर-29, पानीपत, हरियाणा। क्षेत्रफल 1040 वर्ग मीटर स्वामी का नाम : विवेक गुप्ता	रु. 226.00 लाख रु. 22.60 लाख (25.03.2020) रु. 100000/-	27.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री होशियार सिंह, मुख्य प्रबन्धक मोबाइल No.9741615271
18.	पीएनबी-एआरएमबी मैसर्स श्रीजी फॉयल्स प्रा.लि., भूतल, 26, हर्ष विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली बंधककर्ता : श्री मुकेश बंसल, भूतल, 26, हर्ष विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली	21.02.2015 रु. 692.40 लाख+ भावी ब्याज. 10.01.2017 भौतिक	निर्मित सम्पत्ति सं. 26, हर्ष विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 का समस्त बेसमेंट। भूमि क्षेत्रफल : 400 वर्ग गज। स्वामी का नाम : श्री मुकेश बंसल	रु. 81.00 लाख रु. 8.10 लाख (25.03.2020) रु. 50000/-	27.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री होशियार सिंह, मुख्य प्रबन्धक मोबाइल No.9741615271
19.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड श्रीमती पूनम मिगलानी पता : सी-4, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 बंधककर्ता : श्रीमती पूनम मिगलानी पता : सी-4, कालकाजी, नई दिल्ली-110019	12.07.2019 रु. 9647903.00 और ब्याज 20.09.2019 भौतिक	सम्पत्ति सं. 100, ब्लॉक डी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-11075 पर फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पूर्ण द्वितीय तल (छत के अधिकार रहित)। क्षेत्रफल : 175 वर्ग मीटर। स्वामी का नाम : श्रीमती पूनम मिगलानी	रु. 120.00 लाख रु. 12.00 लाख (19.03.2020) रु. 50000.00	21.03.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
20.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स वीजा कोजे इंका. पता : बी-51, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110009 बंधककर्ता : श्री सुभाष चन्द्र पता : मैसर्स ए.जी. ट्रेडविजन, B-XVII47 B/2-A/5F/514, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, निकट बस स्टैण्ड, लुधियाना, पंजाब।	19.09.2019 रु. 41774052.00 12.02.2020 भौतिक	B-XVII47 B/2-A/5F/514, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, निकट बस स्टैण्ड, लुधियाना, पंजाब। क्षेत्रफल : 377 वर्ग गज स्वामी का नाम :श्री सुभाष चन्द्र	रु. 187.00 लाख रु. 18.70 लाख (09.04.2020) रु. 100000.00	14.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
21.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स वीजा कोजे इंका. पता : बी-51, बेसमेंट, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110009 बंधककर्ता : श्री विपिन कुमार गुप्ता पता : खाता नं. 172, खसरा नं. 11/6/1 (2-11) & 15(1/2(1-2)] का भाग, ग्राम दरियापुर, निकट विवाह वाटिका, जिला झज्झर, हरियाणा	19.09.2019 रु. 41774052.00 12.02.2020 भौतिक	खाता नं. 172, खसरा नं. 11/6/1 (2-11)8 15(1/2(1-2)] का भाग, ग्राम दरियापुर, निकट विवाह वाटिका, जिला झज्झर, हरियाणा। क्षेत्रफल : 2208 वर्ग गज। स्वामी का नाम : श्री विपिन कुमार गुप्ता	रु. 184.00 लाख रु. 18.40 लाख (09.04.2020) रु. 100000.00	14.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
22.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स सौम्या फैशन हाउस, पता : मकान नं. 31, मन्दिर वाली गली, आजादपुर गाँव, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-110009 बंधककर्ता : श्रीमती सविता गुप्ता पता : सम्पत्ति सं. 10, पिछला भाग, तृतीय तल,, बी-10, शंकर गार्डन, दिल्ली-110018	02.09.2019 रु. 41788346.26 + रु. 1357496.00 की डीआई+ 01.07.2019 से आरआई+अन्य व्यय 09.10.2019 भौतिक	शंकर गार्डन, दिल्ली-110018 पर स्थित सम्पत्ति सं. 10, पिछला भाग, तृतीय तल, छत/टेरेस के अधिकार सहित, ब्लॉक बी(बी-10)। क्षेत्रफल : 1528 वर्ग फीट। स्वामी का नाम : श्रीमती सविता गुप्ता	रु. 140.00 लाख रु. 14.00 लाख (09.04.2020) रु. 50000.00	14.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
23.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स सौम्या फैशन हाउस, पता : मकान नं. 31, मन्दिर वाली गली, आजादपुर गाँव, जहाँगीर पुरी, दिल्ली-110009 बंधककर्ता : श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल, पता : उत्तर सम्पत्ति सं. 32, इन्द्रा पार्क एक्सटेंशन, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	02.09.2019 रु. 41788346.26 + रु.1357496.00 की डीआई+ 01.07.2019 से आरआई+ अन्य व्यय 09.10.2019 भौतिक	सम्पत्ति संख्या 32, खसरा नं. 24/18, इन्द्रा पार्क एक्सटेंशन, उत्तम नगर, दिल्ली-110059 का उत्तरी भाग। क्षेत्रफल : 116 वर्ग गज। स्वामी का नाम : श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल।	रु. 169.00 लाख रु. 16.90 लाख (09.04.2020) रु. 100000.00	14.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
24.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स संकल्प वर्ल्डवाइड ट्रेडलिंक, पता : 70, बी/2, रामा रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, दिल्ली-110015 बंधककर्ता : श्री सुभाष चन्द्र, पता B-XVII47 B/2-A/5F/517, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्प्लेक्स, जी.टी. रोड, लिंक रोड, जिला लुधियाना, लैण्डमार्क : सामने बस स्टैण्ड पंजाब।	04.10.2019 रु. 17046378.05/- 04.01.2020 भौतिक	सम्पत्ति सं. 517, एम.सी. सं. B-XVII47 B/2-A/5F/517, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड, लिंक रोड, जिला लुधियाना। लैण्डमार्क : सामने बस स्टैण्ड पंजाब। क्षेत्रफल : 2972 वर्ग फीट। स्वामी का नाम : श्री सुभाष चन्द्र	रु. 163.00 लाख रु. 16.30 लाख (09.04.2020) रु. 100000.00	14.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
25.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स संकल्प वर्ल्डवाइड ट्रेडलिंक, पता : 70, बी/2, रामा रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, मोती नगर, दिल्ली-110015 बंधककर्ता : श्री सुभाष चन्द्र, पता B-XVII47 B/2-A/5F/516, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्प्लेक्स, जी.टी. रोड, लिंक रोड, जिला लुधियाना, लैण्डमार्क : सामने बस स्टैण्ड पंजाब।	04.10.2019 रु. 17046378.05/- 04.01.2020 भौतिक	सम्पत्ति सं. 516, एम.सी. सं. B-XVII47 B/2-A/5F/516, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड, लिंक रोड, जिला लुधियाना। लैण्डमार्क : सामने बस स्टैण्ड पंजाब। क्षेत्रफल : 2972 वर्ग फीट। स्वामी का नाम : श्री सुभाष चन्द्र	रु. 155.00 लाख रु. 15.50 लाख (13.04.2020) रु. 100000.00	15.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
26.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स एलायंस ट्रेडविजन प्रा.लि., पता : बी-4, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 बंधककर्ता : श्री सुभाष चन्द्र, पता B-XVII-478/2-A/5F/515, 5वीं मंजिल, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, जी.टी. रोड, लिंक रोड, जिला लुधियाना, लैण्डमार्क : सामने बस स्टैण्ड पंजाब।	12.07.2019 रु. 40860541.69 एवं आरआई + अन्य व्यय 18.09.2019 भौतिक	मैसर्स कोयना सेल्स एलएलपी पार्टनर B-XVII-478/2-A/5F/515, तरफ बरूरा, जी.टी. रोड, कुन्दन नगर, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, सामने बस स्टैण्ड, जिला लुधियाना पर स्थित। स्वामी का नाम : श्री सुभाष चन्द्र	रु. 181.00 लाख रु. 18.10 लाख (13.04.2020) रु. 100000.00	15.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
27.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स एलायंस ट्रेडविजन प्रा.लि., पता : बी-4, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 बंधककर्ता : श्रीमती सविता गुप्ता, पता B-XVII-478/2-A/5F/518, तरफ ब्रूरा, जी.टी. रोड, कुन्दन नगर ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, निकट बस स्टैण्ड, जिला लुधियाना।	12.07.2019 रु. 40860541.69 एवं आरआई + अन्य व्यय 18.09.2019 भौतिक	मैसर्स वीए एक्सपोर्टेड एलएलपी B-XVII478/2-A/5F/518, तरफ बरूरा, जी.टी. रोड, कुन्दन नगर, ध्यान सिंह कॉम्पलेक्स, निकट बस स्टैण्ड, जिला लुधियाना स्वामी का नाम : श्रीमती सविता गुप्ता	रु. 154.00 लाख रु. 15.40 लाख (13.04.2020) रु. 100000.00	15.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634
28.	पीएनबी : गुरुद्वारा रोड मैसर्स एलायंस ट्रेडविजन प्रा.लि., पता : बी-4, ब्लॉक-बी, तृतीय तल, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 बंधककर्ता : श्रीमती सविता गुप्ता, पता : बी-17, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली	12.07.2019 रु. 40860541.69 एवं आरआई + अन्य व्यय 18.09.2019 भौतिक	प्लॉट/दुकान बी-17, शंकर गार्डन, विकासपुरी, नई दिल्ली स्वामी का नाम : श्रीमती सविता गुप्ता	रु. 135.00 लाख रु. 13.50 लाख (13.04.2020) रु. 100000.00	15.04.2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 अप.	अज्ञात	श्री रूपेश कुमार रोशन मुख्य प्रबन्धक मोबाइल नं. 8383945634

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

1. बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियम एवं शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :
2. सम्पत्ति की बिक्री **''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है''** आधार पर की जा रही है।
3. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी की सर्वोत्तम सूचना के आधार पर बताये गये हैं, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
4. बिक्री वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से उपर्युक्त निर्दिष्ट नीलामी की तिथि एवं समय पर होगी।
5. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **www.ibapi.in, www.tenders.gov.in,www.mstcecommerce.com,https://eprocure.gov.in/epublish/app.** देखें।

दिनांक : 29.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

रवीन्द्र कुमार
अधिकृत प्राधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार

www.readwhere.com

संक्रमण का दायरा

करीब ढाई महीने पहले चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस के कहर का दायरा बढ़ता जा रहा है और यह दुनिया भर की चिंता का मामला बन चुका है। इसके संक्रमण के खतरे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बचाव के तमाम उपायों के बावजूद अकेले चीन में अस्सी हजार से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग तीन हजार लोगों की जान जा चुकी है। चीन में इसके व्यापक खतरों को देखते हुए वुहान सहित देश के बाकी हिस्सों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा, दुनिया के लगभग सभी देशों ने इस संबंध में हर स्तर पर एहितियात बरतने के निर्देश दिए हैं और बचाव के हर संभव उपायों पर अमल हो भी रहा है। मसलन, भारत में विदेशों और खासतौर पर चीन से वापस भारत आने वाले यात्रियों की बारीकी से स्वास्थ्य जांच की जा रही है, ताकि इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। उम्मीद इस बात से बंध रही है कि कोरोना वायरस से पीड़ित कई मरीजों को समय रहते इलाज मिल गया और वे ठीक हो गए।

गौरतलब है कि भारत की ओर से बरती जा रही सावधानी के बावजूद इसके संक्रमण से पीड़ित कुछ लोगों की पहचान की गई है। सोमवार को दो नए मामले सामने आए, जिनमें पीड़ित व्यक्ति को कोरोना के संक्रमण की जद में पाया गया। इनमें एक व्यक्ति नई दिल्ली से है और दूसरा तेलंगाना में। इस मामले में गौर करने वाली और चिंता की बात यह है कि इनमें से एक व्यक्ति ने इटली की और दूसरे ने दुबई की यात्रा की थी। यानी क्या इस वायरस के संक्रमण का दायरा धीरे-धीरे दूसरे कई देशों में फैल गया है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? या फिर क्या चीन में इस वायरस की चपेट में आए पीड़ित किसी अन्य देशों के रास्ते भारत का रुख कर रहे हैं? हालांकि यह कोई छिपने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखना बीमारी से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। यों संक्रमण की पुष्टि के बावजूद दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है, लेकिन अगर वे संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं तो अब उन्हें उससे बाहर लाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा इस बात को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति से संक्रमण किसी भी नए व्यक्ति न हो।

चीन में कोरोना के संक्रमण का दायरा कितना व्यापक और गंभीर हो चुका है, यह सभी जानते हैं। इसके मद्देनजर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में कोरोना के संकेत तक के मामले में बरती गई मामूली लापरवाही समूचे देश और आसपास के इलाकों में व्यापक कहर की वजह बन सकती है। यों कोरोना वायरस की प्रकृति को देखते हुए दूसरे देशों में इसके फैलने की आशंका पहले ही जाहिर की जा रही थी। अब जैसे-जैसे दुनिया भर से इसकी खबरें आने लगी हैं, उससे यही लग रहा है कि इसका खतरा शायद अनुमान से ज्यादा है। चीन के अलावा जापान, इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान उन देशों में हैं, जहां मरने वालों की तादाद काफी है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अभी तक जिस तरह पर काबू पाने का कोई उपाय नहीं नजर आ रहा है और इसके इलाज के लिए किसी टीके का निर्माण नहीं हो सका है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायम मतभेदों को भुला कर दुनिया के तमाम देश कोरोना वायरस की काट निकालें, क्योंकि राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं इस वायरस के संक्रमण के दायरे को सीमित नहीं कर सकतीं।

अफवाहों के बीच

दिल्ली में दंगों की आग भले शांत हो गई हो, लेकिन अब जिस तेजी से अफवाहें लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं, वह ज्यादा बड़ा और गंभीट संकट है। रविवार शाम से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जिस तेजी से अफवाहें फैलने का दौर शुरू हुआ, उससे लोग सहम गए और देखते ही देखते कई इलाकों में दुकानें बंद हो गईं, लोग घरों से बाहर निकलने से बचने लगे, कॉलोनियों के दरवाजे कर लिए गए ताकि दंगाई घुस न सकें। सड़कों पर अचानक से सन्नाटा पसरने लगा। लग रहा था कि कहीं हालात बिगड़ न जाएं और दंगाई अब दूसरे इलाकों को भी अपनी जद में न ले लें। दिल्ली ने पिछले हफ्ते तीन दिन तक जिस तरह का भयावह दंगा देखा है, वैसे में लोगों के मन में अफवाहों से खौफ पैदा होना कोई असामान्य बात नहीं है। लोगों में घबराहट तब और ज्यादा फैली जब यह पता चला कि सात मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से ज्यादातर लोग बाहर निकले हुए थे। ऐसे में जब दंगे और आगजनी को लेकर अफवाहें फैलीं तो बाहर निकले लोगों के परिजनों को चिंता होनी लाजिमी थी।

किसी इलाके में अगर कोई घटना हो जाती है तो एकबारगी उस पर काबू पाना पुलिस के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जब अफवाहें फैलती हैं तो उन पर नियंत्रण पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जमाना सोशल मीडिया का है और ज्यादातर हाथों में स्मार्टफोन हैं। ऐसे में किसी भी झूठी बात या अफवाह का असर आग की तरह होता है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि कई इलाकों में एक साथ कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाए और दंगाइयों को काबू करने में पुलिस के भी हाथ-पैर फूल जाएं। लेकिन रविवार की अफवाहें कुछ शरारती तत्वों का काम मानी जा रही हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने गफलत के चलते ऐसी बातें फैला दीं। बाद में पता चला कि पश्चिमी दिल्ली में पुलिस अवैध रूप से शराब बेचने वाले एक ठिकाने पर छापा मारने गई थी। शराब माफिया ने पुलिस पर गोलियां चला दीं। बस, यहीं से दंगे अफवाह फैल गई। नतीजा यह हुआ कि शाम साढ़े सात बजे तक पूरे पश्चिम दिल्ली में दुकानें बंद हो गई थीं। दंगों को लेकर पुलिस के पास हजारों फोन आ गए।

इसी तरह मदनपुर खादर के पास कुछ लोगों ने एक युवक की चोर समझ कर पीट दिया था और यह घटना भी अफवाह के रूप में फैल गई। पर यह साफ है कि कुछ घंटों के दौरान ही एक साथ ऐसी अफवाहें फैलना किसी साजिश की ओर इशारा करता है। हालांकि पुलिस ने सारी ताकत लगाते हुए इससे निपटने के लिए कमर कसी और इलाकों में लोगों के साथ मार्च किया और इस तरह की अफवाहों का खंडन किया। जहां-जहां से दंगे होने की झूठी खबरें आईं, वहां पुलिस पहुंची और तस्दीक में सब सामान्य पाया। तब जाकर साफ हो चुका था कि अफवाहों का बाजार गर्म है और लोगों को डराने के मकसद से ऐसा किया जा रहा होगा। हालांकि पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। दंगों के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए हैं। ऐसी समस्या से निपटने के लिए लोगों का सहयोग और जागरूकता ज्यादा जरूरी है। हालांकि लोगों ने रविवार को जिस तरह से धैर्य और विवेक से काम लिया, उसने राजधानी को एक बड़े अनर्थ से बचा लिया।

कल्पमेधा

यह ज्यादा अक्लमंदी की बात है कि उस ख़ुदा की बातें कम करें, जिसे हम समझ नहीं सकते और इंसानों की बातें ज्यादा करें, जिन्हें हम समझते हैं।

– खलील जिब्रान

चुनौती बनती साइबर सुरक्षा

लालजी जायसवाल

किसी अन्य देश के मुकाबले भारत में साइबर धोखाधड़ी के ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में देश में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत के साथ इसकी पुख्ता सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। आज साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं और लोगों के बैंक खातों से ठग आसानी से पैसा निकाल ले रहे हैं, वह गंभीर चिंता का विषय बन चुका है।

देश में वित्तीय सेवाएं लेने वाले सभी ग्राहकों ने डिजिटल बैंकिंग को काफी उत्साह के साथ अपनाया। लेकिन चिंता की बात यह है कि बैंकिंग फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा शिकार भी उन्हें ही होना पड़ा है। निश्चित तौर पर साइबर सुरक्षा को लेकर हनेशा से सवाल उठते रहे हैं। पर इनका कोई ठोस जवाब या समाधान आज तक नहीं मिल सका है। वैसे तो, भारत सरकार डिजिटल भारत की ओर कदम दर कदम बढ़ाती जा रही है, लेकिन आज भी साइबर सुरक्षा की दीवार के लिए एक ईंट भी ठोस तरीके से नहीं रखी जा सकी है। इसी का फायदा उठा कर डिजिटल दुनिया के अपराधी अपनी जड़ें मजबूत करतेजा रहे हैं। उदारीकरण के बाद के युग में जहां इंटरनेट, नेट बैंकिंग, यूपीआइ का चलन सब्जी के ठेले से लेकर गांव के मजदूर, किसान, श्रमिक वर्ग तक तेजी से बढ़ा है, वहीं जागरूकता और सतर्कता की कमी के कारण इन सभी को डिजिटल फर्जीवाड़े से भारी क्षति भी उठानी पड़ी है।

आज किसानों को जहां ई-बैंकिंग सुविधा और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना व्यापार करने और कृषि संबंधी जानकारियां हासिल करने में सफलता मिली है, वहीं प्रशिक्षण की कमी और बढ़ते साइबर धोखाधड़ी के कारण इन वर्गों के लिए यह नेटवर्किंग की दुनिया ठगी की दुनिया में सिमटती जा रही है। यही कारण है कि आज लोगों का ऑनलाइन सुरक्षा पर विश्वास नहीं बन पा रहा है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल लेनदेन में तमाम तरह की अड़चनें हैं जिन्हें अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। जैसे, आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर डिजिटल बाजार का नियामक कौन है। डिजिटल लेन-देन से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए कोई व्यवस्था या प्रणाली उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज एटीएम और डेबिट कार्ड से संबंधित फर्जीवाड़े की शिकायतों का निपटारा नहीं हो पाता है।

आज सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि डिजिटल लेन-देन और इसके संभावित खतरों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया जाए। इस साल के प्रस्तावित बजट में डिजिटल गांव की अवधारणा को साकार करने के लिए एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है और देश के सारे गांवों को इंटरनेट के जरिए ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आज गांवों में एक छोटी दुकान पर भी ऑनलाइन पेमेंट का माध्यम उपलब्ध है। लेकिन क्या कभी हम सब ने इससे अपनी पुख्ता सुरक्षा की चिंता की? क्या कहीं इस धोखाधड़ी के बढ़ते चलन पर कोई विशेष कदम उठाने की बात सुनी अथवा कोई डिजिटल अपराध पर काबू पाने से संबंधित किसी नियामक के गठन की बात सुनी? जाहिर है, नहीं सुनी होगी, क्योंकि हम आज भारत के एक पक्षीय विकास पर ध्यान दे रहे हैं। हम आखिर यह क्यों नहीं सोचते हैं कि किसानों को डिजिटल दुनिया से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको डिजिटल जालसाजी के शिकार होने से बचाने बाबत क्या प्रयास कर रहे हैं।

किसी अन्य देश के मुकाबले भारत में साइबर धोखाधड़ी के ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में देश में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत के साथ इसकी पुख्ता सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। आज साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं और लोगों के बैंक खातों से ठग आसानी से पैसा निकाल ले रहे हैं, वह गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। आज अपराधियों के काम करने का तरीका भी नवाचारी हो गया है। अभी तक तो यही हो रहा था कि अपराधी किसी भी बैंक लेन-देन के लिए बैंक खाताधारक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेज कर उससे ओटीपी को हासिल कर लेता था और खाताधारक कुछ समझ पाए, इससे पहले ही उसके खाते से पैसे साफ हो जाते थे। लेकिन आज अपराध और चतुर हो गएहैं। उन्होंने जालसाजी के नए-नए तरीके निकाल लिए हैं। वर्तमान में अपराधी फोन पे, ट्रू-कॉलर, तेज और भीम ऐप आदि के यूपीआइ के जरिए जमकर ठगी हो रही है। ज्यादातर मामलों में जानकारी के अभाव में लोग पुलिस में शिकायत भी नहीं करते हैं और न ही उन्हें यह पता होता है कि ऐसे मामलों की शिकायत कहां की जाए। देश के प्रशासनिक अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से सब लोग अच्छी तरह बाकिफ हैं। ऐसे में पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगी?

हाल की घटनाओं पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि डिजिटल अपराधी आज ओएलएक्स जैसे तमाम ऐप का उपयोग करते हैं। आज साइबर सुरक्षा के अभाव की वजह से साइबर अपराधियों के लिए इस तरहके एप और प्लेटफॉर्म 'ठगी बैंक' बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहां क्रेता और विक्रेता के मोबाइल नंबर अपराधी को सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं। सवाल है कि आखिर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? आज यह सवाल प्रत्येक डिजिटल उपभोक्ता का है जो सरकार की ओर बड़ी आस लगा कर कड़ी सुरक्षा की मांग कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, साल 2018-19 में डिजिटल बैंकिंग जालसाजी चौहत्तर फीसद बढ़ कर 71,543 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। जबकि इससे एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2017-18 तक यह आंकड़ा 41,168 करोड़ रुपए था। बैंकों ने 2018-19 में जालसाजी के छह हजार आठ सौ एक मामलों की जानकारी दी, जो कि 2017-18 में पांच हजार नौ सौ सोलह थी। जाहिर है, पिछले तीन साल में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं और इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे आगे हैं। धोखाधड़ी के कुल मामलों में 55.4 फीसद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े थे। वहीं धोखाधड़ी में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 30.7 फीसद और विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 11.2 फीसद रही।

नतीजतन आज कुछ स्थायी उपाय किए जाने की दरकार है जिसमें लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, जिससे लोगों में डिजिटल इंडिया के प्रति सतकर्ता लाई जा सके। आज प्रत्येक डिजिटल उपभोक्ता को 'फिशिंग' व 'विशिंग' से सावधान रहना होगा। फिशिंग ऐसे ईमेल को कहते हैं जो बैंक या किसी लोकप्रिय खरीदारी वेबसाइट या संस्थान से भेजी हुई लगती हैं। इनसे ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जाती है। इन पर दिए गए लिंक को क्लिक करने पर वास्तविक जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट खुल जाती है। उस पर अपना यूजर आइडी और पासवर्ड दर्ज करते ही आपकी ऑनलाइन सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है। इससे मोबाइल नंबर, लॉग-इन आइडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड संबंधी जानकारी, सीवीवी, जन्म तिथि, मां का प्रथम नाम जैसी अहम जानकारियां चोरी की जा सकती हैं।

इसके अलावा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त ईमेल, कॉल और एसएमएस के प्रति सतर्क रहना चाहिए। साथ में सभी लोगों को जागरूक किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हर ग्राम पंचायत में एक ऐसे जानकार व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो ग्रामवासियों को डिजिटल मिशन के प्रति प्रेरित भी करे और धोखाधड़ी से अपने धन की सुरक्षा के उपाय बाबत पुख्ता प्रशिक्षण भी किसानों, मजदूरों अथवा कम शिक्षित लोगों को दे। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि यूपीआई के माध्यम से फोन पे, भीम, ट्रूकॉलर आदि ऐप में जो 'मनी रिक्वेस्ट' का विकल्प है, उसे पूरी तरह समाप्त कर दे, क्योंकि आज अपराधियों के जालसाजी का यह मुख्य केंद्र बन गया है। सरकार, बैंकिंग विशेषज्ञों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को मिलकर एसे सुरक्षा उपाय करने होंगे जो हर व्यक्ति के खाते को पूरी सुरक्षा प्रदान कर सकें। वरना डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने वाली कवायद निरर्थक साबित होगी।

जड़ता का हासिल

सुरेशचंद्र रोहरा

दुनिया मेरे आगे

कुछ दशक पहले भ्रूणहत्या का दौर प्रारंभ हुआ था, अब उसका अंजाम 'प्रेत' की भांति परेशान कर रहा है। एक बड़े वर्ग ने उस दरमियान बड़ी मात्रा में गर्भ में ही स्त्री भ्रूण की हत्या प्रारंभ कर दी थी, आज वही वर्ग सूनी आंखों से इंतजार कर रहा है कि कौन है, जो उसके पुत्र या प्रपौत्र की जीवन संगिनी होगी! लड़कियों की भारी कमी आज कई एक कथित संभ्रांत सामाजिक तबके को खल रही है। वह परेशान और हलकान है, क्योंकि आज लड़कियां बहुत कम हो चुकी हैं। लड़के विवाह के लिए तैयार, पंक्तिबद्ध खड़े हैं, मगर लड़की खोजना बहुत मुश्किल हो चला है। मामला केवल शादी के लिए लड़की ढूंढ़ने का नहीं है, यह स्त्रियों के अस्तित्व, अस्मिता और अधिकार का है। हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिंधी समाज की ओर से सिंधी युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि सम्मेलन में अगर सौ लड़कों ने पंजीयन कराया तो लड़कियों के सिर्फ सत्रह पंजीयन ही हुए। ऐसे में आयोजक मंडल की हिम्मत जवाब दे गई और युवक-युवती परिचय सम्मेलन स्थगित करना पड़ा। यही हालात कुछ दूसरे सामाजिक समूहों में देखी गई। नतीजतन, समाज का एक बड़ा तबका स्तब्ध है और उसे यह नहीं सूझ रहा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए।

दरअसल, यह सब हमारा स्त्री के प्रति घोर उपेक्षा और पितृसत्तात्मक मानसिकता का परिणाम है। हम समझते हैं कि लड़की हम पर बोझ है, वह पराया धन है। लड़का तो लक्ष्मीपुत्र होता है। इसी थोथी सोच ने जब जोर मारा तो विज्ञान एक हथियार के रूप में उसे मिला और उस अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के दुरुपयोग की इंतहा हो चली। यह वह समय था, जब समाज में लड़कियों के प्रति बेहद उपेक्षा का भाव था। घर में लड़की पैदा होने पर मातम छा जाता है। आगे भी लड़की को वह सम्मान नहीं मिलता, जो लड़कों को। इसका एक भयंकर कारण भारी दहेज प्रथा थी। लेकिन पुरुष ग्रंथियां भी इसकी जड़ों में समाई हुई हैं। यही दर्द हिंदी की अनेक कहानियों में रूपायित हुआ। मगर समाज की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह बार-बार लड़की के प्रति संवेदनहीन बना रहा। स्त्री को लक्ष्मी या दुर्गा का स्वरूप मानने वाला भारतीय समाज का एक बड़ा संभ्रांत वर्ग जिस तरह महिलाओं के प्रति आक्रामक हुआ, उसे शैतानी स्वरूप या असभ्यता कहा जाए तो गलत नहीं होगा।

धार्मिक अवलंबन, शिक्षा, लोकाचार के गुंफन के बावजूद हमारे देश में कन्याभ्रूण हत्या का जो दौर चला, वह क्षम्य नहीं कहा जा सकता। इसके हम खुद दोषी थे तो हमारी सरकारें भी। हमारे पढ़े-लिखे शिक्षित चिकित्सक भी, जो चंद रुपए की आमदनी के लोभ में भ्रूण हत्या करते चले गए। यह आज भी जारी है, हालांकि सरकार ने इसे अब गंभीर अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया है।

इस लिहाज से देखें तो आज नजीर है हमारे देश का जनजातीय समाज। देश का वह बड़ा तबका, जो सादगी और सहजता से पारंपरिक रूप से प्राकृतिक जीवनयापन कर रहा है। बहुतेरे समाज हैं, जहां भ्रूण हत्या करने की सोची भी नहीं गई, क्योंकि वह वर्ग अपनी सामाजिक जड़ों से टूटा नहीं था, ऊंची अट्टालिकाओं की उलझन में उलझा नहीं था। कुछ दिनों पहले एक ऊंचे कहे जाने वाले समाज के मित्र मिले। बातचीत निकली तो बताने लगे कि बड़े लड़के का विवाह तो हो गया, मगर दो विवाह योग्य हो चुके लड़कों के लिए उन्हें वधू नहीं मिल रही है... समाज में लड़कियां कम हैं और कुछ बची भी हैं तो वे और उनके माता-पिता ऐसे पेश आते हैं कि पूछिए मत! लड़की को शिक्षित और नौकरीशुदा वर चाहिए... घर में कार अनिवार्य है। एक अन्य शख्स ने बताया कि लड़की के मां बाप कहते हैं, सब कुछ ठीक-ठाक हो... लड़की घर का कोई काम नहीं करेगी। लड़कियों और उसके परिजनों की ऐसी कथाओं से एक मनोरंजक कहानी लिखी जा सकती है।

सवाल है कि ऐसी भीषण स्थिति में क्या हो? यहां रास्ता बंद नहीं हुआ है ऐसे परिवार अब विवश होकर दूसरे रास्ते खोज रहे हैं। मजे की बात यह कि जो माता-पिता जाति-धर्म और गोत्र के मसले पर बेहद कट्टर रहे होते हैं, वे विवश होकर इससे बाहर की वधु को स्वीकार कर रहे हैं। यानी मरता क्या करता, मजबूर माता-पिता परिजन खुशी-खुशी वधु को स्वीकार करने लगे हैं! हमारे शहर में आम, सामान्य परिवारों की तो दूर, जो समाज के प्रमुख माने जाते हैं, उनके बेटों ने पारंपरिक दायरे से बाहर विवाह कर लिया है। ऐसे दृश्यों की कल्पना दो दशक पहले नहीं की जा सकती थी। समाज का यह परिवर्तन निस्संदेह सामाजिक जड़ताओं के टूटने का नतीजा है और ये बदलाव संकीर्णता के विरुद्ध उदारता का रास्ता है, लेकिन यह भी सच है कि इसके पीछे स्त्री-पुरुष अनुपात में आ रही चिंताजनक कमी भी एक कारण है। क्या यह उम्मीद की जाए कि स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में कम से कम अब बदलाव आएगा और समाज खुद को संतुलित बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ेगा?

संकट का तापमान

धरती का बढ़ता तापमान इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट है। समंदरों का जल स्तर बढ़ रहा है। कुदरती संसाधन घट रहे हैं। इसकी वजह से संघर्ष बढ़ रहे हैं। गरीबी बढ़ रही है और महिलाओं-पुरुषों के बीच फासला भी बढ़ रहा है। सवाल है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? इस बारे में बहुत कुछ कहा, सुना और लिखा जा चुका है। प्रदूषण कम करना है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है, अपनी जीवन शैली बदलनी है और कारोबार का तरीका बदलना है। लेकिन इनके बारे में फैसला लेने वाले सब जान बूझकर भी जरूरी कदम या तो उठा नहीं रहे हैं, या उनकी रफ्तार बेहद धीमी है। फिर चाहे वे दुनिया के नेता हों या आम आदमी।

आज विश्व की अर्थव्यवस्था शोषण आधारित विकास के मॉडल पर चलती है, जहां इंसान से लेकर प्राकृतिक संसाधनों तक का बेपनाह दोहन हो रहा है। इसका नतीजा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के तौर पर सामने आया है। जीवाश्म ईंधन के दुरुपयोग, जमीन के दुरुपयोग और हर चीज के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से जलवायु परिवर्तन की चुनौती और बढ़ा दी है। आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जमीन के अंदर बंद गर्मी से बिजली पैदा करके हम साफ तरीकों से जरूरत भर की बिजली हासिल कर सकते हैं। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि आज बिजली उत्पादन, इसके पारेषण और भंडारण की वजह से होने वाला कार्बन उत्सर्जन का दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का पच्चीस फीसद है। बिजली की खपत घटाने के लिए हाइब्रिड कारें हैं। हम सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करके और कभी-कभार पैदल चलने को तरजीह देकर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली का इस्तेमाल कम कर सकते हैं।

इसी तरह खाने की बर्बादी को रोक कर खाद्य पदार्थ पैदा करने और उन्हें पकाने, पैकिंग और फिर यहां से वहां ले जाने में खर्च होने वाले ईंधन को कम कर सकते हैं। यह हर इंसान कर सकता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान दे सकता है।

कुदरत को बचाने के लिए हमें इन कदमों को तेज रफ्तार से बढ़ाना होगा। आज का युवा तो ये बातें समझ रहा है। मगर, उम्र का काफी हिस्सा गुजार चुके लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों की फिक्र नहीं कर रहे हैं। युवा अपने लिए बेहतर भविष्य की मांग कर रहे हैं। लेकिन, फैसला लेने वाले हमारे नीति-निर्माता बेवजह की बहसों में उलझे हुए हैं। किस तकनीक को अपनाया जाए? कौनसा देश कितना बोझ उठाएगा? किस देश को अपना कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कम करना होगा?

ऐसे हालात में यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने की राह में तकनीक नहीं, इच्छाशक्ति बड़ा रोड़ा है।

● *नीतीश कुमार पाठक, आश्रम, नई दिल्ली*

कोरोना का खौफ

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। चीन तो बुरी तरह से इससे घिर गया है। कहा जा रहा है कि यह वायरस वुहान के एक मछली बाजार से फैला है। लेकिन ऐसी भी खबरें आई हैं कि वुहान के एक कोने में सेना की प्रयोगशाला है, जिसमें जैविक हथियार बनाएं जाते हैं, वहीं से यह वायरस गलती से या भूल से जमीन पर गिरा या किसी माध्यम से शरीर पर आया और यह धीरे-धीरे फैल गया। अगर इस रिपोर्ट में सच्चाई है तो चीन की यह कोशिश मानवता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी, जिसे माफ नहीं किया जा सकेगा।

● *हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

हिंसा की आग

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपनी बात कहने का कानून दायरा तय किया गया है। लेकिन आज लोग इसी कानून को हाथ में लेकर उसे तार-तार कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जब ऐसे हालात है कि किसी देश का राष्ट्रपति दिल्ली आया हो और उसी शहर का एक इलाका दंगों की आग में झुलस रहा हो, तो इससे हमारी क्या छवि दुनिया में बनेगी। क्या हम अपने देश की यही तस्वीर दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे। सचमुच, यह विचारणीय है कि कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया, किसी के घर का चिराग आग में जल कर, तो किसी का गोली लग कर बुझ गया। जो देश पूरे विश्व को शांति और एकता का संदेश देता है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आपस में हैं भाई-भाई जैसे विचार हों, वहां ऐसा हो रहा है। जिस देश में महात्मा गांधी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वही आज हिंसा की पराकाष्ठा पार कर रहा है। क्या बापू को हम यही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग जानते है कि हिंसा से सिर्फ नुकसान होगा और नफरत बढ़ेगी। लेकिन राजनीतिक दलों के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, इसलिए दंगों को हवा दी जाती है, यह हकीकत किसी से छिपी नहीं है।

● *अमन जायसवाल, दिल्ली विवि, दिल्ली*

बेटियों का दर्द

एक हिंदुस्तानी होने पर बेशक नाज होना चाहिए। मगर देश में बेटियों की दशा और देश की दिशा देख कर प्रार्थना करने का मन करता है 'मोहे बिटिया न कीजो'। हिंदुस्तान में बेटियों का यह दर्द बार-बार क्यों छलक जाता है! शेल्टर होम, कस्तूरबा विद्यालय आदि की सुरक्षित निगहबानियों में भी बेटियों के अस्तित्व को ललकारा जाता है। अमरावती के एक स्कूल में लड़कियों को प्यार-मोहब्बत से दूर रहने की कसमें खानी पड़ती हैं। सबरीमाला प्रकरण निबटा भी नहीं कि भुज में धार्मिक ट्रस्ट के महिला छात्रावास से डरावनी खबर आ गई। वहां इक्कीसवीं सदी में उड़ान भरती बेटियों को अपमान की आग से गुजरते हुए खुद को 'पवित्र' साबित करने की चुनौती मिल गई। अग्निपरीक्षा के छालों को दिखाने में बेटियों को अपना ही चेहरा छिपाना पड़े तो कुदरत की सबसे खूबसूरत सृष्टि होने का उनका भ्रम क्यों न टूटे? कदम-कदम पर अपना अस्तित्व ही डराने लगे तो देश पर गर्व करने की गुंजाइश कम क्यों न हो जाए!

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड*

www.readwhere.com

जरा हट के

हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री यामी गौतम को गुवाहाटी में ग्रेट गुवाहाटी मैराथन 2020 के दौरान परंपरागत असमी टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया।

बोल

उत्तर कोरिया सैन्य तनावों को बढ़ाने की कार्रवाई कर रहा है। उत्तर कोरिया द्वारा हाल में बार-बार बैलिस्टिक या अन्य मिसाइलों का प्रक्षेपण गंभीर मुद्दा है।
– तारो कोनो, जापान के रक्षा मंत्री (उ. कोरिया द्वारा मिसाइल प्रक्षेपण को लेकर)

विवाद

ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव घटाने में मध्यस्थता को लेकर जो पेशकश की, उसकी अहमियत से इंकार नहीं किया जा सकता। इस पर भारत को विचार करना चाहिए। *–शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री*

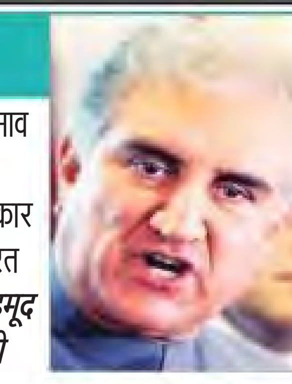

सम-सामयिक

कोरोना : सुस्त पड़ी महाबलियों की चाल

जनसत्ता संवाद

कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं- चीन और अमेरिका के कारोबार में सुस्ती आ गई है। असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। दुनिया के बड़े शेयर बाजार लुढ़कने लगे हैं। भारत सरकार अर्थव्यवस्था पर कोरोना के पड़ रहे कुप्रभाव को लेकर सचेत होने के दावे कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस मामले में विभिन्न स्तर पर विकल्पों को खंगाला जा रहा है। कई मंत्रालयों के सचिव लगातार कोरोना के असर की समीक्षा कर रहे हैं और पूरी नजर रख रहे हैं। हालांकि, भारत में उद्योग-धंधों पर असर दिखने लगा है। औद्योगिक उत्पादन पर मार पड़ने लगी है।

देश-विदेश के अर्थशास्त्रियों के साथ ही वित्तीय संस्था और रेटिंग एजंसी मूडीज ने अपने-अपने स्तर पर रिपोर्ट दी है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गहरी मंदी की चपेट में आ सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर में कोरोना की वजह से इस साल 0.4 फीसद की गिरावट हो सकती है। पहले वर्ष 2020 के लिए वैश्विक विकास दर में 2.8 फीसद की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था, जिसे घटाकर अब 2.4 फीसद कर दिया गया है। इस संक्रमण के कारण चीन से होने वाला निर्यात घट गया है।

भारत, अमेरिका, यूरोपीय देशों के बाजारों में कोहराम है। शुक्रवार को निवेशकों को एक झटके में करीब 11 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा। भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी की और बड़ी चुनौती सामने आ गई है। भारत की सरकार के कुछ कदमों से चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 4.7 फीसद रही है। दूसरी तिमाही में यह 4.5 फीसद रही थी। इसमें मामूली सुधार के संकेत अवश्य है, लेकिन कोरोना की मार से हालात बिगड़ने के संकेत हैं। अमेरिका और चीन के साथ भारत 150 अरब डॉलर (करीब 10 लाख करोड़ रुपए) से अधिक का कारोबार करने वाला भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होगा। सप्लाई चेन प्रभावित होने से कई चीजों के लिए कच्चे माल की कमी हो सकती है तो कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। कच्चे माल की कमी और उत्पादन लागत बढ़ने की सूरत में आयात बिल बढ़ सकता है।

मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट है कि चीन का पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप है। इसका दुनियाभर का पर्यटन कारोबार पर असर हो रहा है। चीन में फैक्टरियों के बंद होने से एपल, नाइकी एवं जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां प्रभावित हो रही हैं और माल की कमी की वजह से अमेरिका के वालमार्ट और अमेजन स्टोर में अगले एक- दो माह में सामान की कीमत बढ़ जाएगी। चीन में कच्चे तेल की मांग में पंद्रह फीसद तक की कमी आ गई है। वर्ष 2018-19 में भारत-चीन का द्विपक्षीय व्यापार करीब सत्तासी अरब डॉलर था। चीन से आयातित कच्चे माल एवं वस्तुओं पर देश के कई उद्योग-कारोबार निर्भर हैं। अब कोरोना प्रकोप से चीन से आने वाली कई वस्तुओं के आयात में भी कमी आ गई है।

खासतौर से दवा उद्योग, वाहन उद्योग, स्टील उद्योग, खिलौना कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के उपकरण और सामान, रसायन, हीरा कारोबार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भारत के पास चीन से ऐसी प्रमुख आयातित वस्तुओं एवं कच्चे माल का भंडार एक महीने का ही बचा है।

बेहिसाब नुकसान

कोरोना वायरस से वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अठहत्तर लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर करीब एक फीसद घट सकती है। वैश्विक विकास दर घट कर 2.4 फीसद, चीन की विकास दर घट कर 5.2 फीसद और भारत की विकास पर घट कर 5.4 फीसद रहने का अनुमान है।

शोध

ध्रुवीय भालू मारकर खा रहे अपने बच्चों को

जनसत्ता संवाद

ध्रुवीय भालुओं के व्यवहार में खतरनाक बदलाव की चेतावनी दे रहे हैं वैज्ञानिक। जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय क्षेत्रों में मानव के लगातार बढ़ते दखल के कारण ऐसा हो रहा है। रूसी वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि इन वजहों से ध्रुवीय भालू नरभक्षी बन रहे हैं। उनका आवासीय क्षेत्र सिकुड़ रहा है। वे भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय कर भटकने को मजबूर हैं। ऐसे में ध्रुवीय भालू मनुष्यों के संपर्क में आ रहे हैं। और भोजन की तलाश में नरभक्षी भी बन रहे हैं।

भोजन स्रोतों के घटने से वे एक-दूसरे पर ही हमले कर मार कर खा जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा निशाना बच्चों वाली मादा भालुओं को बनाया जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित आर्कटिक और अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता मॉर्डविंटसेव के मुताबिक, 'ध्रुवीय भालुओं के नरभक्षी होने के मामले लंबे समय से ज्ञात हैं, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होने चाहिए। हमें चिंता है कि अक्सर ऐसे मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा भालुओं में खाने की कमी से आपसी लड़ाई भी बढ़ी है, जो दोनों में से किसी एक की जान ले लेती हैं। आकार और ताकत में बड़े भालू अक्सर बच्चों वाली मादाओं को निशाना बना रहे हैं। बड़े भालुओं का बच्चों को मार कर खाना दूसरे शिकार को करने से ज्यादा आसान है।'

इस बार की सर्दियों में भालुओं को रूस स्थित ओबी की खाड़ी से लेकर बेरेंट्स सागर तक शिकार करते देखा गया। 25 साल की अवधि में जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में बर्फ 40 फीसद तक पिघल गई है। इससे ध्रुवीय भालुओं के भोजन स्रोत तेजी से घटे हैं। आमतौर पर भालू बर्फ के नीचे पानी में तैरती सील मछली का शिकार में करते हैं। लेकिन इस बार की सर्दियों में भालुओं को रूस स्थित ओबी की खाड़ी से लेकर बेरेंट्स सागर तक शिकार करते देखा गया। यह मार्ग एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) प्लांट से गैस लाने वाले समुद्री जहाजों का व्यस्त रूट है।

सेंट पीटर्सबर्ग स्थित अनुसंधान संस्थान की ओर से कई अभियानों का नेतृत्व करने वाले रूसी वैज्ञानिक व्लादिमिर सोकोलोव ने बताया, 'इस साल के गर्म मौसम ने ध्रुवीय भालुओं को नॉर्वे के उत्तरी स्पिट्सबर्गेन द्वीप स्वालबार्ड आर्किपेलागा में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। यहां पर थोड़ी मात्रा में बर्फ बची थी। स्वालबार्ड आर्कटिक महासागर स्थित एक द्वीप समूह है जो नॉर्वे के उत्तरी क्षेत्र का आखिरी इलाका है। यह यूरोप की मुख्यभूमि से 641 किलोमीटर दूर नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच है।'

इस हफ्ते प्रकाशित शोध में कहा गया है, 'भालू अपने से बड़े शिकार के शवों को बर्फ और मिट्टी के नीचे दबा रहे हैं, ताकि बाद में जरूरत पड़ने उसे निकालकर खाया जा सके। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को कैशिंग कहा है। खाना छिपाने का यह व्यवहार भूरे भालुओं में पाया जाता है, जो पांच लाख साल पहले पोलर बियर से विकसित होकर अस्तित्व में आए थे। खाना जमा करने का यह व्यवहार ध्रुवीय भालुओं में कभी-कभी ही देखा जाता था।' हाल ही में 'अल्बर्टा यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल फॉर पोलर बियर' के सलाहकार इयान स्टर्लिंग को पोलर बियर के खाना जमा करते हुए कुछ फोटो अपने दोस्तों से मिले हैं। अब इन तस्वीरों पर अध्ययन किया जाएगा।

जीवाश्म ईंधन की खोज के लिए कंपनियां तेजी से ध्रुवीय क्षेत्रों का रुख कर रही हैं। इससे ध्रुवीय भालुओं का आवास क्षेत्र सिकुड़ रहा है। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है। बर्फ पिघल रही है और भालुओं के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। भालू अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और भोजन की तलाश में दूर-दराज तक भटकने को मजबूर हो रहे हैं। नतीजा यह कि अपने ही बच्चों और मादाओं को वे मारकर खाने लगे हैं। कहीं-कहीं ध्रुवीय भालुओं के नरभक्षी बनने की बातें सामने आई हैं।

विश्व परिक्रमा

कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा

रविवार, 23 फरवरी :
कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के बाहर भी तेजी से बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया में अब तक इससे सात मौतों की खबर है जबकि 700 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं।

हार्वी वाइनस्टीन दोषी साबित

सोमवार, 24 फरवरी :
हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वी वाइनस्टीन को यौन उत्पीड़न और बलात्कार का दोषी ठहराया गया। अभिनेत्री एंजेलीना जोली सहित 80 महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए थे। वाइनस्टीन को 25 साल तक की सजा हो सकती है।

तीन अरब डॉलर का रक्षा समझौता

मंगलवार, 25 फरवरी :
भारत और अमेरिका के बीच तीन अरब डॉलर का रक्षा समझौता हुआ। इस सौदे में अमेरिका से 24 एमएच 60 रोमियो हेलिकॉप्टर की 2.6 अरब डॉलर की खरीद शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से रक्षा संबंध और मजबूत होंगे।

डोनाल्ड ट्रंप

कोरोना वायरस से ईरान में 10 की मौत

बुधवार, 26 फरवरी :
कोरोना वायरस से दक्षिण कोरिया में बुधवार तक 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। ईरान में इससे अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं। इटली में भी कोरोना वायरस के 300 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है।

चीन में नहीं थम रहीं कोरोना से मौत

गुरुवार, 27 फरवरी :
चीन में कोरोना वायरस से गुरुवार को 29 और लोगों की मौत के साथ इससे मरने वालों का आंकड़ा 2744 हो गया।

तुर्की के 33 सैनिक मारे गए

शुक्रवार, 28 फरवरी :
सीरियाई सेना के एक हवाई हमले में तुर्की के 33 सैनिक मारे गए। हमला गुरुवार शाम उत्तर-पश्चिमी सीरिया के इदलिब शहर में हुआ। हमले के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई।

अमेरिका-तालिबान में शांति समझौता

शनिवार, 29 फरवरी :
अफगानिस्तान में शांति के लिए अमेरिका और तालिबान ने शनिवार को कतर में ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। समझौते में अमेरिका ने कहा है कि अगर तालिबान शांति समझौते का पालन करता है तो अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों की सेना 14 महीने के भीतर अफगानिस्तान छोड़ देंगी।

जानें-समझें

अफगान शांति समझौता

कैसे सधेंगे भारत के कूटनीतिक हित

दीपक रस्तोगी

'दो हा में हमने जो देखा, उससे आश्चर्य नहीं हुआ। हर कोई जानता था कि क्या होने जा रहा है। यह 17 ट्रेलर के बाद आखिरकार पाकीजा फिल्म देखने जैसा था। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है।' विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दिल्ली के एक सेमिनार में जब यह कहा तो स्पष्ट हो गया कि अमेरिका-तालिबान शांति समझौते को लेकर भारत बहुत आश्वस्त नहीं है। अपने कूटनीतिक हितों को लेकर भारत फूंक-फूंककर कदम उठाने की तैयारी में है। शांति समझौते के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भारत के कूटनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं। भारतीय राजनयिक अपनी अफगानिस्तान नीति की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। इसकी शुरुआत तभी हो गई, जब शांति समझौते के दस्तखत के मौके पर विदेश सचिव दो दिनों तक काबुल में डेरा डाले रहे और भारत समर्थक माने जाने वाले अफगानिस्तान के मौजूदा नेतृत्व के नुमाइंदों से बातचीत करते रहे।

पश्चिम एशिया का मिशन और परियोजनाएं

आशंका जताई जा रही है कि भू राजनैतिक रूप से अहम अफगानिस्तान में तालिबान के कदम पसारने से वहां की नवनिर्वाचित सरकार को खतरा होगा और भारत की कई विकास परियोजनाएं प्रभावित होंगी। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में पांव पसारने के भारत के इरादों को चोट पहुंच सकती है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की लागत से कई बड़ी परियोजनाएं पूरी की हैं और इनमें से कुछ पर अभी काम चल रहा है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को करीब तीन अरब डॉलर की मदद दी है, जिससे वहां संसद भवन, सड़कों और बांध आदि का निर्माण हुआ है। भारत की अफगानिस्तान में लोकप्रियता बढ़ी है। वहां कई मानवीय और विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वहां भारत 116 सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिन्हें अफगानिस्तान के 31 प्रांतों में क्रियान्वित किया जाएगा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक अवसंरचना के क्षेत्र शामिल हैं। भारत काबुल के लिए शहतूत बांध और पेयजल परियोजना पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए भी नांगरहर प्रांत में कम लागत से घरों के निर्माण का काम भी प्रस्तावित है। बामियान प्रांत में बंद-ए-अमीर तक सड़क संपर्क, परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए जलापूर्ति तंत्र, मजार-ए-शरीफ में पॉलीटेक्नीक निर्माण, कंधार में अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना में भारत सहयोगी है।

चाबहार परियोजना का मामला

घरेलू राजनीति के मुद्दे और भारत के साथ अपने हितों को देखते हुए अफगानिस्तान सरकार, अमेरिका-तालिबान के बीच हो रही शांति वार्ता के खिलाफ थी। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक बयान में कहा भी था कि बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले समूह से शांति समझौता निरर्थक है। क्योंकि तालिबान अफगान सरकार को नहीं मानता। अफगानी सरकार ने चाबहार बंदरगाह के मुद्दे पर भारत का साथ दिया। उस बंदरगाह से होकर माल ढुलाई में काबुल अहम पड़ाव है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत ने भारी निवेश किया हुआ है, ताकि अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप के देशों से व्यापार और संबंधों को मजबूती दी जा सके। इस परियोजना को चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना की काट माना जा रहा है। ऐसे में यदि तालिबान सत्तासीन होता है तो भारत की यह परियोजना भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान के रास्ते अन्य देशों में भारत की पहुंच बाधित होगी।

तालिबान से पाकिस्तान के दोस्ताना संबंध

तालिबान और अमेरिका की शांति वार्ता और समझौता पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आइएसआइ ने अमेरिका-अफगान वार्ता में बिचौलिए का काम किया। तालिबान को अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर पाकिस्तान ही लेकर आया, क्योंकि वह अपने पड़ोस से अमेरिकी फौजों की जल्द वापसी चाहता है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका-तालिबान की वार्ता में शामिल होने के लिए ही पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले तालिबान के उप संस्थापक मुल्ला बारादर को जेल से रिहा किया था। अब आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के वापस जाते ही पाकिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। यह भारत की मुश्किल बढ़ाने वाली बात है। पाकिस्तान से तालिबान की नजदीकियों को देखते हुए तालिबानी आतंकी पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। कई सुरक्षा एजंसियां इसकी आशंका पहले ही जता चुकी हैं। दूसरे, अगर अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें मजबूत होती हैं तो वहां की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान तालिबान को सैन्य साजो-सामान मुहैया करा सकता है। क्योंकि, अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के साथ पाकिस्तान के संबंध सही नहीं है।

क्या कहते हैं जानकार

तालिबान से समझौता लंबे समय से ट्रंप की प्राथमिकता बनी हुई थी, विशेषकर अमेरिका में आगामी नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर। अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान को तरजीह दी, क्योंकि तालिबान से उसके करीबी संबंध हैं। साथ ही ट्रंप ने भारत को भी पुचकारा, क्योंकि अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में भारत बड़ा निवेशक है।
– वाप्पला बालचंद्रन पूर्व विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय

भारत और तालिबान

भारत शुरुआत से ही तालिबान का खुले तौर पर विरोध करता रहा है। भारत ने उसे मान्यता नही दी थी। भारत तालिबान के साथ हुई शांति वार्ता में भी कभी शामिल नही हुआ। तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान अफगानिस्तान में 1994 में सामने आया। तालिबान ने सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 80 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके बाद तालिबान का जन्म हुआ। दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान से तालिबान ने बहुत तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया।

व्यक्तित्व

शेफाली वर्मा : 16 साल की उम्र में जड़ा अर्धशतक

जनसत्ता संवाद

मेलबर्न में हाल में खेले गए तीसरे लीग मैच में न्यूजीलैंड को हराते हुए भारत महिला टी-20 विश्व कप 2020 के फाइनल में पहुंच गया। आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को तीन रन से हराने के बाद भारत ने अपनी जीत की हैट्रिक भी पूरी की। इस जीत का सेहरा टीम इंडिया की 16 साल की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के सिर सजा। अपना पहला टी-20 विश्व कप खेल रहीं शेफाली ने चार चौके और तीन छक्कों की मदद से 34 गेंदों पर 46 रन बनाए। हरियाणा की इस खिलाड़ी को लगातार दूसरे मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में 29 रन और दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ तेज 39 रन ठोकने के बाद शेफाली ने कहा कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। शेफाली कहती हैं, 'मैं लगातार ऐसा प्रदर्शन करना चाहती हूं। मैंने ढीली गेंदों का इंतजार किया और उन पर बड़े शॉट खेले।' शेफाली ने इसी अंदाज में खेलना जारी रखा और 15 साल 285 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पचासा जड़कर ऐसा करने वालीं सबसे कम उम्र की भारतीय बन गईं। उन्होंने अपने प्रेरणास्रोत सचिन तेंदुलकर के 30 साल पुराने रेकॉर्ड को तोड़ा, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 49 गेंदों पर 73 रन बनाए। जब इस साल शेफाली ने सचिन के साथ फोटो खिंचाई, तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'सचिन सर की वजह से मैंने इस खेल को अपनाया।'

सचिन को शेफाली ने 2013 में हरियाणा के रोहतक में देखा। तब वे अपना आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच खेलने रोहतक गए थे। तब शेफाली वर्मा 10 साल की थी। उनके पिता संजीव वर्मा ने बताया कि किस तरह फ्री पास के लिए लाठीचार्ज हो गया था। संजीव वर्मा के मुताबिक, 'फ्री पास के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज तक हो गया लेकिन मैं, शेफाली, उसके बड़े भाई साहिल और अपने लिए तीन पास पाने में कामयाब रहा।' रोहतक का लाहली स्टेडियम, शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर है।

तब शेफाली ने सचिन को खेलते देखा, दर्शकों की प्रतिक्रिया देखी। उसके के बाद, शेफाली ने मुझसे कहा कि वह अब टेनिस बॉल से नहीं, लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना चाहती हैं। छह साल बाद, शेफाली ने अपने आदर्श सचिन की तरह प्रशंसकों को खुशियों के मौके दिए। वह भारतीय महिला टीम की फायर-स्टार्टर और लाइफसेवर रहीं। सहवाग की तरह अंदाज और गेल की तरह निर्भीक छक्के लगाने के साथ, रोहतक की 16 साल की शेफाली ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

शेफाली का टूर्नामेंट स्ट्राइक रेट 161 का है, न्यूनतम 50 रनों के साथ इसमें कोई बल्लेबाज नहीं आती। भारत ने चार मैचों में 12 छक्के लगाए हैं, लेकिन हरियाणा की इस खेल प्रतिभा ने इनमें से नौ छक्के लगाए, जो टूर्नामेंट में सर्वोत्कृष्ट है। शेफाली के कोच संजय बधवार कहते हैं कि शेफाली की थाई, पेट और हेलमेट पर चोटें लगीं, लेकिन वे हमेशा निर्भीक अंदाज में खेलीं।

www.readwhere.com

व्यापमं घोटाला : पूर्व परीक्षा नियंत्रक की 58.48 लाख की संपत्ति जब्त

इंदौर, 2 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले के प्रमुख आरोपियों में शामिल एक पूर्व सरकारी अफसर की 58.48 लाख रुपए मूल्य की बेहिसाब संपत्तियों को विशेष अदालत ने सोमवार को जब्त करने का आदेश दिया। ये संपत्तियां लोकायुक्त पुलिस के छह साल पहले मारे गए छापों से सामने आई थीं।

विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने व्यापमं के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी की 58 लाख 48 हजार 260 रुपए मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत यह फैसला सुनाया।

त्रिवेदी की जब्त संपत्तियों में इंदौर जिले में एक भूखंड और एक कृषि भूमि, भोपाल जिले में एक फ्लैट, एक चौपहिया वाहन और अलग-अलग बैंकों की सावधि जमा (एफडी) योजनाओं में 4.70 लाख रुपए का निवेश शामिल है। इन संपत्तियों में इंदौर का 39.06 लाख रुपए मूल्य का केवल एक भूखंड त्रिवेदी के नाम पर दर्ज है, जबकि अन्य अचल संपत्तियां व्यापमं घोटाले के आरोपी की पत्नी और बेटे के नाम से खरीदी गई थीं।

विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि पहली नजर में निर्धारित किया जाता है कि अन्य संपत्तियां भी वास्तव में त्रिवेदी की ही हैं और उनकी पत्नी व बेटा उन्हीं के लिए इन संपत्तियों को धारण करते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ये सभी संपत्तियां त्रिवेदी ने शासकीय सेवा के दौरान अवैध साधनों से अर्जित की थीं।

विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि व्यापमं घोटाले के कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे त्रिवेदी के इंदौर और भोपाल के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने 29 जनवरी, 2014 को छापे मारे थे। छापों में उनकी चल-अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ था। 2013 में सामने आया व्यापमं घोटाला गिरोहबाजों, अधिकारियों और सियासी नेताओं की कथित सांठगांठ से राज्य सरकार की सेवाओं और पेशेवर पाठ्यक्रमों में सैकड़ों उम्मीदवारों के गैरकानूनी प्रवेश से जुड़ा है। व्यापमं की आयोजित प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसका आधिकारिक नाम बदलकर प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड कर दिया था।

राज्यसभा : जब विपक्ष के नेता की सीट पर उनके साथ जा बैठे पीयूष गोयल

सुशील राघव
नई दिल्ली, 2 मार्च।

दिल्ली हिंसा को लेकर संसद के उच्च सदन में सोमवार को विपक्ष के सदस्यों ने हंगामे और नारेबाजी के बीच सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की मान-मनौव्वल और सदन चलाने की कोशिशें भी देखी गईं। सोमवार दोपहर राज्य सभा कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग की और नारेबाजी करते हुए आसन के सामने पहुंच गए।

इसी बीच उपसभापति हरिवंश ने सभी विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर जाने को कहा और मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को चर्चा एवं पारित कराने के लिए नाम लिया।

निशंक विधेयक पेश कर बैठ गए। उपसभापति ने कहा कि क्या उन्हें विधेयक पर कुछ कहना भी है? इसके बाद एचआरडी मंत्री ने विधेयक के पक्ष में भाषण शुरू कर दिया। दूसरी ओर, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाम दलों के सदस्य आसन के सामने आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ सदस्यों ने मुंह पर काली पट्टी भी बांधी थी। शोरशराबे के बीच निशंक भाषण पढ़ रहे थे और सत्ता पक्ष बीच-बीच में मेज थपथपाकर उनका समर्थन कर रहा था।

सदन में कुछ सदस्य इस स्थिति को टालने की कोशिश में दिखे। सबसे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश सत्ता पक्ष की ओर आए और उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से कुछ कहा। कुछ देर तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। इसके बाद रमेश सदन के नेता थावरचंद गहलोत की सीट तक गए और उनसे बातचीत की। लगातार चल रहे व्यवधान के बीच रेल मंत्री विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की सीट तक गए और उनके साथ बैठकर कुछ देर बातचीत की। फिर रेल मंत्री उठकर वापस आ गए।

इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। दोपहर ढाई बजे के आसपास उपसभापति ने सदन की कार्यवाही तीन मार्च सुबह ग्यारह बजे तक स्थगित कर दी।

पहली से तीसरी पंक्ति में आए निशंक : निशंक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पेश करते समय पहली पंक्ति से भाषण दे रहे थे। उनके सामने विपक्ष के सदस्य नारेबाजी और शोरशराबा कर रहे थे, जिससे भाषण में लगातार व्यवधान पड़ रहा था।

संजय सिंह के नेतृत्व में नारेबाजी : उच्च सदन में सोमवार को हुई नारेबाजी का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह कर रहे थे। वह बार-बार नया नारा उछालते और उनके पीछे अन्य सदस्य उनका अनुसरण करते।

दिल्ली दंगा : संसद परिसर में विपक्ष ने किया प्रदर्शन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर संसद के भीतर हंगामा करने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप) और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने राजधानी में हुए दंगों के खिलाफ सोमवार को संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष अलग-अलग प्रदर्शन किया।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुआई में पार्टी सांसदों ने प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। संसद परिसर में प्रदर्शन से पहले पार्टी सांसदों ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक रणनीतिक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में दिल्ली हिंसा को लेकर संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई।

बापू की प्रतिमा के सामने राहुल गांधी की अगुआई में मौजूद कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग वाले बैनर और तख्तियां ले रखी थीं। उन्होंने 'गृह मंत्री इस्तीफा दो' और 'नफरत की भाषा बंद करो' के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और कई अन्य सांसद मौजूद रहे। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर धरना दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा के मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। वे सरकार से इस पर जवाब देने की मांग कर रहे थे।

विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा करने के लिए भी नोटिस दिया है। नोटिस देने वालों में अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस), एन के प्रेमचंद्रन (आरएसपी), पी के कुन्हालीकुट्टी (मुसलिम लीग), इलामरम करीम (माकपा) और बिनय विश्वाम (भाकपा) आदि हैं।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी व तरुण गोगोई ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने यह मांग जोरशोर से उठाई कि दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा कराने का उसे समय दिया जाना चाहिए क्योंकि देश की राजधानी में हुई हिंसा की देश में ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा हो रही है। यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन को बताना चाहिए कि इस हिंसा के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। चौधरी ने कहा कि विपक्ष में होने के नाते हम यह पर्दाफाश जरूर करना चाहते हैं कि आखिर कौन लोग इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

दिल्ली में कोरोना की दस्तक, सरकार सतर्क

पेज 1 का बाकी

के नमूने जांच के लिए पुणे की प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। वहां से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरी ओर एअर इंडिया ने 25 फरवरी की वियना-दिल्ली उड़ान में कोरोना वायरस संक्रमित एक यात्री के होने के कारण चालक दल के सभी सदस्यों को 14 दिनों के लिए अपने-अपने घरों में पृथक रहने को कहा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक जयपुर में एक इतालवी पर्यटक के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि 29 फरवरी को लिए गए पहले नमूने में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन सेहत में लगातार गिरावट आने के बाद दूसरे नमूने की जांच की गई और सोमवार को उसके कोरोना वायरस के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। शर्मा के मुताबिक चूंकि रिपोर्ट में अंतर है, इसलिए नमूने को परीक्षण के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया है।

हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दो और मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है और वह इटली की यात्रा पर गया था। वहीं, दूसरा व्यक्ति तेलंगाना का है और वह दुबई से वापस आया है। मंत्री ने बताया कि दोनों लोगों ने खुद ही सरकार को बताया था कि उनमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लक्षण हैं। इसके बाद उनके नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां इन दोनों व्यक्तियों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इन दोनों लोगों को सरकारी अस्पताल में अलग करके इलाज शुरू कर दिया गया। दोनों की स्थिति स्थिर है। मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 65 देशों में सामने आ चुके हैं और दस देशों में इस वायरस ने लोगों की जान ली है। उन्होंने बताया कि चीन से बाहर अब तक 139 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है जबकि चीन में इससे 2912 लोगों की मृत्यु हुई है।

हर्षवर्धन ने बताया कि हम 12 देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रिनिंग कर रहे हैं। इसके लिए 21 हवाई अड्डों, 77 बंदरगाहों और सीमा पर कई जगहों पर स्क्रिनिंग हो रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 5.57 लाख से अधिक यात्रियों की हवाई अड्डे पर, 12,431 यात्रियों की स्क्रिनिंग बंदरगाहों पर और 10.24 लाख लोगों की सीमा पर स्क्रिनिंग हो चुकी है। इनमें से 25 हजार से अधिक यात्रियों पर उनके घर पर ही कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब तक 3217 नमूनों को प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा गया था जिसमें से सिर्फ 5 नमूने की संक्रमित पाए गए हैं।

इस बीच, तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित 24 वर्षीय युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे हैदराबाद के सरकारी गांधी अस्पताल में बनाए गए पृथक वार्ड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति ने पिछले महीने दुबई में हांगकांग के लोगों के साथ काम किया था और संदेह है कि इस दौरान वह विषाणु के संपर्क में आया। राजेंद्र ने बताया कि युवक 19/20 फरवरी की रात बंगलुरु आया था और बाद में बस से हैदराबाद पहुंचा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक हैदराबाद आने पर युवक ने बुखार का इलाज कराया था और बाद में उसे शहर के एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भर्ती कराया गया था। उसे रविवार शाम को सरकारी गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया।

छात्रा से बलात्कार : 11 दोषियों को ताउम्र कैद की सजा

रांची, 2 मार्च (भाषा)।

रांची में लॉ यूनिवर्सिटी की 25 साल की एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए सभी 11 व्यक्तियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उन्हें अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया। अदालत ने सभी दोषियों को पीड़िता को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह घटना पिछले साल 26 नवंबर को कांके के संग्रामपुर इलाके में हुई थी।

रांची के न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने रेकॉर्ड तीन महीने में इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 26 फरवरी को सभी 11 अभियुक्तों को सामूहिक बलात्कार का दोषी करार दिया था।

इस मामले में पकड़े गए 12 आरोपियों में से एक बालिग नहीं था। उसके मामले की सुनवाई अलग से किशोर बोर्ड में चल रही है। इस मामले में जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है उनमें सुनील उरांव, कुलदीप उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव शामिल हैं।

अदालत ने इस मामले को संगीन अपराध मानते हुए सामूहिक बलात्कार से जुड़ी धारा 376 डी के तहत जहां सभी दोषियों को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 367 के तहत अपहरण कर छात्रा को प्रताड़ित करने के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों को पीड़ित छात्रा को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना देने की भी सजा सुनाई।

घटना उस समय की है, जब पीड़िता अपने मित्र के साथ कांके इलाके में शाम को बैठकर बातचीत कर रही थी। दोषियों ने शाम लगभग साढ़े पांच बजे उसका अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था।

तालिबान ने खत्म किया संघर्षविराम

पेज 1 का बाकी

समझौते के एक अहम अंश को खारिज कर दिया था, जिसमें हजारों चरमपंथी कैदियों को रिहा करने की बात है। उन्होंने कहा कि हिंसा में कमी पूर्ण युद्धविराम का लक्ष्य हासिल करने तक जारी रहेगी। उन्होंने अफगानिस्तान में विदेशी सेना के प्रभारी अमेरिकी कमांडर का जिक्र करते हुए कहा कि कैदियों की रिहाई की बात अमेरिका के साथ हुई है, हमारे साथ नहीं। इस मुद्दे पर हम ओस्लो में अंतर-अफगान वार्ता में बात करेंगे।

पूर्वी अफगानिस्तान में विस्फोट में तीन लोगों की मौत, 11 अन्य घायल

पूर्वी अफगानिस्तान में फुटबॉल मैच के दौरान हुए विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। तालिबान के आंशिक संघर्षविराम खत्म करने की घोषणा के बाद यह विस्फोट हुआ है। पूर्वी खोस्त प्रांत के पुलिस प्रमुख सैयद अहमद बाबाजई ने कहा, 'फुटबॉल मैच के दौरान मोटरसाइकिल में लगे बम में विस्फोट हो गया।' हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। (एजंसियां)

यूरोपीय संघ ने खतरे को 'मध्यम' से 'उच्च' किया

पेज 1 का बाकी

और अमेरिका समेत विभिन्न देशों में मौत के नए मामले सामने आए। यह अब तक 70 देशों में फैल चुका है। इस कोरोना वायरस 88,000 से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका है, जिसमें से अकेले चीन में 80,000 से ज्यादा मामले हैं।

इसके मद्देनजर यूरोपीय संघ ने खतरे की चेतावनी बढ़ा दी। उर्सुला ने बताया, 'ईसीडीसी ने यूरोपीय संघ के लोगों के लिए कोरोना वायरस के खतरे को आज मध्यम से बढ़ाकर उच्च श्रेणी में कर दिया है। दूसरे शब्दों में, विषाणु का फैलना जारी है।'

कोरोना वायरस से फ्रांस में तीसरी मौत की जानकारी सामने आई है। थाईलैंड में डॉक्टरों ने 35 साल के एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। वाशिंगटन में स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। यह अमेरिका में इस वायरस से मौत का दूसरा मामला है।

इस बीच, सिंगापुर में कोरोना वायरस के चार और मामले सामने आए हैं। पीड़ितों में एक जापानी नागरिक तथा म्यांमा और फिलीपींस के दो घरेलू सहायक शामिल हैं। संक्रमण के मरीज साइंस पार्क हब में विजलर्न टेक्नोलॉजीज के एक क्लस्टर से हैं। अन्य मामला 54 साल का जापानी नागरिक का है। सिंगापुर में कोरोना वायरस के कुल 106 मामले हो गए हैं, जिसमें 74 मरीज ठीक हो गए हैं।

चीन में कोरोना वायरस से 42 और मौतें होने की सूचना है। इसीके साथ देश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़ कर 2912 हो गई है। इस महामारी से दुनिया भर में 3,000 लोगों की जान चली गई है और 88,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।

कोरोना वायरस ने ईरान में 50 लोगों की जान ले ली है। इससे इटली में 34 और दक्षिण कोरिया में 22 लोगों की मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रविवार को पहला मामला सामने आया।

इंडोनेशिया में सोमवार को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। जकार्ता के एक अस्पताल में 64 साल की एक महिला और उनकी 31 वर्षीय बेटी की जांच कराई गई थी, जिसमें उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मिस्र में सोमवार को कोरोना वायरस के दूसरे मामले की पुष्टि हुई। इससे दो हफ्ते पहले देश में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। मिस्र की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से जारी संयुक्त बयान के मुताबिक एक विदेशी में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामूली लक्षण पाए गए हैं और उसे पृथक रखा गया है।

यूएन ने भारत से इजराइल-फिलिस्तीन में मध्यस्थता को कहा

पेज 1 का बाकी

मंत्री एस जयशंकर एवं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बात रखी। प्रतिनिधिमंडल ने जयशंकर से मुलाकात में कहा कि भारत दोनों देशों के बीच शांति समाधान के लिए राजीनतिक और कूटनीतिक समर्थन की जमीन तैयार कर सकेगा।

संरा की समिति (कमेटी ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ द पैलेस्टाइनियन पीपल) के अध्यक्ष (सेनेगल के प्रतिनिधि), सदस्य (इंडोनेशिया एवं मलेशिया) एवं फिलिस्तीन (पर्यवेक्षक) ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस समिति के आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक, हमारा इरादा भारत को इस प्रक्रिया में शामिल करना है, क्योंकि दोनों देशों से भारत के संबंध अच्छे हैं। वह दोनों राष्ट्रों के समाधान में यकीन करता है जिसमें इजराइल और भविष्य में बनने वाला फिलिस्तीन- दोनों का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो। दो राष्ट्र समाधान स्वतंत्र इजराइल और स्वतंत्र फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कल्पना करता है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में दोनों देशों के बीच 25 साल के राजनयिक रिश्तों के मौके पर इजरायल का दौरा किया था। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। फरवरी 2018 में मोदी ने फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा की और इस बार वह इजरायल नहीं गए। ऐसा करके जहां मोदी ने यह संदेश दिया था कि भारत का दोनों देशों से निकट का संबंध है। उसे दोनों देशों के संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं है।

सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार : प्रधानमंत्री

पेज 1 का बाकी

दी है। प्रधानमंत्री ने इसकी वजह नहीं बताई। यह खबर लिखे जाते समय उनके इस ट्वीट को पांच हजार से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका था। 15 हजार से ज्यादा लोगों ने पसंद (लाइक) किया। वे सोशल मीडिया के विभिन्न अकाउंट पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया के जरिए दुनियाभर में लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं।

वे ट्विटर पर 2009 में आए। इस साल आम चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट इतनी ज्यादा बार रीट्वीट किया गया कि सोशल मीडिया कंपनी ने उसे गोल्डन ट्वीट ऑफ 2019 घोषित किया। इस गोल्डन ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा था, 'सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत'।

18 सौ से ज्यादा बार घनघनाया दिल्ली पुलिस का फोन

पेज 1 का बाकी

जानकारी दी। इस दौरान दक्षिणी जिले की पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत दो मामले दर्ज कर 18 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि रविवार शाम को अचानक दिल्ली में दंगे की अफवाह फैलनी शुरू हो गई। तिलक नगर, उत्तम नगर, जाकिर नगर, बदरपुर से लेकर सागरपुर और मंगोलपुरी तक हिंसा की अफवाह फैली। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सहित अन्य आवासीय कॉलोनियों में सुरक्षा गार्डों ने गेट बंद कर लिए। बाजार भी बंद होने लगे। दहशत में कुछ लोगों ने तो खुद को दुकानों के अंदर ही बंद कर लिया। उत्तम नगर में लोग गलियों में पहरा देने लगे। नागलोई, सूरजमल स्टेडियम, बदरपुर, तुगलकाबाद, उत्तम नगर पश्चिम और नवादा मेट्रो स्टेशनों के भी सभी गेट बंद कर दिए गए।

पुलिस ने बताया कि राजौरी गार्डन में वह जुआरियों को पकड़ने गई थी। पुलिस जुआरियों के पीछे भाग रही थी कि लोगों को लगा कि हिंसा फैल गई है। इस दौरान जैतपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई के कारण हिंसा की अफवाह को और बल मिला।

इस बाबत दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मंदीप सिंह रंधावा ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और स्थिति नियंत्रण के बीच अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

लोकसभा में धक्कामुक्की, राज्यसभा में भी हंगामा

पेज 1 का बाकी

की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर पिछले दिनों बिहार के वाल्मीकि नगर से जद (एकी) सदस्य वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन के कारण उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनके सम्मान में बैठक को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही दो बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए व कुछ विधेयक भी पेश किए गए। इस दौरान कांग्रेस व द्रमुक सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाने लगे।

कांग्रेस सदस्यों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर गृह मंत्री इस्तीफा दो, सेव इंडिया, अमित शाह इस्तीफा दो-के नारे लिखे थे। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान से ही नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 पर चर्चा शुरू करवाने का निर्देश दिया। भाजपा के संजय जायसवाल जब चर्चा में हिस्सा ले रहे थे तभी कांग्रेस के गौरव गोगोई, रवनीत सिंह बिट्टू-गृह मंत्री इस्तीफा दो लिखा बैनर लेकर सत्तापक्ष की सीटों के पास आ गए। फिर विपक्ष के सदस्य जायसवाल के सामने बैनर लेकर आ गए जो उस समय विधेयक के बारे में बोल रहे थे। इसके बाद कांग्रेस व भाजपा सदस्यों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी आपस में उलझे विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच बचाव करते देखा गया।

विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की बैठक अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तीन बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। हंगामा थमता नहीं देख पीठासीन सभापति रमा देवी ने सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर, राज्यसभा में भी विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर सोमवार को चर्चा कराने की मांग पर भारी हंगामा किया जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब ढाई बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने बैठक शुरू होने पर सूचीबद्ध दस्तावेज सदन पटल पर प्रस्तुत कराने के बाद कहा कि वह इस विषय पर नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और संबद्ध मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद ही चर्चा का समय तय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर इसका विरोध करते हुए इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की।

इस बीच तृणमूल कांग्रेस की शांता क्षेत्री सहित पार्टी के तीन सदस्य आंख पर काली पट्टी बांध कर अपने स्थान पर खड़े हो गए। नायडू ने कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन की सदन में अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में चर्चा कराने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस के कुछ सदस्यों को आसन के करीब आते देख नायडू ने सदन की बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन में हंगामे के बीच ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विधेयक को चर्चा के लिए रखा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए देश के तीन मानद् संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा शुरू हुई लेकिन हंगामा थमता न देख उपसभापति ने बैठक को दोपहर करीब ढाई बजे, पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

कांग्रेस सांसद राम्या का भाजपा की जसकौर पर मारपीट का आरोप

पेज 1 का बाकी

मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसदों पर भाजपा की महिला सांसदों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले की शिकायत करने की बात कही। कांग्रेस सांसद राम्या हरिदास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष की गई लिखित शिकायत में कहा कि दो मार्च को दोपहर तीन बजे लोकसभा में भाजपा सदस्य जसकौर मीणा द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई। उन्होंने सवाल किया-क्या मेरे साथ ऐसा बार-बार इसलिए होता है क्योंकि मैं एक दलित और महिला हूं? राम्या ने कहा कि संबंधित भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

दूसरी ओर भाजपा सांसद जसकौर मीणा ने संवाददाताओं से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने लोकसभा में बैनर खोला तो मेरे सिर पर लगा। मैंने उन्हें आगे बढ़ने को कहा। मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया। वहीं यह दलित शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं तो मैं भी एक दलित महिला हूं।

इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा-कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में भाजपा की महिला सदस्यों से दुर्व्यवहार किया। मैं लोकसभा अध्यक्ष से अपील करूंगी कि वह उनके (कांग्रेस सदस्यों) खिलाफ संभव कठोरतम कार्रवाई करें। उन्होंने आरोप लगाया-पिछले दो-तीन सत्र से कांग्रेस के गुंडा तत्व सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं।

पीठ सुनवाई से हुआ अलग

पेज 1 का बाकी

का मामला दायर कराया है। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के पीठ के सामने चिन्मयानंद से संबंधित दो मामले सूचीबद्ध थे। इनमें दूसरा मामला चिन्मयानंद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अदालत में लंबित मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने से संबंधित था।

पीठ ने इनकी सुनवाई से खुद को अलग करते हुए अपने आदेश में कहा, 'प्रधान न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करके दोनों मामलों को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाये जिसके सदस्य न्यायमूर्ति भानुमति और न्यायमूर्ति बोपन्ना नहीं हों।' याचिकाकर्ताओं की /इ बाकी पेज 8 पर /इओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विज ने कहा कि इन मामलों पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए।

पीठ ने न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि दोनों मामलों को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए उचित आदेश प्राप्त किए जाएं। हाई कोर्ट ने तीन फरवरी को चिन्मयानंद को शाहजहांपुर में उनके ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की छात्रा के यौन शोषण के मामले में जमानत दे दी थी। चिन्मयानंद को पिछले साल 20 सितंबर को विशेष जांच दल ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत पर रिहा करने के आदेश में कहा था कि दोनों ही पक्षों ने अपनी सीमाएं लांघी और इस समय यह कहना बहुत मुश्किल है कि किसने किसका शोषण किया। वास्तव में दोनों ने ही एक दूसरे का इस्तेमाल किया।

वृहद पीठ में नहीं सुनी जाएंगी याचिकाएं

पेज 1 का बाकी

यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस मामले हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर करने वाले एक व्यक्ति ने इस मामले को वृहद पीठ को सौंपने का अनुरोध किया था। इनका कहना था कि अनुच्छेद 370 के बारे में 1959 के प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर और 1970 के संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर के शीर्ष अदालत के दो परस्पर विरोधी फैसले हैं, इसलिए पांच न्यायाधीशों का पीठ इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है।

संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील से असहमति जताते हुए कहा कि उसकी राय में इन फैसलों में कोई परस्पर विरोधाभास नहीं था।

www.readwhere.com

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षे.का. दिल्ली (उत्तर एवं मध्य) 1398, पहला तल, चाँदनी चौक, दिल्ली. फोन: 011-23832226

शुद्धि पत्र

कृपया 23.02.2020 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित 27.03.2020 को अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी एक्ट, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना) के विज्ञापन का संदर्भ लें। क.सं. 3 के एनईपीजेड, नोएडा शाखा - खाता का नाम: मैसर्स न्यू एज एप्पैरल्स प्रा.लि. में सुरक्षित परिसम्पत्ति का विवरण एवं कब्जे का प्रकार गलत प्रकाशित हुआ है। कृपया सुरक्षित परिसम्पत्ति का विवरण इस प्रकार पढ़ें: "प्लॉट नं.342, उद्योग केन्द्र II, ईकोटेक III, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201306, एरिया 451.20 वर्ग मीटर में स्थित भवन, स्वामी - मैसर्स न्यू एज एप्पैरल्स प्रा.लि." कृपया सही कब्जे का प्रकार इस प्रकार पढ़ें: "प्रतीकात्मक कब्जा" अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

अमृत कॉर्प. लि.

CIN: L15141UP1940PLC000946

पंजी. कार्यालयः सीएम/28, प्रथम् तल, गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जी.टी. रोड, गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.)
कॉर्पो. कार्यालयः अमृत कॉर्पोरेट सेन्टर, ए-95, सेक्टर-65, नोएडा-201309 (उ.प्र.)
Ph.: 0120-4506900; Fax: 0120-4506910 E-mail: info@amritcorp.com
Website: www.amritcorp.com

बोर्ड की बैठक तथा 2रे अंतरिम लाभांश, यदि घोषित होता है, के लिये अभिलिखित तिथि की सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''सूचीयन विनियमन'') के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 12 मार्च, 2020 को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित होगी जिसमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिये दूसरे अंतरिम लाभांश पर विचार तथा घोषणा की जायेगी।

पुनः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सूचीयन विनियमन के विनियमन 42 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि यदि गुरुवार, 12 मार्च, 2020 को आयोजित होने वाली उसकी निर्धारित बैठक में बोर्ड द्वारा यदि स्वीकृत होता है, दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिये मंगलवार, 24 मार्च, 2020 अभिलिखित तिथि होगा।

दूसरे अंतरिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जायेगा जिनके नाम अभिलिखित तिथि अर्थात् मंगलवार, 24 मार्च, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे।

उपरोक्त विवरण स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

अमृत कॉर्प लि. के लिये
हस्ता./-
(पी.के. दास)
कम्पनी सचिव

तिथिः 28.2.2020
स्थानः गाजियाबाद

NOTICE

Notice is hereby given that the following 38 forms issued by **M/s Stellar Ventures (P) Ltd** have been misplaced and not traceable. If found, inform to the Stellar Ventures (P) Ltd C-56/9, Sector-62, Noida

S. No.	Form-38 No.	S. No.	Form-38 No.	S. No.	Form-38 No.
1	71198	24	793623	47	1794321
2	310779	25	850009	48	337320
3	310780	26	1199664	49	913837
4	310781	27	1438035	50	914512
5	84566	28	1454987	51	1262139
6	11238	29	1611672	52	1263163
7	432268	30	1611673	53	1263179
8	432272	31	1711538	54	1263207
9	582618	32	135733	55	1263208
10	224550	33	135739	56	1263209
11	444589	34	196960	57	1263651
12	15804	35	196961	58	1263652
13	134988	36	264619	59	1263695
14	134989	37	297114	60	1263696
15	414798	38	326335	61	1475124
16	414799	39	326336	62	1475971
17	383303	40	1644445	63	1475975
18	383306	41	1656930	64	1476011
19	412797	42	1792669	65	1476012
20	890035	43	1792685	66	1476032
21	960632	44	1792739	67	1476049
22	960637	45	1794228		
23	103154	46	1794320		

KEI केईआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : डी-90, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020
सीआईएन : L74899DL1992PLC051527
दूरभाष : +91-11-26818840 / 8642 / 5558 / 5559 फैक्स : +91-11-26811959 / 7225
ई-मेल : cs@kei-ind.com
वेबसाइट : www.kei-ind.com

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं विनियम 47 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर अन्तरिम लाभांश की घोषणा पर विचार करने तथा अनुमोदन करने हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक सोमवार, 9 मार्च, 2020 को आयोजित कीजिए।

पुनः कम्पनी द्वारा निर्मित इनसाइडरों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित, निगरानी तथा रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी की ट्रेडिंग विंडो समस्त प्रतिष्ठि कर्मचारियों के लिए 03 मार्च, 2020 से बोर्ड की बैठक की समाप्ति के 48 घण्टे तक अर्थात 11 मार्च, 2020 तक (दोनों तिथियाँ शामिल) बन्द रहेगी।

निवेशक अधिक विवरण कम्पनी की वेबसाइट (www.kei-ind.com) तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) देख सकते हैं।

कृते केईआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
ह./-
(राजीव गुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त) तथा सीएफओ

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 02.03.2020

अनुसूची II
प्रपत्र ख
सार्वजनिक घोषणा
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

जे.एल. निट इण्डिया लिमिटेड के हितधारकों के अवधानार्थ सुसंगत विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	जे.एल. निट इण्डिया लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	18.01.1993
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U17303DL1993PLC051784
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सी-21, मानसरोवर गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015
6.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	16.02.2020
7.	कार्पोरेट देनदार के परिसमापन के आरंभन की तिथि	25.02.2020 किन्तु परिसमापक से 27.02.2020 को सम्पर्क किया गया
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	सन्दीप कुमार भट्ट पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के रूप में परिसमापक का पता तथा ई-मेल	पता : 83बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110091 ई-मेल : skbmica@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ होने वाले पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल	पता : 83बी, पॉकेट-IV, मयूर विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110091 ई-मेल : cirp.jlknit@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	28.03.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (पीठ-III) ने संहिता की धारा 33 के तहत 25.02.2020 (किन्तु परिसमापक से 27.02.20 को सम्पर्क किया गया) को जे.एल. निट इण्डिया लिमिटेड के परिसमापन प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है (इसी की एक प्रति परिसमापक द्वारा 24.12.2019 को प्राप्त की गयी)।

एतद्द्वारा जे.एल. निट इण्डिया लिमिटेड के हितधारकों को मद सं. 10 के सम्मुख उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 28.03.2020 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

ह./-
सन्दीप कुमार भट्ट
परिसमापक

तिथिः 03.03.2020
स्थानः नई दिल्ली   पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298

ALAN SCOTT INDUSTRIESS LIMITED

(CIN: L99999MH1994PLC076732)
("ASIL" / TARGET COMPANY"/"TC")
Registered Office: 39, Apurva Industrial Estate, Makwana Road, Off. Andheri Kurla Road, Mumbai-400 059
Phone No. +91-96532 38501; Email: alanscottindustrieslimited@gmail.com; Website: www.alanscottind.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of Alan Scott Industriess Limited ("ASIL" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations")

Date	02.03.2020
Name of the Target Company	Alan Scott Industriess Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer to acquire up to 1,78,199 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00 % of the total equity and voting share capital of the Target Company, to be acquired by the Acquirer along with PAC, at a price of Rs. 25/- per Equity share payable in cash in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
Name(s) of the Acquirers and PAC with the Acquirers	Mr. Sureshkumar Pukhraj Jain (hereinafter referred to as "the Acquirer") Mr. Pranav Dangi (hereinafter referred to as "the PAC")
Name of the Manager to the offer	Navigant Corporate Advisors Limited
Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Chairman: Mr. Jaymin Modi Member: Mr. Mahendra Balkrishan Dave
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	IDC Members are the Independent Directors of the Target Company. Neither Chairman nor Member of IDC holds any equity shares in the Target Company. None of them have entered into any other contract or have other relationship with the Target Company.
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	No trading has been done by the IDC Members in the equity shares/ other securities of the Target Company since their appointment.
IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirer.
Trading in the Equity shares/other securities of the acquirers by IDC Members	Not Applicable
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	The IDC Members believes that the Open Offer is fair and reasonable. However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter.
Summary of reasons for recommendation	IDC recommends acceptance of the Open offer made by the Acquirer as the Offer price of Rs. 25/- per fully paid up equity share is fair and reasonable based on the following reasons: 1. The Offer price appears to be reasonable considering that there is no major business activities in the Target Company. 2. The offer price of Rs. 25/- per fully paid up equity share offered by the Acquirer is equal than price paid by Acquirer in SPA to Sellers and for shares acquired of Target Company. 3. The equity shares of the Target Company are infrequently traded shares within the meaning of explanation provided in Regulation 2(j) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. 4. The offer price of Rs. 25/- per fully paid up equity share offered by the Acquirer is higher than the Fair Value of equity share of the Target Company which is Rs. 12.22/- (Rupees Twelve and Paisa Twenty Two only) as certified by CA Pravin Chandak (Membership No. 049391), Partner of Pravin Chandak & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 116627W), having their office situated at 403, 4th Floor, & 702/703, 7th Floor, New Swapnalok CHS Ltd, Natakwala Lane, Borivali (West), Mumbai, Maharashtra, India; Tel.No.+91-22-28016119; Email: info@pravinca.com. The said valuation is carried out considering the Supreme Court's decision in the Hindustan Lever Employee's Union vs. Hindustan Lever Ltd. (1995) reported at (83 Companies Cases 30). Keeping in view above facts IDC is of opinion that Open Offer price is fair and reasonable and is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified.
Details of Independent Advisors, if any.	None
Any other matter to be highlighted	No

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF

For **Alan Scott Industriess Limited**
Sd/-
Jaymin Modi
Chairman-Committee of Independent Directors
DIN: 07352950

Place: Mumbai
Date: 02.03.2020

पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.

(''पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट 37'' का एक ट्रस्टी)
55-56, 5वाँ तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई-400021
टेलीः 91-2261884700, फैक्सः 91-22-22846797

कब्जा सूचना [देखें नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2020 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मांग सूचना तिथि 16.12.2019 के अनुपालन में ऋणधारक को श्री अनूप दीक्षित तथा श्री संजय कुमार दीक्षित को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 22.3.2019 को रु. 1,49,17,017.00 (रुपये एक करोड़ उन्चास लाख सत्तरह हजार सत्तर मात्र) के साथ अनुबंधित दरों पर आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधोलिखित प्रतिभूति हित के साथ उक्त ऋणधारक की देयता सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 29.3.2019 के माध्यम से इंडसइंड बैंक लि. द्वारा पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट-37 (पेगासस) के ट्रस्टी की हैसियत में पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. के पक्ष में सौंप दिया है।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 27.02.2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 14917017.00 (रु. एक करोड़ उन्चास लाख सत्तरह हजार सत्तरह मात्र) 22.3.2019 को तथा उसके साथ 23.3.2019 से आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे आदि के लिये पेगासस के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

सम्पत्ति का विवरण

1. श्री संजय कुमार दीक्षित के स्वामित्व में मकान सं. 3/1031, सेक्टर-3, एचआइक्यू डुप्लेक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद 201012 में स्थित अचल आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्से के साथ उस पर भवन तथा स्ट्रक्चर।
2. श्री अनूप दीक्षित के स्वामित्व में मकान सं. 3/1032, सेक्टर-3, एचआइक्यू डुप्लेक्स वसुन्धरा, गाजियाबाद 201012 में स्थित अचल आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्से के साथ उस पर भवन तथा स्ट्रक्चर।

स्थानः गाजियाबाद
तिथिः 27.02.2020

प्राधिकृत अधिकारी
पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
(पेगासस ग्रुप वन ट्रस्ट-37 के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत)

SCHEDULE I
FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
[Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S STRAIGHT EDGE CONTRACTS PRIVATE LIMITED

1.	NAME OF CORPORATE DEBTOR	STRAIGHT EDGE CONTRACTS PRIVATE LIMITED
2.	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE PERSON	31/12/2009
3.	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE PERSONS INCORPORATED	ROC-DELHI, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
4.	CORPORATE IDENTITY NUMBER OF CORPORATE PERSON	U45400DL2009PTC197467
5.	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE OF CORPORTE PERSON	GROUND FLOOR,4, DAYANAND VIHAR MAIN VIKAS
6.	INSOLVENCY COMMENCEMENT DATE OF CORPORATE PERSON	26/02/2020
7.	ESTIMATED DATE OF CLOSURE OF INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS	23/08/2020
8	NAME AND REGISTRATION NUMBER OF INSOLVENCY PROFESSIONAL ACTING AS INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL	RANJEET KUMAR VERMA Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00301/2017-18/10859
9.	ADDRESS, EMAIL ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER	CS-53, 1F, ANSAL PLAZA, SECTOR-1, VAISHALI, GHAZIABAD-201010, INDIA. Email: ranjeet@ranjeetcs.com Contact No.: 0120-4234198
10.	ADDRESS WHERE CLAIMS TO BE SUBMITTED	G 129, 1st FLOOR, SECTOR 63, NOIDA UP 201301

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of Corporate Insolvency Resolution Process of **M/s STRAIGHT EDGE CONTRACTS PRIVATE LIMITED**

1. on 02/03/2020. (Date of appointment letter copy received)
2. The Creditors of **M/s STRAIGHT EDGE CONTRACTS PRIVATE LIMITED** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 15/03/2020 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry no. 9.
3. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only, all other creditors may submit proof in person, by post or by electronic means.
4. The claims may be submitted in the specified form in terms of Regulations 7, 8 and 9 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016: **Form B-** Operational Creditors (Other than Workman/Employee); **Form C-** Financial Creditors; **Form CA-** Allottee/Home Buyers; **Form D-** Workmen/Employee; **Form E-** Operational Creditors Representative of Workmen/Employees and **Form F-** Other Creditors. Copy of the above Forms can be downloaded from website of Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI) at **ibbi.gov.in**

Submission of false or misleading claims shall attract penalties.

Place: Ghaziabad
Date: 02/03/2020

Sd/-
Ranjeet Kumar Verma
IRP

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

ओ.बी.सी. लार्ज कॉरपोरेट शाखा, प्रथम तल, हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-49191101,49191134,49191135,49191139, फैक्स: (011) 23417236

ई-नीलामी बिक्री सूचना

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना ईएमडी (धरोहर जमा राशि) तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 18-03-2020 को सांय 4.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 (2002 की सं. 54) के अधीन बैंक के पास बंधक पड़ी चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री, जैसाकि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक की बकाया राशि की वसूली हेतु "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" उसका बेचने के अधिकार के साथ हमारी शाखाओं के पास निम्नलिखित ऋण खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन जारी की गयी सूचना के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। इसकी बिक्री वेब साइट https://ibapi.in में प्रदान किये गये ई-नीलामी लिंक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी।

चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सम्पत्ति की निरीक्षण की तिथि एवं समय	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि (जमानती कर्ज)
मैसर्स एमसन्स इंटरनेशनल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 2637, प्रथम तल, नया बाजार, दिल्ली-110006, और: 17, जमरूदपुर कम्युनिटी सैन्टर कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048. निदेशक/गारंटरः (1) श्री अनिल मोंगा (2) श्री राजेश मोंगा (3) श्री शिवाज़ मोंगा (4) श्री संजीव मोंगा (5) श्री रोशनलाल मोंगा	सम्पत्ति नं. एस-473, द्वितीय तल का फ्लैट, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 206 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मैसर्स एमसन्स इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम पर है।	₹ 154.00 लाख ₹ 15.40 लाख ₹ 1.00 लाख	19-03-2020 समय 60 मिनट दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	11-03-2020 अप. 01.00 से अप. 05.00 बजे के बीच	ओबीसी की बकाया राशि रु. 4,37,89,72,073/- दिनांक 18.12.2015 तक, इलाहाबाद बैंक की बकाया राशि रु. 1,48,10,86,664.14 दिनांक 14.01.2016 तक बैंक ऑफ बड़ौदा की बकाया राशि रु. 1,65,63,29,825.32 दिनांक 15.05.2016 तक, इण्डियन ओवरसीज बैंक की बकाया राशि रु. 2,74,53,05,197 कुल राशि 1026,16,93,759.46 साथ में भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित
गुप्ता एक्ज़िम (इंडिया) प्रा. लि., 144, डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 निदेशक/गारंटरः 1. श्री संदीप गुप्ता, 2. श्रीमती शोभाना गुप्ता 3. श्री केएल गुप्ता	मकान नं. डी-967, न्यू फ्रैन्ड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री के.एल. गुप्ता के नाम पर है।	₹ 15.59 करोड़ ₹ 1.60 करोड़ ₹ 2.00 लाख	19-03-2020 समय 60 मिनट दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	07-03-2020 अप. 01.00 से अप. 05.00 बजे के बीच	16-01-2018 रु. 520,04,32,414/- दिनांक 31.12.2017 तक + भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार

नियम व शर्तें

1. ई-नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 18.03.2020 को सांय 4.00 बजे तक है।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
4. रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त सभी सम्पत्तियां फ्री होल्ड सम्पत्तियां है। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को भागीदारी और पूर्व बोली औपचारिकताओं हेतु https://ibapi.in पर पंजीकरण करना होगा। और संपत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए और सम्पत्ति से संबंधित जानकारी हेतु श्री विजय बिहारी प्रसाद, 011-49191121, मुख्य प्रबंधक, 011-49191121, श्री एच एस फिलिप, (प्राधिकृत अधिकारी), श्री किरणजीत कुमार, प्रबंधक, 011-49191134/35/36, ई-मेलः bm0007@obc.co.in से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी वेब पोर्टल : https://ibapi.in (जिसमें यूजर आईडी तथा पासवर्ड अपना नाम https://ibapi.in पर पंजीकृत करवा कर निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं) के माध्यम से लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड के जरिये जमा करनी होगी। सुरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिये सिस्टम में जनित चालान में वर्णित खाते में देय होगी। कृपया नोट करें कि ईएमडी राशि हेतु चैक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. बोलीदाता द्वारा वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराए जाने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को पूर्व वेब पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां बोली (बोलियां) जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपलोड करनी होंगी नामतः 1) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की प्रति, 2) पैन कार्ड की प्रति, 3) पहचान का प्रमाण (केवाईसी) जैसेकि वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की स्वप्रमाणित प्रति, 4) पते के प्रमाण की प्रति ; जिनके बिना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
8. केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक और एनईएफटी के जरिये ईएमडी भुगतान की पुष्टिकारक क्रेता ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।
9. इच्छुक बोलीदाता, ईएमडी, जो सुरक्षित मूल्य के 10% से कम नहीं है, ऑनलाइन विधि से जमा कर चुके होंगे, ई-बोलीदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। उपरोक्त सम्पत्तियों की ई-नीलामी प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित नियत तिथि और समय पर बोलीदाताओं के मध्य परस्पर बोलीदान की विधि से संचालित की जाएगी। बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने "बोली वृद्धि राशि" कालम के तहत वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (असीमित विस्तार)। उच्चतम बोली (सुरक्षित मूल्य से कम नहीं) देने वाले बोलीदाता को ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा और उस प्रभाव की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी जो प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत क्रेडिटर के अनुमोदन के अधीन होगी।
10. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्राप्ति के अंश रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि (पहले अदा की गई ईएमडी सहित), प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के बाद अतिशीघ्र जमा करनी होगी तथा बोली मूल्य की शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन अथवा पूर्व अथवा एकमात्र प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार और लिखित सहमति के अनुसार विस्तारित तिथि के भीतर जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता कर्जदार का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
11. प्रत्याशित योग्यताप्राप्त बोलीदाता https://ibapi.in पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ई-नीलामी की तिथि से पूर्व प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी/बैंक किसी इंटरनेट नेटवर्क संबंधी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा इच्छुक बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे ई-नीलामी आयोजन में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार हैं।
12. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटीज/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण प्रभार इत्यादि और किसी निकाय को देय सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, उप-करों, आकलन प्रभारों, शुल्क इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
14. बैंक ने इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी ऑनलाइन बोली जमा करने में सहायता के लिए नोएडा स्थित अपने क्लस्टर कार्यालय को सरलीकरण केन्द्र नामित किया है।
15. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया निम्नलिखित लिंक्स देखें : www.obcindia.co.in/content/auctions, www.tender.gov.in and https://ibapi.in, www.eprocure.gov.in/epublish.

दिनांक 03.03.2020, स्थान : नई दिल्ली   प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इण्डियन ओवरसीज बैंक

राजेन्द्रा प्लेस शाखा
रचना बिल्डिंग, 2, राजेन्द्रा प्लेस, दिल्ली-110008
फोनः 011-25740244, ईमेलः iob0442@iob.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के प्रावधानों के अंतर्गत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्तिय जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक (प्रतिभूति क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	ऋणधारकों का नाम / गारन्टरों का नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो	कब्जा का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि भुगतान	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने की तिथि	सम्पर्क व्यक्ति एवं मोबाईल नं.
1.	मै. विबग्योर रिटेल प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 853, फेज-v, उद्योग विहार, गुड़गाँव, हरियाणा-122016 श्री हिमांशु गिरधर, 17/10, 1ला तल, फ्रान्ट पोर्शन, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 श्री करण सिक्का, एफ-1, प्रथम तल, साउथ एक्स पार्ट-1, एन्ड्रूजगंज, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110049 श्री डिम्पल कपूर, ई-34, जंगपुरा एक्स्टें, शिव मंदिर के निकट, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110014 श्रीमती अमीता कपूर, पत्नी श्री डिम्पल कपूर, ई-34, जंगपुरा एक्स्टें, शिव मंदिर के निकट, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली-110014 श्रीमती नीलम गिरधर, 17/10, 1ला तल, फ्रान्ट पोर्शन, कालकाजी, नई दिल्ली-110019	21.6.2019 को रु. 58229949.66	लॉट-1: प्लॉट-272, ब्लॉक ए, सेक्टर-19, नोएडा, गौतम बुधनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित निर्माणाधीन आवासीय सम्पत्ति, प्लिन्थ एरिया माप 1706.90 वर्ग फीट। स्वामीः श्रीमती अमीता कपूर, पत्नी श्री डिम्पल कपूर एवं श्री डिम्पल कपूर, पुत्र स्व. आर.के. कपूर लॉट-2: प्लॉट नं. 1279, सेक्टर-2, पलवल-121102, जिला फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित सम्पूर्ण खाली एवं बिना निर्माण के त्रिभुजाकार आवासीय सम्पत्ति, प्लिन्थ एरिया माप 135 वर्ग मीटर, स्वामीः श्रीमती नीलम गिरधर, पत्नी स्व. श्री गुरचरण दास गिरधर (सभी सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है।) कोई नहीं	सांकेतिक	लॉट-1: रु. 30222000/- लॉट-2: रु. 35,15,000 लॉट 1: रु. 3022200/- लॉट 2: रु. 351500/-	19.3.2020 18.3.2020	श्री एम.एम. खुन्तिया मो.नं. 8981470403
2.	मै. फान्टलाइन रिटेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 17/10, प्रथम तल, फ्रान्ट पोर्शन, कालकाजी, नई दिल्ली श्री रजत गिरधर, पुत्र स्व. श्री गुरचरण दास गिरधर 47ए/1, भूतल, अर्जुन नगर, सफदरगंज एन्क्लेव, नई दिल्ली-110019 श्री हर्ष पाल सिंह (निदेशक), पुत्र श्री बृज पाल सिंह फ्लैट-एस 1, 2रा तल, संगम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 11ए-31/6, सेक्टर-II, वैशाली, गाजियाबाद-201010, उ.प्र. श्री विनय गिरधर, पुत्र स्व. गुरचरण दास गिरधर 47ए/1, भूतल, अर्जुन नगर, सफदरगंज एन्क्लेव, नई दिल्ली-110019 श्रीमती मीरा देवी, पत्नी श्री हर्ष पाल सिंह, फ्लैट-एस 1, 2रा तल, संगम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 11ए-31/6, सेक्टर-II, वैशाली, गाजियाबाद-201010, उ.प्र. श्रीमती नीलम गिरधर, पत्नी स्व. श्री गुरचरण दास गिरधर, 17/10, 1ला तल, फ्रान्ट पोर्शन, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 श्रीमती पूनम बजाज, पत्नी श्री कमल बजाज, ई-38 (प्रथम तल), साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110049	23.10.2019 को रु. 98395058.29/-	लॉट 1: श्री विनय गिरधर, पुत्र स्व. श्री गुरचरण दास गिरधर के स्वामित्व में 13/5 (संयुक्त शॉप 1-ए एवं 1-बी-250 वर्ग फीट), शॉप नं. 1, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्पत्ति में शामिल सम्पत्ति सभी भाग तथा हिस्सा। लॉट 2: श्री हर्षपाल सिंह, पुत्र श्री बृज पाल सिंह एवं श्रीमती मीरा देवी, पत्नी श्री हर्ष पाल सिंह के नाम में 65.64 वर्ग मी. के कवर्ड एरिया से युक्त सम्पूर्ण आवासीय फ्लैट-एस 1, 2रा तल, संगम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 11ए-31/6, सेक्टर-II, वैशाली, गाजियाबाद में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। लॉट 3: श्रीमती पूनम बजाज, पत्नी श्री कमल बजाज के नाम में फ्लैट नं. ई-38, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-49, माप 200 वर्ग याईस के सम्पूर्ण बेसमेन्ट तथा प्रथम तल में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। लॉट 4: श्री विनय गिरधर, पुत्र स्व. श्री गुरचरण दास गिरधर के नाम में कुतब एन्क्लेव, फेज-III के नाम से विदित आवासीय कॉलोनी, नाथुपुर ग्राम, तहसील एवं जिला गुड़गाँव में सम्पूर्ण फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं. 12 (क्षेत्रफल माप 264 वर्ग मी.), रोड नं. बी3 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। (सभी सम्पत्ति सांकेतिक कब्जे में है।) कोई नहीं	सांकेतिक	लॉट 1: रु. 6955000/- लॉट 2: रु. 3400000/- लॉट 3: रु. 26616000/- लॉट 4: रु. 35803000/- लॉट 1: रु. 695500/- लॉट 2: रु. 340000/- लॉट 3: रु. 2661600/- लॉट 4: रु. 3580300/-	19.3.2020 18.3.2020	श्री एम.एम. खुन्तिया मो.नं. 8981470403

- जहाँ भी लागू हो, आरक्षित मूल्य में आईटी अधिनियम की धारा 194 (1ए) के अंतर्गत 1% कर शामिल है।
- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाईट अर्थात www.iob.in (https://www.iob.in/TenderDetails.aspx? Tendertype=E-Auction] में दी गई लिंक देखें।
- इसे ऊपर वर्णित तिथि के ई-नीलामी के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारकों तथा गारन्टरों/मार्टगैजरों के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना माने।

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 29.02.2020   प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

www.readwhere.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF

POLYGENTA TECHNOLOGIES LIMITED

POLYGENTA

Corporate Identification Number (CIN) - L17120MH1981PLC025388
Registered Office: Kaledonia (HDIL) Building, Unit No.1B, 5th Floor, Sahar Road,Off Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069; **Tel No.:** +91 22 6215 4087 **Fax No.:** +91 22 6215 4003; **E-mail:** companysecretary@polygenta.com. **Website:** www.polygenta.com

This Public Announcement (**"PA"**) is being issued by Perpetual Global Technologies Limited (referred to as **"Promoter Acquirer"**) to the public shareholders (as defined under Regulation 2(1)(v) of the Securities & Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended for the time being in force (**"Delisting Regulations"**)) and to the Polygenta Stock Option Trust (the **"ESOP Trust"**) of Polygenta Technologies Limited (**"Polygenta"**/**"PTL"**/ the **"Company"**) in accordance with Regulation 10 of the Delisting Regulations and as per SEBI order no. SEBI/WTM/GM/CFD/32/2019-20 dated August 21, 2019 (**"SEBI Order"**), in respect of the proposed acquisition of 3,90,51,636 fully paid up equity shares of the Company having face value of ₹ 10 each (**"Equity Shares"**) and the consequent voluntary delisting of the Equity Shares from the BSE Limited (**"BSE"**) as per the terms and conditions set out below (the **"Delisting Offer"**).

I. BACKGROUND OF THE DELISTING OFFER

a. Polygenta Technologies Limited, having its registered office at Kaledonia (HDIL) Building, Unit No.1B, 5th Floor, Sahar Road, Off Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai-400069, was incorporated on October 06, 1981 under the Companies Act, 1956. As on the date of this PA, the authorized share capital of the Company is ₹ 190,00,00,000/- comprising of 16,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each and 3,00,00,000 Preference Shares of ₹ 10/- each. As on the date of this PA, the issued, subscribed and the paid-up equity share capital (**"Equity Capital"**) of the Company is ₹ 156,20,65,440/- comprising of 15,62,06,544 Equity Shares of ₹ 10/- each. Presently, the Promoter Acquirer holds 11,71,54,908 Equity Shares of ₹ 10/- each representing 75.00% of the Equity Capital of the Company. The balance of 3,90,51,636 Equity Shares of ₹10/- each comprising 25.00% of the Equity Capital of the Company are held by Public Shareholders and the ESOP Trust. The Equity Shares of the Company are listed on BSE.

b. The ESOP Trust of the Company was established in February 2011 and holds 8.66% Equity Capital of the Company. On October 28, 2014, SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 were notified and thereafter, on February 25, 2015, the Securities Contracts (Regulation) (Amendment) Rules, 2015 were notified amending Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (**"SCRR"**). This amendment in law prescribed that from October 28, 2017, equity shares held by a trust set up for implementing employee benefit schemes under the regulations framed by SEBI were to be excluded while calculating public shareholding. Accordingly, from October 28, 2017 the shareholding of the ESOP Trust was no longer considered while calculating the public shareholding of the Company and the same were categorized as non promoter-non public. This automatically resulted in the public shareholding of the Company falling below the Minimum Public Shareholding (**"MPS"**) requirement as per Rule 19A of SCRR.

c. The Company and the Promoter Acquirer explored the options available for achieving the MPS in accordance with the SEBI circular CIR/CFD/CMD/14/2015 dated November 30, 2015 but could not achieve the same due to its financial health and no liquidity in the equity shares of the Company. Accordingly, the Promoter Acquirer was of the opinion that the only option left to address all the issues was to delist the Company by making a voluntary delisting offer to the Public Shareholders and ESOP Trust of the Company in accordance with the Delisting Regulations. Further, on account of non-compliance of MPS requirement due to automatic reclassification of ESOP Trust from October 28, 2017, BSE vide its various communications levied a penalty of ₹ 5000/- per day and proposed freezing the equity shares of the promoter/promoter group.

d. The Promoter Acquirer vide application dated December 11, 2017, conveyed to SEBI its intention to delist the Equity Shares of the Company and requested for relaxation from the strict enforcement of Regulation 8(1B)(i) of the Delisting Regulations.

e. SEBI vide its order no. SEBI/WTM/GM/CFD/32/2019-20 dated August 21, 2019 (**"SEBI Order"**) granted relaxation from the applicability of Regulation 8(1B)(i) of the Delisting Regulations (limited to the extent of compliance with minimum public shareholding norms) for the specific purpose of seeking voluntary delisting of its equity shares, subject to the conditions as follows:

i. the Company is in compliance with provisions of all other applicable laws;

ii. the Promoter Acquirer shall initiate voluntary delisting of its Equity Shares within a period of 6 months from the date of the SEBI Order;

iii. the Promoter Acquirer shall obtain valuation of its Equity Shares from two independent peer reviewed chartered accountants and the Exit Price to be paid to the Public Shareholders and the ESOP Trust, as discovered through reverse book building process shall not be lower than the higher of the valuations so obtained;

iv. The Promoter Acquirer shall cause to publish a newspaper advertisement in one national newspaper in English and in newspapers in local vernacular in each State where its Public Shareholders are residing, as per the address contained in the its records;

v. The said advertisement as mentioned in the point above as well as the explanatory statement to special resolution shall indicate the valuation obtained as per Para (iii) above and shall also state that the higher of the price discovered in reverse book building and the valuation as obtained in Para (iii) above, shall be paid to the Shareholders, in the event of company proceeding with the delisting;

vi. The offer price shall be paid to tendering shareholders only through banking channels through crossed account payee cheque / crossed demand draft / internet banking channels to enable audit trail;

vii. In addition to compliance with the applicable provisions of Delisting Regulations, the delisting offer shall be considered as successful only if the Promoter Acquirer acquires at least 60% of the remaining public shareholding;

viii. The shares held by ESOP Trust shall not constitute public shareholding for the purpose of aforesaid acquisition of 60%;

ix. Pursuant to the delisting of Polygenta's Equity Shares, the Promoter Acquirer shall continue to accept the shares tendered by any remaining public shareholders holding such equity shares, for up to a period of two years from the date of delisting, at the same price at which the earlier acceptance of shares was made and in the manner that provides bank record of the payment;

x. Subject to the above, the Promoter Acquirer shall comply with all other conditions, including those pertaining to determination of the offer price, stipulated in Chapter IV of the Delisting Regulations;

xi. Copy of the SEBI Order shall also be displayed on the Company's website and the web link thereto shall be included in the notice of special resolution sent to Shareholders.

Note: *The copy of SEBI Order is displayed on the Company's website link: http://www.polygenta.com/General_Meeting_Notices.html. The web link thereto was also given in the covering email dated December 6, 2019 sent to the shareholders along with the Notice of special resolution.*

f. Taking into consideration, the observations and facts stated in the SEBI Order, as placed before BSE by the Company, BSE vide its letter dated February 19, 2020 withdrew its earlier communications.

g. In line with the SEBI Order, the Board of Directors received a letter dated October 3, 2019 from Promoter Acquirer proposing to voluntarily delist the Equity Shares from BSE in accordance with the Delisting Regulations.

h. The Promoter Acquirer is making this PA to the Shareholders of Polygenta to acquire, in accordance with the Delisting Offer, up to 3,90,51,636 Equity Shares, representing 25.00% of the Equity Capital (the **"Offer Shares"**) from the Public Shareholders and the ESOP Trust in compliance with the Delisting Regulations. Consequent to the Delisting Offer and upon the shareholding of the Promoter Acquirer fulfilling the conditions stipulated under the Delisting Regulations and the SEBI Order, as applicable, the Company will seek to voluntarily delist the Equity Shares from the BSE in accordance with the Delisting Regulations.

i. Pursuant to receipt of the letter dated October 3, 2019 the Board of Directors at its meeting held on October 10, 2019 took on record the said letter and appointed Keynote Financial Services Limited as merchant banker (**"Merchant Banker"**) to conduct due diligence as required under Regulation 8(1A)(ii), 8(1D) and 8(1E) of the Delisting Regulations. Subsequently the Board of Directors at its meeting held on November 12, 2019 took on record the due diligence report as received from the Merchant Banker and approved the Delisting Offer in terms of Regulation 8(1)(a) of the Delisting Regulations subject to consent of the Public Shareholders and the ESOP Trust.

j. The notice of the Postal Ballot along with postal ballot form was dispatched to the Shareholders for seeking their approval through postal ballot and e-voting on resolutions for considering delisting of the Equity Shares of the Company. A special resolution has been passed by the shareholders of Polygenta through postal ballot, approving the delisting of the Equity Shares in accordance with the Delisting Regulations. The result of postal ballot was declared on January 11, 2020 and notified to the BSE by the Company vide letter dated January 11, 2020. The votes cast by the Public Shareholders in favour of the Delisting Offer were more than two times the number of votes cast by the Public Shareholders against it.

k. The Company has received in-principle approval for the proposed delisting of Equity Shares from BSE vide their letter no. DCS/Delisting/VM/IP/408/2019-20 dated March 02, 2020.

l. As per Delisting Regulations, post receipt of in-principle approval from BSE, the Promoter Acquirer issued this Public Announcement in one English national daily with wide circulation, one Hindi national daily with wide circulation and one regional language newspaper of the region where the concerned recognized stock exchange is located.

m. Besides this PA, Public Shareholders and the ESOP Trust to note that the Promoter Acquirer has also published a newspaper advertisement containing the required information as specified in the SEBI Order, in one national newspaper in English and in newspapers in local vernacular in each state where the Public Shareholders are residing.

n. The Promoter Acquirer has initiated the Delisting Offer within 6 months from the date of SEBI Order.

o. The Promoter Acquirer reserves the right to withdraw the Delisting Offer in the event all or any of the statutory approvals required to implement the Delisting Offer are refused or the conditions for the Delisting Offer have not been fulfilled.

p. The Delisting Offer is subject to the acceptance of the Discovered Price (as defined under paragraph X) calculated in accordance with the Delisting Regulations by the Promoter Acquirer.

II. NECESSITY AND OBJECTIVE OF DELISTING

The Objective of making the delisting offer is to obtain full ownership of Equity Shares of the Company, which will provide the Promoter Acquirer with flexibility to support the Company's business and future financing needs. Considering that currently the Equity Shares of the Company are infrequently traded and are as such illiquid, the delisting will provide an exit opportunity to the Public Shareholders and ESOP Trust at a price determined in accordance with the Delisting Regulations and SEBI Order. Other reasons include (i) ongoing expenses for maintenance of listing on BSE will be reduced, including investor relation expenses, (ii) reduced compliance time and associated costs etc.

III. BACKGROUND OF THE PROMOTER ACQUIRER (PERPETUAL GLOBAL TECHNOLOGIES LIMITED)

a. The Promoter Acquirer is a Mauritius based body corporate having its registered office at c/o AAA Global Services Limited, 1st Floor, The Exchange, 18 Cybercity, Ebene, Mauritius. The Promoter Acquirer was originally incorporated as "Aloe Syngas Limited" pursuant to a certificate of incorporation dated March 7, 2007 issued by the Registrar of Companies (**"ROC"**), Mauritius. The name of the Promoter Acquirer was subsequently changed to "AlphaPET Limited" and a fresh certificate of incorporation on change of name dated November 22, 2007 was issued to the Promoter Acquirer. Thereafter, the name of the Promoter Acquirer was changed to the current name, i.e. "PerPETual Global Technologies Limited", and a fresh certificate of incorporation on change of name dated April 3, 2012 was issued by the ROC, Mauritius. There has been no change in the name of the Promoter Acquirer in the past 3 years.

b. The Promoter Acquirer is in the polyethylene terephthalate (**"PET"**) recycling industry and has acquired several polyester related technologies including the patented perPETual Process for processing post-consumer PET plastic bottles and other recovered forms of PET for the production of high-quality polyester products.

c. The Promoter Acquirer started making investments in Polygenta from the year 2008 and presently owns 75% of the Equity Capital of Polygenta. The Promoter Acquirer is the holding company of Polygenta and is also classified as its promoter.

d. The shares of the Promoter Acquirer are not listed on any stock exchange. The key financial information of the Promoter Acquirer as derived from the audited financials for the past periods are as set out below:

(₹ in million)

Particulars	12 months period ended 31 March 2019	15 months period ended 31 March 2018	12 months period ended 31 Dec 2016
	(on a consolidated basis)		
Total Income	970.60	777.41	792.51
Depreciation & amortization Expenses	169.41	192.45	158.22
Finance Costs	53.99	32.80	142.49
Other Expenses	1,135.58	1,128.38	895.33
Profit/Loss before tax	(388.38)	(576.22)	(403.53)
Profit/Loss after tax	(388.38)	(576.22)	(403.53)
Share Capital (a)	7,616.93	7,162.14	7,483.10
Reserves & Surplus (b)	(8,187.12)	(7,441.00)	(6,904.16)
Non-controlling interest (c)	(327.33)	(304.16)	(167.11)
Total Equity (a+b+c)	(897.49)	(564.83)	414.81

Note: Since the financials of the Promoter Acquirer are presented in US$, the functional currency of the Promoter Acquirer, a translation (convenience translation) of such financials into Indian Rupees has been adopted. The US$ to ₹ conversion has been assumed at the rates as per the table given below

Date [1]	March 29, 2019	March 28, 2018	December 30, 2016
Reference rate [2]	₹69.17	₹65.04	₹67.95

[1] Since the reference rates on the particular dates were unavailable due to the days falling on weekends, previous day rates are taken for calculation purpose.

[2] Source: Reserve Bank of India ("RBI") reference rates available on the website of NSE at https://www1.nseindia.com/products/content/derivatives/currency/historical_rbiRate.htm

e. The Promoter Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or any other regulations made thereunder.

f. In addition to the directions specified in the SEBI Order, the Promoter Acquirer shall comply with all other conditions, including those pertaining to determination of the Exit Price, stipulated in Chapter IV of the Delisting Regulations.

IV. BACKGROUND OF THE COMPANY

a. The Company was originally incorporated as a private limited company in the name of Maskara Polytex Private Limited and a certificate of incorporation was granted to the Company on October 6, 1981 under the Companies Act, 1956. The Company was converted into a public limited company under the name and style of Maskara Polytex Limited and a fresh certificate of incorporation was issued on September 30, 1994. Subsequently, the name of the Company was changed to Maskara Industries Limited and a fresh certificate of incorporation was issued on July 7, 1995. The name of the Company was further changed to its current name, i.e. Polygenta Technologies Limited and a fresh certificate of incorporation was issued to it on June 25, 2001. The registered office of the Company is located at: Unit No.1B, Kaledonia (HDIL) Building, 5th floor, Off Western Express Highway, Sahar Road, Andheri (East), Mumbai – 400 069. The Equity Shares of the Company are listed on BSE since March 07, 1995.

b. The share capital of the Company is as mentioned in paragraph I(a) of this PA. The Company is engaged in the business of manufacturing sustainable polyester filament yarn by recycling post consumer PET flakes using a break-through recycling technology *(perPETual process)*. The polyester yarn products made by the Company using the *perPETual process* are sold for various applications in the fields of apparel, denim, home furnishings, floor coverings, and industrial applications.

c. The shareholding pattern of the Company for the quarter ended December 31, 2019 is as follows:

Particulars	No. of Equity Shares	Shareholding (%)
Promoter & Promoter Group	11,71,54,908	75.00
Public	2,55,26,636	16.34
Non Promoter-Non Public	1,35,25,000	8.66
Total	**15,62,06,544**	**100.00**

d. A brief summary of the audited financials of the Company for the financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 along with Unaudited (Limited reviewed) financial results for the half year ended September 30, 2019 is as follows:

(₹ in million)

Particulars	6 months period ended September 30, 2019 (Limited reviewed)	Year Ended		
		March 31, 2019 (Audited)	March 31, 2018 (Audited)	March 31, 2017 (Audited)
Total Income	601.8	956.4	637.6	588.2
EBITDA	57.9	(56.6)	(384.1)	(77.5)
Depreciation & amortization Expenses	78.8	167.5	151.0	152.2
Finance Costs	7.2	16.4	15.2	45.8
Other Expenses	47.5	63.7	57.6	60.8
Profit / (Loss) before tax	(28.1)	(240.5)	(550.3)	(275.5)
Profit / (Loss) after tax	(28.1)	(240.5)	(550.3)	(275.5)
Equity share capital	1,562.1	1,562.1	1,562.1	1,562.1
Other Equity	(3,007.2)	(2,979.2)	(2,737.6)	(2,188.8)
Earnings per Share (in ₹)	(0.18)	(1.54)	(3.52)	(1.76)
Book Value per share (in ₹)	(9.25)	(9.07)	(7.46)	(4.01)

e. As on date of this PA, there are no outstanding instruments in the nature of warrants or fully convertible debentures or partly convertible debentures/ preference shares or employee stock options etc. which are convertible into Equity Shares at any later date. Out of the total shareholding of 11,71,54,908 Equity Shares held by the Promoter Acquirer, 1,01,55,893 Equity Shares are locked-in up to October 31, 2020. The Company does not have any partly paid up shares outstanding.

f. The Board of Directors of the Company as on date of this PA is as follows:

Name & Address	Designation & DIN	Date of Appointment in current term	Shareholding of the directors in the Company
Ms. Sujata Chattopadhyay, CH 1/15, Kendriya Vihar, Sector 11, Kharghar, Navi Mumbai: 410210	Non-Executive - Independent Director- Chairperson (02336683)	March 31, 2015	Nil
Mr. Ghanshyam Vithaldas Karkera, B-501, Krishna Regency, Datta Mandir Road, Vakola, Santacruz East, Mumbai : 400055	Non-Executive - Independent Director (00001829)	November 6, 2015	Nil
Mr. Ramesh Alur, H.No.7/-1-77/C, Dharam Karam Road, Ameerpet, Hyderabad: 500016	Non-Executive - Nominee Director (00026462)	March 25, 2014	Nil
Mr. Dhanvant Hari Yeola, Flat No.3, Om Niwas, Plot No.7/8, behind New Era School, Govind Nagar, Nashik Cidco Colony, Nashik: 422009	Executive Director (08325170)	February 8, 2019	1

V. STOCK EXCHANGE FROM WHERE THE EQUITY SHARES ARE TO BE DELISTED

The Equity Shares are presently listed on the BSE. The Promoter Acquirer is seeking to delist the Equity Shares from the BSE.

VI. MANAGER TO THE DELISTING OFFER

The Promoter Acquirer has appointed Keynote Financial Services Limited, as the Manager to the Delisting Offer ("Manager to the Offer"). The details of the Manager to the Offer are as follows:

KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited,
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400028;
Tel: +91–22– 68266000-3; **Fax:** +91–22– 6826 6088;
E-mail: mbd@keynoteindia.net; **Website:** www.keynoteindia.net;
Contact Person: Ms. Pooja Sanghvi/ Mr. Akhil Mohod;
SEBI Registration No.: INM 000003606;

VII. REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER

The Company has appointed Universal Capital Securities Pvt. Ltd as the Registrar to the Delisting Offer (**"Registrar to the Offer"**). The details of the Registrar to the Offer are as follows:

Universal Capital Securities Pvt Ltd
25 Shakil Niwas, Opp. Satya Saibaba Temple, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400 093
Tel.: +91-22-2820 7203-05; **Fax:** +91-022-2820 7207; **Contact Person :** Mr. Sunil Khade
Website: www.unisec.in; **E-mail:** info@unisec.in; **SEBI Registration No.:** INR 000004082

VIII. STOCK BROKER OF THE ACQUIRER

The Promoter Acquirer has appointed **Keynote Capitals Limited** having its registered office at The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai – 400 028 as the Stock Broker of the Promoter Acquirer (**"Buyer Broker"**).

IX. DETERMINATION OF THE FLOOR PRICE

a. The Promoter Acquirer proposes to acquire the Equity Shares from the Public Shareholders and the ESOP Trust pursuant to a Reverse Book Building Process in the manner specified in Schedule II of the Delisting Regulations.

b. The floor price for the Delisting Offer has been arrived at in accordance with Regulation 15(2) of the Delisting Regulations read with Regulation 8 of the Takeover Regulations and the SEBI Order .

c. As per the Takeover Regulations "frequently traded shares" means shares of the target company, in which the traded turnover on any stock exchange during the twelve calendar months preceding the calendar month in which the public announcement is required to be made under the Takeover Regulations, is at least ten per cent of the total number of shares of such class of the target company.

d. The annualized trading turnover based on the trading volume of the Equity Shares at BSE during the period from October 2018 to September 2019 (twelve calendar months prior to the month in which notice to the BSE in regard to the delisting was given) is as under:

Stock Exchange	Total no. of Equity Shares traded during October 2018 to September 2019	Total number of listed Equity Shares	Trading turnover (as a % of total listed Equity Shares)
BSE	2,00,669	15,62,06,544	0.13

Source: *www.bseindia.com*

e. Based on the above, the Equity Shares of the Company are infrequently traded on BSE in accordance with the Takeover Regulations. Hence in terms of Regulation 8 of the Takeover Regulations, the floor price shall be the higher of the following:

1	the highest negotiated price per share of equity share of the Company for acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer	Not Applicable
2	the volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, whether by the Promoter Acquirer or by any person acting in concert, during the fifty-two weeks immediately preceding the Reference Date (defined below)*	Not Applicable
3	the highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Promoter Acquirer or by any person acting in concert, during the twenty six weeks immediately preceding the Reference Date (defined below)*	Not Applicable
4	the volume-weighted average market price of the equity shares of the Company for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the Reference Date (defined below)*, as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period(i.e. BSE), provided such shares are frequently traded	Not Applicable
5	where the shares are not frequently traded, the price determined by the Promoter Acquirer and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	₹ 1.00/-**
6	the per share value computed under Regulation 8 (5) of the Takeover Regulations, if applicable	Not Applicable

*The **"Reference Date"** is taken as October 3, 2019, which is the stock exchange Notification Date

In terms of SEBI Order MSKA & Associates, Chartered Accountants (FRN:105047W) and Lodha & Co., Chartered Accountants (FRN:301051E) (herein referred to as **"Independent Peer reviewed Chartered Accountants") were appointed, for the purpose of valuation of the Equity Shares of Polygenta. They have submitted their valuation reports both dated 11 November 2019. Accordingly, MSKA & Associates has certified the value of ₹1/- per equity share and Lodha & Co. has certified the value of ₹ 0.97 per equity share.

f. After considering above parameters, Promoter Acquirer has determined and indicated a floor price of ₹1/- (Rupee One Only) per equity share (**"Floor Price"**) of face value ₹ 10/- per equity share. The final exit price may be determined, based on Reverse Book Building process. The Floor Price was disclosed to the BSE as part of the outcome of the meeting of the Board of Directors held on November 12, 2019.

g. The Promoter Acquirer has not acquired any Equity Shares during last 6 (six) months period prior to the date of publication of this PA.

X. DETERMINATION OF THE DISCOVERED PRICE

a. The Promoter Acquirer proposes to acquire the Offer Shares pursuant to a reverse book-building process in the manner specified in Schedule II of the Delisting Regulations.

b. All Public Shareholders and ESOP Trust can tender their Offer Shares of the Company during the Bid Period (as hereinafter defined) as set out in paragraph XIII of this PA.

c. The final offer price per Offer Share payable by the Promoter Acquirer determined in accordance with the Delisting Regulations, will be the price at which the shareholding of the Promoter Acquirer reaches 90% (ninety percent) pursuant to acquisition under the reverse book-building process through Acquisition Window Facility or OTB conducted in a manner as specified in Schedule II of the Delisting Regulations (**"Discovered Price"**) which shall not be lower than the Floor Price.

d. All Public Shareholders and the ESOP Trust are also requested to note that the higher of the price discovered in the reverse book building process and the Floor Price decided after taking into account the valuation reports, shall be the price paid to the Public Shareholders and the ESOP Trust.

e. Apart from the conditions mentioned above, SEBI vide its Order has directed that the Delisting Offer shall be considered as successful only if the Promoter Acquirer acquires at least 60% of the remaining public shareholding. The shares held by ESOP Trust shall not constitute public shareholding for the purpose of aforesaid acquisition of 60%.

f. The Promoter Acquirer is under no obligation to accept the Discovered Price. If the Promoter Acquirer does not accept the Discovered Price, the Promoter Acquirer will have no obligation to acquire any Equity Shares tendered pursuant to the Delisting Offer and the Delisting Offer will not proceed. Alternatively, the Promoter Acquirer may, at his sole discretion, accept the Discovered Price for the Equity Shares or offer a price higher than the Discovered Price. The Discovered Price so accepted or a higher price so offered by the Promoter Acquirer for the Delisting Offer will be subject to all relevant statutory approvals as disclosed in paragraph XXIII as referred to in this PA as the **"Exit Price"**. Once the Discovered Price is accepted and the Exit Price is determined, the Promoter Acquirer will acquire all the Equity Shares which have been tendered at a price less than or equal to the Exit Price, for a cash consideration equal to the Exit Price determined for each such Equity Share. The Promoter Acquirer will not accept the Equity Shares offered at a price that exceeds the Exit Price.

g. The Promoter Acquirer may make a counter offer to the Public Shareholders and the ESOP Trust within two working days of the price discovered.

h. The Promoter Acquirer shall announce their decision to accept/ reject the Discovered Price or offer the Exit Price (if any) in the same newspapers in which this PA has appeared, in accordance with the timetable set out in this PA

XI. CONDITIONS TO THE DELISTING OFFER

The acquisition of Equity Shares by the Promoter Acquirer and the proposed delisting of the Company pursuant to the Delisting Offer are conditional upon:

Where Counter Offer is not made by the Promoter Acquirer:

a. The Promoter Acquirer deciding in its sole and absolute discretion shall accept the Discovered Price or offer the Exit Price. It may be noted that notwithstanding anything contained in this PA, the Promoter Acquirer reserves the right to reject the Discovered Price if the same is higher than the Floor Price;

b. A minimum number of 2,34,30,982 Offer Shares of ₹ 10/- each constituting 15.00% of the Equity Capital of Polygenta, being tendered at or below the Discovered Price or such other higher number of Equity Shares, prior to the closure of the Bidding Period i.e. on the Bid Closing Date (as defined below) so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Promoter Acquirer as on date of this PA taken together with the Equity Shares acquired through the Acquisition Window Facility or OTB to be equal to or in excess of 14,05,85,890 Equity Shares or such higher number of Equity Shares constituting 90% (ninety percent) of the Equity Capital;

c. Apart from the conditions mentioned above, SEBI vide its order has directed that the Delisting Offer shall be considered as successful only if the Promoter Acquirer acquires at least 60% of the remaining public shareholding. The shares held by ESOP Trust shall not constitute public shareholding for the purpose of aforesaid acquisition of 60%;

d. A minimum of 25% (twenty five percent) of Public Shareholders, and the ESOP Trust together holding Equity Shares in dematerialized mode shall participate in the reverse book building process, in accordance with Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations, provided that if the Promoter Acquirer along with the Manager to the Offer demonstrates to the Stock Exchange that they have delivered the Offer Letter of this Delisting Offer to all the Public Shareholders and the ESOP Trust either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of delivery or through email as a text or as an attachment to email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the **"LOF Delivery Requirement"**), then the mandatory participation of aforementioned number of Public Shareholders and the ESOP Trust is not applicable.

e. As per Explanation I to Regulation 17(1)(b), the LOF Delivery Requirement provided in proviso to Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations is deemed to have been complied with if the Promoter Acquirer or the Merchant Banker dispatches the Offer Letter to all the Public Shareholders and the ESOP Trust by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Offer Letter(whether delivered or not) sent through India Post;

f. There being no amendments to the Delisting Regulations or other applicable laws or regulations or conditions imposed by any regulatory/statutory authority/body or an order from a court or competent authority or any other circumstance taking place, which would in the sole opinion of the Promoter Acquirer, prejudice the Promoter Acquirer from proceeding with the Delisting Offer, and

g. The Promoter Acquirer obtaining all requisite statutory and regulatory approvals, as stated in this PA.

Where Counter Offer is made by the Promoter Acquirer:

h. If a Counter Offer is made by the Promoter Acquirer in accordance with Regulation 16(1A) of the Delisting Regulations, the Delisting Offer shall be deemed to be successful only if post Delisting Offer, the Promoter Acquirer shareholding with the equity shares accepted at the Counter Offer price reaches 90% of the Equity Capital of the Company excluding the Equity Shares which are held by a custodian and against which depository receipts have been issued overseas. As per Regulation 16(1A) of the Delisting Regulations, such counter offer by Promoter Acquirer shall not be less than the book value of the Company as certified by the Merchant Banker.

i. The "Timelines for Counter Offer Process" shall be intimated in the same newspapers in which this PA has been published and the other formalities will be complied in accordance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/35 dated March 13, 2019.

XII. DISCLOSURE REGARDING THE MINIMUM ACCEPTANCE CONDITION FOR SUCCESS OF THE DELISTING OFFER

As per Regulation 17 of the SEBI Delisting Regulations and the SEBI Order the Delisting Offer shall be deemed to be successful if the condition stated in points b. and c. of paragraph XI above are satisfied.

XIII. DATES OF OPENING AND CLOSING OF BID PERIOD AND OTHER INFORMATION

a. The period during which the Public Shareholders and the ESOP Trust may tender their Equity Shares to the Promoter Acquirer in the book-building process (the **"Bid Period"**) shall commence at 9.00 A.M. on March 11, 2020 (the **"Bid Opening Date"**) and close at 3.30 P.M. on March 17, 2020 (the **"Bid Closing Date"**). The Promoter Acquirer will inform the Shareholders by issuing a corrigendum to this PA, if there are any changes in the Bid Period, in the same newspapers in which this PA had been published.

b. Bids received after 3.30 P.M. on the Bid Closing Date may not be considered for the purpose of determining the Discovered Price and for payment of Exit Price payable for the Equity Shares accepted by the Promoter Acquirer pursuant to the reverse book-building process.

c. The *Offer Letter* (along with necessary forms and detailed instructions) shall be dispatched to the Public Shareholders and the ESOP Trust whose names appear on the register of members of the Company and to the owner of the Equity Shares whose names appear as beneficiaries on the records of the respective depositories at the close of business hours on February 28, 2020 (the **"Specified Date"**), to tender their Equity Shares to the Promoter Acquirer by way of submission of **"Bids"** in accordance with the activity schedule set out in the paragraph XIX of this PA.

d. The ISIN of the Equity Shares of the Company is INE441D01020.

e. If any Public Shareholder fails to receive or misplaces the Offer Letter, a copy may be obtained by writing to the Registrar to the Offer/ Manager to the Offer at their address given in the Offer Letter, clearly marking the envelope "Polygenta Technologies Limited - Delisting Offer". Alternatively, such Public Shareholder may download the bid forms from the website of the BSE Limited, Polygenta Technologies Limited, Keynote Financial Services Limited and Universal Capital Securities Private Limited at www.bseindia.com, www.polygenta.com, www.keynoteindia.net and www.unisec.in, respectively.

f. The Equity Shares to be acquired under this Delisting Offer are to be acquired free from all liens, charges and encumbrances and together with all rights attached thereto. Shares that are subject to any charge, lien or encumbrance are liable to be rejected.

g. It shall be the responsibility of the Public Shareholders and the ESOP Trust tendering in the Delisting Offer to obtain all requisite approvals (required, if any, including corporate, statutory and regulatory approvals) prior to tendering their Equity Shares in the Delisting Offer and the Promoter Acquirer shall take no responsibility for the same. The Public Shareholders and the ESOP Trust should also provide all relevant documents, which are necessary to ensure transferability of the Equity Shares failing which the Bid may be considered invalid and may be liable to be rejected. The Public Shareholders and the ESOP Trust should attach a copy of any such approval to the Bid. The Promoter Acquirer reserves the right to reject those Bids which are submitted without attaching a copy of such required approvals.

h. In accordance with Clause 5 of Schedule II to the Delisting Regulations, Public Shareholders and the ESOP Trust who have tendered their Equity Shares by submitting Bids pursuant to the terms of this PA and the Offer Letter, may withdraw or revise their Bids upwards not later than one working day before the Bid Closing Date. Downward revision of Bids shall not be permitted.

XIV. PERIOD FOR WHICH THE DELISTING OFFER SHALL BE VALID

The Public Shareholders and the ESOP Trust may submit their Bids to the broker member who shall in turn place the bid using the Stock Exchanges Mechanism (as defined hereinafter) during the Bid Period.

Additionally, once the Equity Shares have been delisted, the Public Shareholders and the ESOP Trust, whose Equity Shares have not yet been acquired by the Promoter Acquirer, if any (the **"Residual Shareholders"**) may offer their Equity Shares for sale to the Promoter Acquirer at the same Exit Price for a period of two years following the date of the delisting from the BSE (**"Exit Window"**). A separate offer letter in this regard will be sent to these Residual Shareholders. During this period, the Exit price shall be paid to the tendering Residual Shareholders only through banking channels through crossed account payee cheque/ crossed demand draft/ internet banking channels to enable audit trail. Such Residual Shareholders may tender the Offer Shares by submitting the required documents to the Registrar to the Offer during the Exit Window.

XV. DETAILS OF ESCROW ACOUNT AND THE AMOUNT DEPOSITED THEREIN

a. The estimated consideration to be deposited by the Promoter Acquirer in an escrow account (**"Escrow Account"**) under the Delisting Regulations, at the Floor Price of ₹ 1/- per Equity Share multiplied by the number of Equity Shares outstanding with the Public Shareholders and the ESOP Trust, i.e., 3,90,51,636 Equity Shares of ₹ 10/- each is ₹ 3,90,51,636/- (Rupees Three Crores Ninety Lakhs Fifty One Thousand Six Hundred and Thirty Six Only) (**"Initial Escrow Amount"**).

b. In accordance with the Delisting Regulations, the Promoter Acquirer has opened an Escrow Account No. 57500000459627 in the name & style 'POLYGENTA TECHNOLOGIES LTD - DELISTING OFFER - ESCROW ACCOUNT" with HDFC Bank Limited having its branch office at Manekji Wadia Building, Ground Floor, Nanik Motwani Marg, Fort, Mumbai, Maharashtra – 400001 (**"Escrow Bank"**) and has credited in the said Escrow Account an amount of ₹ 3,90,60,573.64/- (Rupees Three Crore Ninety Lakhs Sixty Thousand Five Hundred and Seventy Three and Sixty Four Paisa Only) being more than 100% of Initial Escrow Amount. The Promoter Acquirer, the Manager to the Offer and Escrow Bank have entered into an escrow agreement pursuant to which the Promoter Acquirer has empowered the Manager to the Offer to deal with the amount lying in the said Escrow Account and Special Account (as defined hereinafter) in compliance with Delisting Regulations.

c. The Promoter Acquirer has also opened a special account (**"Special Account"**) with the Escrow Bank at their branch at Manekji Wadia Building, Ground Floor, Nanik Motwani Marg, Fort, Mumbai, Maharashtra – 400001, with the title 'POLYGENTA TECHNOLOGIES LTD - DELISTING OFFER - SPECIAL ACCOUNT' which shall be used for payment to the Public Shareholders and the ESOP Trust who have validly tendered the Shares in the Delisting Offer.

d. On determination of the Exit Price the Promoter Acquirer shall make public announcement under Regulation 18 of the Delisting Regulations.

e. In the event of the Exit Price being more than the Floor Price, the Promoter Acquirer shall forthwith deposit in Escrow Account such additional sum as may be required to make up the entire sum due and payable as consideration in respect of Equity Shares outstanding with Public Shareholders and ESOP Trust, in compliance with Regulation 11(2) of the Delisting Regulations.

f. For the remaining Public Shareholders i.e. those shareholders who shall tender their equity shares up to a period of two years from the date of delisting, an amount equivalent to the consideration to be paid shall be paid from the Escrow Account by the Promoter Acquirer.

Cont...2

www.readwhere.com

'अफगानिस्तान में शांति के लिए असल वार्ता अभी बाकी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

अफगानिस्तान समझौते के बाद शांति के लिए अभी व्यापक प्रयास की जरूरत बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा, 'हमने दोहा में जो देखा, वह चकित करने वाला घटनाक्रम नहीं था। हर कोई इस बारे में जानता था कि यह होने वाला है। ठीक उसी तरह कि पाकीजा के 17 ट्रेलर देखने के बाद फिल्म देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अभी असली वार्ता बाकी है। अंतर-अफगान समझौते में कुछ निकलेगा, तभी शांति स्थायी होगी। एक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं यह 2000-2001 वाला अफगानिस्तान नहीं है।

एनआरसी से प्रभावित नहीं होंगे बांग्लादेशी

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

भारत ने बांग्लादेश को सोमवार को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी को अद्यतन करने से उनके देश के लोग प्रभावित नहीं होंगे। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ढाका में एक सम्मेलन में कहा, 'एनआरसी की प्रक्रिया पूरी तरह भारत तक सीमित है।' 'बांग्लादेश और भारत : आशावान भविष्य' विषय पर सम्मेलन के दौरान उन्होंने यह बात कही ।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 07.03.2020

Delhi - Connaught Place: MUL-1861, 1872, 2028, 2076, **Delhi - Munirka:** MUL-3452, 3645, 3657, 3864, 4112, 4443, 4480, MWS-122, **Malviya Nagar:** MUL-1226, 1338, 1486, 1560, **Green Park:** MUL-1350, 1490, 1821, 1934, 1957, **Delhi - Kalakaji Extn:** MHP-2, MUL-1978, 1980, 2034, 2035, 2421, 2453, 2524, 2537, 2591, 2643, 2647, 2648, 2651, 2781, 2823, **Delhi - Saket:** MUL-1660, 1661, 1716, 2014, 2206, 2362, 2511, 2579, 2720, 2763, **Delhi - Jangpura:** MUL-1283, 1370, 1381, 1424, 1482, 1489, 1490, 1810, **Lajpat Nagar Central Market:** MUL-703, 791, 792, 793, 796, **New Delhi - Kotla:** MUL-1864, 2182, 2386, **Delhi - Okhla Phase II:** MUL-1126, 1378, 1474, 1493, 1525, 1575, 1672, **Mahipalpur:** MUL-1225, 1294, 1654, 1754, 1818, **Vasant Kunj - Masoodpur:** MUL-1000, 1027, 1038, 1039, 1040, 1073, 1098, 1169, **Hari Nagar Ashram:** MUL-965, 1165, **Sant Nagar:** MUL-734, 889, 924, 996, 1065, **Asaf Ali Road:** MUL-675, **R.K. Puram:** MUL-1676, 1777, 1892, 1959, **Delhi - Lado Sarai:** MUL-1714, 1767, **Delhi -Chuna Mandi:** MUL-1282, 1313, 1314, 1541, 1686, **Lajpat Nagar - 3 CS Road:** MUL-515, 540, 839, **Delhi - Chirag:** MUL-578, 713, 816

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 07.3.2020

Delhi - Nehru Place: MUL-3416, **Lajpat Nagar:** MUL-2007, **Sarai Juleana:** MUL-3935, **Munirka:** MAL-1936, MWS-3370, **Saket:** MUL-5487, **Okhla Phase II:** MUL-5103, 5242, **Hari Nagar Ashram:** MUL-1757, **Ansari Road:** MUL-1690, **Katwaria Sarai:** MUL-1973, **Jeewan Nagar:** MUL-1729, **Delhi - Chirag:** MPL-43, **Devli Khanpur:** MUL-1517

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **09.03. 2020** को क्रमशः नीलामी केंद्र **K-24 Feroze Gandhi Road Lajpat Nagar-II New Delhi - 110024** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके आने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

केनरा बैंक Canara Bank

केनरा बैंक
आरएएच-IV, ब्लॉक-डीपी-10-11, एलएस
मौर्या एन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

कोरियर/स्पीड पोस्ट

दिनांक : 20.02.2020

1. श्री संजीव आनन्द पुत्र श्री लाल कश्मीरी
मैसर्स एस.के. एण्ड सन्स के प्रोपराइटर, 361, पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110092
2. श्रीमती निधि आनन्द पत्नी श्री संजीव आनन्द
मैसर्स ए.एस. प्रिन्टर्स, 361, पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110092
1. श्री संजीव श्री संजीव आनन्द पुत्र श्री लाल कश्मीरी (कर्जदार)
2. श्रीमती निधि आनन्द पत्नी श्री संजीव आनन्द (संयुक्त कर्जदार)
दोनों निवासी : म.नं. पी-164, गली नं. 7, बिहारी कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली-110032
साथ ही : प्रथम तल, सम्पत्ति सं. 78, भेरा एन्कलेव, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063

प्रिय श्रीमान,

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना

खाता : श्री संजीव आनन्द एवं श्रीमती निधि आनन्द, ऋण खाता सं. 2972619000009

1. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत नियुक्त/ पदनामित केनरा बैंक, आरएएच-IV, ब्लॉक-डीपी-10-11, एलएससी मौर्या एन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी आपके लिये इस प्रकार से यह सूचना जारी कर रहे हैं:
2. कि आपने उपर्युक्त खाते में समय समय पर हमारे केनरा बैंक, आरएएच विवेक विहार, दिल्ली के माध्यम से निम्न ऋण/ साख सुविधाएें प्राप्त की हैं।

ऋण/साख का प्रकार	वर्तमान सीमा	18.02.2020 तक बकाया
गृह ऋण	रु. 95,80,000/-	रु. 98,28,959/-
(रुपये अट्ठानबे लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ उनसठ मात्र)		

3. आपके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं के कंसीडेरशन में तथा उक्त ऋण/ साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिये आपने बैंक के पक्ष में विभिन्न दस्तावेजों को निष्पादित किया है जिसके द्वारा तथा जिसके अंतर्गत आपने बैंक के पक्ष में अचल परिसम्पत्ति/आस्ति पर प्रभार/गिरवी का निर्माण किया है।

उपर्युक्त खाते में हमारे बैंक के पास चार्ज्ड/गिरवी आस्तियों/परिसम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार है :

क) भेड़ा एन्कलेव, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063 पर स्थित कथित सम्पत्ति के तहत भूमि के फ्रीहोल्ड अनुपात सहित प्रथम तल, बिल्ट अप सम्पत्ति सं. 78, 3 बेडरूम, 1 ड्राइंग सह डाइनिंग रूम, टॉयलेट/बाथरूम, 1 किचन, 2 बालकनी, 1 लॉबी एवं 1 सर्वेन्ट रूम तथा किचन एवं टॉयलेट जिसका कवर्ड एरिया 209.03 वर्ग गज अर्थात 2250 वर्ग मीटर है जो बेसमेंट + तिमंजिला भवन क्षेत्रफल 399.14 वर्ग गज अर्थात 333.73 वर्ग मीटर है, की ईएमटी का इक्विटेबल बन्धक।

सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नवत हैं :

उत्तर : सड़क 80 फीट चौड़ी, **दक्षिण** : सर्विस लेन, **पूर्व** : प्लॉट सं. 77, **पश्चिम** : प्लॉट सं. 79

4. यद्यपि उक्त ऋण पूर्व से ही अदायगी के लिए नियत है, आप बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे एवं/अथवा हमारे बारबार किए गये अनुरोधों के बावजूद उस खाता को विनियमित करने में उसकी अनदेखी की।
5. आपने स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन किया है तथा उक्त खाता अनियमित हो गया तथा उसके परिणाम स्वरूप यह खाता गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति बन चुकी है तथा भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 25.12.2019 को हमारे बैंक द्वारा खाते को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
6. 18.02.2020 को रु. 98,28,959/- (रुपये अट्ठानबे लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ उनसठ मात्र) (उपरोक्त खाता में 18.02.2020 तक अद्यतन ब्याज शामिल) की राशि तथा उसके साथ आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे की राशि बकाया हो गया है।
7. इस सूचना के द्वारा, एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में हमें उपरोक्त खाता में लागत, चार्ज, उस पर खर्चे सहित आगे के ब्याज के साथ अद्यतन अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें जिसमें विफल होने पर हम उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा अन्य प्रावधानों के अंतर्गत हमें प्रदत्त सभी अथवा किसी भी आधिकार(रों) का उपयोग करने के लिये बाध्य होंगे।
8. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।
9. आप यह जान लें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद हमारे बैंक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना आप ऊपर वर्णित किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकेंगे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस इंजक्शन/ प्रतिबंध का किसी भी प्रकार से उल्लंघन उक्त अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है।
10. यह सूचना उपरोक्त अधिनियम एवं/अथवा प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत हमारे बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जा रही है।

आपका भवदीय
प्राधिकृत अधिकारी कृते केनरा बैंक

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 11.03.2020

Bahadurgarh: MUL-1313, 1354, 1361, 1376, 1377, 1379, 1389, 1393, 1395, 1399, 1440, 1482, 1504, 1518, 1524, 1533, 1543, 1563, 1586, 1595, 1625, 1628, 1639, 1643, 1646, MWS-3, 6, 23, 37, 54, 90, 94, 105, 135, 140, 287, 312, 317, 338, **Bahadurgarh - Rohtak Road:** MUL-625, MWS-149, 177, 178, 216, 310, 311, 326, 332, 372, 401, 402, 414, 443, 454, 468, 469, 514, 530, 554, 581, 588, 670, 698, 704, 745, 760, 802

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **12.03. 2020** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Shop No. 3&4, First Floor, R.N.Plaza Railway Road Bahadurgarh Distt. Jhajjar, Haryana - 124507** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

नीलामी की तिथि: 12.03.2020

Rohtak: MUL-917, 931, 945, 1031, 1078, 1104, 1131, 1192, 1199, 1208, 1347, 1348, 1387, 1432, 1440, 1516, 1556, 1571, 1593, 1597, 1600, 1618, 1628, 1640, 1670, 1673, 1687, 1702, 1742, 1745, 1781, 1783, 1804, 1842, 1846, 1854, 1860, 1867, 1875, 1893, 1897, 1945, 1974, 2010, 2021, 2108, **Rohtak Mansarovar Colony:** MUL-561, 685, 686, 693, 775, 803, 813, 982, 995, 1017, 1041, 1049, 1072, 1146, 1179, 1252, 1258, 1266, 1304, 1358, 1462, 1551, **Rohtak - Kathmandi:** MUL-705, 799, 912, 921, 928, 933, 1022, 1024, 1090, 1127, 1157, 1170, 1206, 1237, 1292, 1372, 1485, **Rohtak - Subhash Road:** MUL-776, 814, 853, 869, 875, 912, 1027, 1030, 1103, 1119, 1125, 1203, 1213, 1232, 1233, 1254, 1326, 1382

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 12.03.2020

Rohtak Mansarovar Colony: MUL-2281, 2286

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **13.03. 2020** को क्रमशः नीलामी केंद्र **First Floor, City Centre, Opp. City Police Station, Rohtak - 124 001** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएगी।

नीलामी की तिथि: 07.03.2020

Meham Rohtak Distt.: MAL-110, MGL-406, 448, 451, 470, 545, 546, MSL-63, 506, 561, MUL-135, 169, 188, 267, 281, 315, 316, 347, 348, 349, 363, 369, 405, 501, 505, 514, 526, 537, 568, 588, 598, 618, 646, 655, 657, 709, 773, 807, 808, 813, 873, 890, 909, 913, 923, 936

नीलामी की तिथि: 09.03.2020

Kalanaur - (HA): MAL-12, MGL-21, 36, 39, 104, 110, 115, 121, 126, 291, 292, 315, MUL-12, 21, 26, 84, 86, 121, 122, 132, 133, 137, 143, 153, 161, 207, 242, 255, 256, 267, 268, 305, 331, 346, 422, 449, 458, 465, 483, 490, 496, 518, 533, 538, 542, 600, 610, 611, 624, 638, 640, 660, 682, 684, 715, 720, 734, 755, 791, 829, 863

नीलामी की तिथि: 11.03.2020

Jhajjar: MSL-6158, MUL-187, 295, 365, 815, 855, 903, 914, 1016, 1131, 1139, 1154, 1167, 1182, 1186, 1200, 1208, 1214, 1216, 1225, 1258, 1283, 1296, 1306, 1328, 1332, 1333, 1340, 1358, 1361, 1371, 1377, 1396, 1427, 1455, 1456, 1470, 1484, 1525, 1537

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.08.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 07.03.2020

Meham Rohtak Distt.: MUL-380, 986, 1079

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

XVI. ACQUISITION WINDOW FACILITY OR OFFER TO BUY (OTB)

a. Pursuant to the Delisting Regulations, the Promoter Acquirer is required to facilitate tendering of the Equity Shares by the Public Shareholders and ESOP Trust and the Settlement of the same, through the stock exchange mechanism provided by SEBI. SEBI vide its circular dated April 13, 2015 on 'Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange pursuant to Tender-Offers under Takeovers, Buy Back and Delisting' and pursuant to the Delisting Regulations, the Promoter Acquirer is required to facilitate tendering of the Equity Shares by the Public Shareholders and the ESOP Trust and the settlement of the same, through the Stock Exchange Mechanism (defined below) provided by BSE. SEBI vide its circular dated April 13, 2015 on 'Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange pursuant to Tender-Offers under Takeovers, Buy Back and Delisting' and its circular dated December 9, 2016 on 'Streamlining the process for Acquisition of Shares pursuant to Tender-Offers made for Takeovers, Buyback and Delisting of Securities (the **"SEBI Circulars"**) has set out the procedure for tendering and settlement of Equity Shares through the Stock Exchange (the **"Stock Exchange Mechanism"**). Further, it provides that the BSE shall take necessary steps and put in place the necessary infrastructure and systems for implementation of the Stock Exchange Mechanism and to ensure compliance with requirements of the SEBI Circulars. Pursuant to the SEBI Circulars, BSE has issued guidelines detailing the mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange.

b. The Promoter Acquirer has chosen Acquisition Window Facility or OTB (offer to buy) provided by the BSE. BSE is chosen as the Designated Stock Exchange.

c. The cumulative quantity tendered shall be displayed on the website of BSE at specific intervals during Bid Period.

XVII. PROCEDURE FOR TENDERING OF SHARES THROUGH STOCK EXCHANGE MECHANISM

A. Procedure to be followed by Public Shareholders and the ESOP Trust in respect of Offer Shares held in dematerialized form

a. Public Shareholders and the ESOP Trust who desire to tender their Offer Shares in the electronic form under the Delisting Offer would have to do so through their respective Seller Member by indicating the details of the Offer Shares they intend to tender under the Delisting Offer. Public Shareholders and the ESOP Trust should submit their Bids through stock brokers registered with BSE. Public Shareholders and the ESOP Trust should not send Bids to the Company, Promoter Acquirer, Manager to the Offer or the Registrar to the Offer. The Buying Broker may also act as Selling Member for Public Shareholders and the ESOP Trust. In the event Selling Member of any Shareholder is not registered with BSE trading member/ stock broker, then that Shareholder can approach any BSE registered stock broker and can register himself by using quick unique client code (UCC) facility through that BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law).

b. The Seller Member would be required to place a bid on behalf of the Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Delisting offer using the Acquisition Window Facility of BSE. Before placing the bid, the Shareholder would need to transfer the Equity Shares to the respective Seller Member's pool account, who will in-turn tender the Offer Shares to the early pay-in mechanism/ special account of the Clearing Corporation of India Limited (**"Clearing Corporation"**), by using the settlement number and the procedure prescribed by the Clearing Corporation. This shall be validated at the time of order/bid entry.

c. The details of settlement number shall be informed in the offer opening circular/notice that will be issued by BSE/Clearing Corporation before the Bid Opening Date.

d. For custodian participant orders for Equity Shares in dematerialized form, early pay-in is mandatory prior to confirmation of the relevant order by the custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the Bid Closing Date. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, any modification to an order shall be deemed to revoke the custodian confirmation relating to such order and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

e. Upon placing the Bid, the Seller Member shall provide a Transaction Registration Slip ("TRS") generated by the exchange bidding system to the Public Shareholder and/ or the ESOP Trust, as the case may be. The TRS will contain the details of the order submitted such as Bid ID No., Depository Participant ID, Client ID, No. of Equity Shares tendered and price at which the Bid was placed.

f. Please note that submission of Bid Form and TRS is not mandatorily required in case of Offer Shares held in dematerialised form.

g. The Clearing Corporation will hold in trust the Offer Shares until the Promoter Acquirer completes its obligations under the Delisting Offer in accordance with the Delisting Regulations.

h. In case of non-receipt of the Offer Letter/Bid Form, a copy may be obtained by writing (on plain paper, signed by the respective Public Shareholder/ ESOP Trust, stating name and address, client ID number, Depository Participant name/ID, beneficiary account number and number of equity shares tendered for the delisting offer) to the Registrar to the Offer/ Manager to the Offer, clearly marking the envelope "Polygenta Technologies Limited - Delisting Offer". Alternatively, such Public Shareholder/ ESOSP Trust may download the Bid Forms from the websites of BSE Limited, Polygenta Technologies Limited, Keynote Financial Services Limited and Universal Capital Securities Private Limited at www.bseindia.com, www.polygenta.com, www.keynoteindia.net and www.unisec.in, respectively.

i. Public Shareholders and the ESOP Trust will be required to approach their respective Seller Member and have to ensure that their Bid is entered by their Seller Member in the electronic platform to be made available by the BSE before the Bid Closing Date.

j. The Shareholders will have to ensure that they keep the depository participant account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection/ non acceptance of offer.

B. Procedure to be followed by Public Shareholders and the ESOP Trust holding Offer Shares in physical form

a. As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Press Release bearing PR No. 51/2018 dated December 3, 2018 read with SEBI Press Release bearing no. PR No. 12/2019 dated March 27, 2019, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from April 1, 2019.

b. Accordingly, the Public Shareholders and the ESOP Trust who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialized. Such Public Shareholders and the ESOP Trust are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

XVIII. METHOD OF SETTLEMENT

Upon finalization of the basis of acceptance as per the Delisting Regulations:

a. The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

b. The Promoter Acquirer shall pay the consideration payable towards purchase of the Offer Shares to the Buyer Broker who in turn will transfer the funds to the Clearing Corporation, on or before the pay-in date for settlement as per the secondary market mechanism. For the Offer Shares acquired in the Delisting Offer, the Public Shareholders and the ESOP Trust will receive the consideration in their bank account attached to the depository account from the Clearing Corporation. If bank account details of any Public Shareholder or the ESOP Trust are not available or if the fund transfer instruction is rejected by the RBI or relevant bank, due to any reasons, then the amount payable to the relevant Public Shareholder or the ESOP Trust will be transferred to the concerned Seller Members for onward transfer to such Public Shareholder or the ESOP Trust as the case may be.

c. In case of certain client types viz. non-resident Indians, non-resident clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out will be given to their respective Seller Member's settlement accounts for releasing the same to their respective Public Shareholder's account onward. For this purpose, the client type details will be collected from the depositories whereas funds payout pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by the Stock Exchange and the Clearing Corporation from time to time.

d. The Offer Shares acquired shall be transferred by the Buyer Broker to the account of the Promoter Acquirer on receipt of the Offer Shares pursuant to the clearing and settlement mechanism of the Stock Exchange.

e. In case of rejected shares, if any, tendered by the Public Shareholders and the ESOP Trust, the same would be transferred by the Clearing Corporation directly to the respective Shareholder's Depository Participant account, as part of the exchange payout process. If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the Seller Member's depository pool account for onward transfer to the respective Shareholder. The Seller Member/custodian participants would return these unaccepted Offer Shares to their respective clients (i.e. the relevant Public Shareholder(s)/ ESOP Trust) on whose behalf the Bids have been placed.

f. The Seller Member would issue a contract note and pay the consideration to the respective Public Shareholder/ ESOP Trust as the case may be whose Offer Shares are accepted under the Delisting Offer. The Buyer Broker would also issue a contract note to the Promoter Acquirer for the Offer Shares accepted under the Delisting Offer.

g. Public Shareholders and the ESOP Trust who intend to participate in the Delisting Offer should consult their respective Seller Member for payment of any cost, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Member upon the Public Shareholders and/or the ESOP Trust, as the case may be for tendering their Offer Shares in the Delisting Offer (secondary market transaction).

h. By agreeing to participate in the delisting offer, the Non-Resident (**"NR"**) and Non-Resident Indian (**"NRI"**) shareholders give the company the authority to make, sign, execute, deliver, acknowledge and perform all acts and applications to file regulatory reportings, if required, including FC-TRS Form, if necessary and undertake to provide assistance to the Company for such regulatory reportings, if required by the Company.

XIX. PROPOSED SCHEDULE FOR THE DELISTING OFFER

For the process of the Delisting Offer, the tentative schedule of activity will be as set out below:

Activity	Date	Day
Date of receipt of BSE in-principle approval	March 02, 2020	Monday
Date of the publication of the Public Announcement ("PA")	March 03, 2020	Tuesday
Specified Date*	February 28, 2020	Friday
Dispatch of Offer Letters/Bid Forms to Public Shareholders & ESOP Trust as on Specified Date	March 05, 2020	Thursday
Bid Opening Date (bid starts at market hours)	March 11, 2020	Wednesday
Last Date for revision (upwards) or withdrawal of bids	March 16, 2020	Monday
Bid Closing Date (bid closes at market hours)	March 17, 2020	Tuesday
PA of Discovered Price/ Exit Price and Promoter Acquirer's Acceptance/ Rejection of Discovered Price/ Exit Price@	March 19, 2020	Thursday
Last date for payment of consideration in case of success of the Delisting Offer#	March 26, 2020	Thursday
Last date for return of Equity Shares to Shareholders in case of Bids not being accepted/failure of the Delisting Offer#	March 26, 2020	Thursday

*Specified Date is only for the purpose of determining the names of the Shareholders as on such date to whom the Offer Letter will be sent. However, all the Public Shareholders (registered or unregistered) and the ESOP Trust are eligible to participate in the Delisting Offer any time before and on the Bid Closing Date.

#Subject to the acceptance of the Discovered Price or the Exit Price

@ This is an indicative date and the announcement may be made on or before March 24, 2020, being the fifth working day from the Bid Closing Date.

Note: All dates are subject to change and depend on obtaining the requisite statutory and regulatory approvals, as may be applicable. Changes to the proposed timetable, if any, will be notified to Public Shareholders and the ESOP Trust by way of corrigendum to this Public Announcement and the Letter of Offer in all the newspapers in which this Public Announcement has appeared.

XX. INFORMATION REGARDING STOCK MARKET DATA

a. The Equity Shares of the Company are listed on BSE since March 07, 1995 and are infrequently traded on BSE, in terms of the Takeover Regulations. Based on the information obtained from the BSE website, the high, low and average market prices of the Equity Shares during three calendar years preceding the date of this PA are as follows:

Calendar year	High* (₹)	Low* (₹)	Average** (₹)
2019	2.96	0.80	1.62
2018	13.00	3.02	6.58
2017	16.25	13.00	14.41

*High of intra-day high/ low of intra-day lows during the period

**Average of the daily closing prices during the period

b. Monthly high and low prices for the six months preceding the date of this PA along with volume are as follows:

Month	High* (₹)	Low* (₹)	Volume**
February 2020	1.19	1.19	10
January 2020	1.14	1.14	4,090
December 2019	1.09	1.09	5
November 2019#	-	-	-
October 2019#	-	-	-
September 2019	1.38	1.04	65

*High of intra-day high/ low of intra-day lows during the period

**Cumulative trading volume during the period

#No trading during the period

Source: www.bseindia.com

XXI. PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN OF THE COMPANY

a. The Company has an authorised share capital of ₹ 190,00,00,000 (Rupees One Hundred and Ninety Crores Only) divided into 16,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each and 3,00,00,000 preference share of ₹ 10/- each.

b. The subscribed and paid-up equity share capital of the Company is ₹ 1,56,20,65,440 (Rupees One Hundred Fifty Six Crores Twenty Lakhs Sixty Five Thousand Four Hundred and Forty Only) comprising of 15,62,06,544 Equity Shares of ₹ 10/- each out of which 2,42,00,000 Equity Shares held by the Promoter Acquirer are pledged or otherwise encumbered and 1,01,55,893 Equity Shares are locked in.

c. As on the date of this PA, the Company does not have any outstanding convertible instruments or partly paid-up Equity Shares.

d. The shareholding pattern of the Company as on December 31, 2019 is given below:

Category of Shareholder	Number of Equity Shares	% of total equity share capital
A. Promoter and Promoter Group		
- Promoter Acquirer		
Perpetual Global Technologies Ltd	11,71,54,908	75.00
Total Promoter and Promoter Group (A)	**11,71,54,908**	**75.00**
B. Public Shareholding		
- Institutions	31,46,594	2.01
- Non- Institutions	2,23,80,042	14.33
Total Public Shareholding (B)	**2,55,26,636**	**16.34**
C. Non-Promoter Non-Public		
- Employee Benefit Trust	1,35,25,000	8.66
Total Non-Promoter Non-Public Shareholding (C)	**1,35,25,000**	**8.66**
Total (A)+(B)+(C)	**15,62,06,544**	**100.00**

Source: www.bseindia.com

e. Other than the shareholding mentioned herein, neither the Promoter Acquirer nor any of its directors hold any Equity Shares of the Company, as on the date of this PA.

XXII. LIKELY POST DELISTING CAPITAL STRUCTURE

The likely post-delisting capital structure of the Company, assuming all the shares are acquired from the Public Shareholders and the ESOP Trust pursuant to the Delisting Offer will be as follows:

Category of Shareholder	Number of Equity Shares	% of total equity share capital
Promoter Acquirer	15,62,06,544	100.00

XXIII. STATUTORY APPROVALS

a. SEBI vide their order no. SEBI/WTM/GM/CFD/32/2019-20 dated August 21, 2019 granted relaxation from the applicability of Regulation 8(1B)(i) of Delisting Regulations (limited to the extent of compliance with minimum public shareholding norms) for the specific purpose of seeking voluntary delisting of its Equity Shares, subject to few conditions mainly:
- "In addition to compliance with the applicable provisions of Delisting Regulations, the delisting offer shall be considered as successful only if the Promoter Acquirer acquires at least 60% of the remaining public shareholding.
- The shares held by ESOP Trust shall not constitute public shareholding for the purpose of aforesaid acquisition of 60%."

b. The Public Shareholders have accorded their consent by way of special resolution passed through postal ballot, results of which were declared on January 11, 2020, in respect of delisting of Equity Shares from the BSE, in accordance with the Delisting Regulations.

c. BSE has given its in-principle approval for delisting of Equity Shares from its exchange vide its letter no. DCS\Delisting\VM\IP\408\2019-20 dated March 02, 2020.

d. To the best of the Promoter Acquirer's knowledge, as of the date of this PA, no statutory or regulatory approval is required to acquire the Equity Shares of the Company by the Promoter Acquirer, other than those indicated above. If any other statutory or regulatory approval becomes applicable and if, for obtaining such approvals certain conditions are imposed, which the Promoter Acquirer considers in its sole discretion to be onerous, then the Promoter Acquirer reserves the right not to proceed with the Delisting Offer.

e. It shall be the responsibility of the Public Shareholders and the ESOP Trust tendering in the Delisting Offer to obtain all requisite approvals (including corporate, statutory or regulatory approvals), if any, prior to tendering the Offer Shares held by them in the Delisting Offer, and the Promoter Acquirer shall take no responsibility for the same. The Public Shareholders and the ESOP Trust should attach a copy of any such approval to the Bid Form, wherever applicable.

f. In the event that receipt of the requisite statutory and regulatory approvals are delayed, the Promoter Acquirer may, with such permission as may be required, make changes to the proposed timetable or may delay the Delisting Offer and any such change shall be intimated by the Promoter Acquirer by issuing an appropriate corrigendum in all the newspapers where this PA has been published.

XXIV. NOTES ON TAXATION

a. Under current Indian tax laws and regulations, capital gains arising from the sale of equity shares in an Indian company are generally taxable in India. Any gain (in excess of ₹ 1 lakh) realized on the sale of listed equity shares on a stock exchange held for more than 12 months will be subject to capital gains tax in India @ 10% if Securities Transaction Tax (**"STT"**) has been paid on the transaction.

b. STT will be levied on and collected by a domestic stock exchange on which the equity shares are sold. Further, any gain realized on the sale of listed equity shares held for a period of 12 months or less which are sold, will be subject to short term capital gains tax @ 15% provided the transaction is chargeable to STT.

c. The Promoter Acquirer will continue to acquire the Equity Shares for up to a period of 2 years from the date of delisting. Since such transaction of the Equity Shares is proposed to be done off-market, such transaction is not chargeable to STT and hence provisions of section 112A of the Income Tax Act, 1961 will not apply to the Shareholders.

The above tax rates are subject to applicable rate of surcharge, education cess and secondary and higher education cess. The tax rate and other provisions may undergo changes.

SHAREHOLDERS ARE ADVISED TO CONSULT THEIR TAX ADVISORS FOR TAX TREATMENT ARISING OUT OF THE DELISTING OFFER AND APPROPRIATE COURSE OF ACTION THAT THEY SHOULD TAKE. THE PROMOTER ACQUIRER NEITHER ACCEPTS NOR HOLDS ANY RESPONSIBILITY FOR ANY TAX LIABILITY ARISING TO ANY SHAREHOLDER AS A REASON OF THIS DELISTING OFFER.

XXV. CERTIFICATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

The Board of Directors hereby certifies that:

a. There are no material deviations in utilization of proceeds of issues of securities made during the five years immediately preceding the date of this PA, from the stated object of the issue;

b. All material information which is required to be disclosed under the provisions of the continuous listing requirements contained in the listing agreement executed by the Company with BSE has been disclosed to BSE, as applicable.

c. The Company is in compliance with the applicable provisions of securities laws (other than MPS norms for which SEBI vide its order dated August 21, 2019 has provided a relaxation).

d. the Promoter Acquirer or its related entities have not carried out any transaction to facilitate the success of the delisting offer which is not in compliance with the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Delisting Regulations;

e. the delisting is in the interest of the Public Shareholders and the ESOP Trust.

XXVI. COMPLIANCE OFFICER

The details of Compliance Officer of the Company are as under:

Mr. Paresh Damania
Company Secretary & Compliance Officer
Office Address: Unit No.1B, Kaledonia (HDIL) Building, 5th Floor, Off Western Express Highway, Sahar Road, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400 069; **Tel.:** 022- 6215 4087
Email: companysecretary@polygenta.com

In case the Public Shareholders and/ or the ESOP Trust have any queries concerning the non-receipt of credit or payment for Offer Shares or on delisting processes and procedure, they may address the same to the Registrar to the Offer or the Manager to the Offer.

XXVII. DISCLAIMER CLAUSE OF BSE

a. It is to be distinctly understood that the permission given by BSE to use their network and software of the online OTB platform should not in any way be deemed or construed that the compliance with various statutory and other requirements by the Company, Manager to the Offer, etc., are cleared or approved by BSE; nor does BSE in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does BSE have any financial responsibility or liability nor does BSE take responsibility in any way for the financial or other soundness of the Company, its promoters or its management.

b. It is also to be distinctly understood that the approval given by BSE should not in any way be deemed or construed to mean that the Offer Letter has been cleared or approved by BSE, nor does BSE in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the announcements, nor does BSE warrant that the securities will be delisted.

c. That every person who desires to avail of the exit opportunity may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against BSE or against the Investor Protection Fund set up by BSE whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such offer and tender of securities through reverse book-building process whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

XXVIII. GENERAL DISCLAIMER

Every person who desires to avail of the Delisting Offer may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Promoter Acquirer, the Manager to the Offer or the Company whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such offer and tender of Equity Shares through the reverse book-building process whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

For further details please refer to the Offer Letter, the Bid Form and the Bid Revision/ Withdrawal Form which will be sent to the Public Shareholders and ESOP Trust. This PA is expected to be available on BSE's website at www.bseindia.com. Public Shareholders and ESOP Trust will also be able to download the Offer Letter, the Bid Form and the Bid Revision/ Withdrawal Form from BSE's website during Offer Period.

Manager to the Offer :

KEYNOTE

KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LIMITED
(formerly Keynote Corporate Services Limited)
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai - 400 028.
Tel: +91-022-6826 6000-3; **Fax:** + 91-022-6826 6088
Contact Person: Ms. Pooja Sanghvi/ Mr. Akhil Mohod; **Email:** mbd@keynoteindia.net
Website: www.keynoteindia.net
SEBI Registration No.: INM 000003606

For and on behalf of the Board of Directors of Perpetual Global Technologies Limited		
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dr. Vivek Tandon Director (United Kingdom)	**Vikram Kundlik Nagargoje** Director (United Kingdom)	**AAA Global Services Ltd** Corporate Secretary (Mauritius)

Date: March 02, 2020

CONCEPT

www.readwhere.com

सोना 391 रुपए मजबूत, चांदी 713 रुपए उछली

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने का भाव 391 रुपए उछलकर 42,616 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 713 रुपए मजबूत होकर 46,213 रुपए किलो पर पहुंच गई। शनिवार को सोना 42,225 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 45,500 रुपए किलो पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि 999 और 995 शुद्ध वाले सोने के भाव दिल्ली में क्रमशः 440-440 रुपए मजबूत होकर 43,250 रुपए प्रति 10 ग्राम और 43,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

शेयर बाजार में सातवें दिन भी गिरावट, सूचकांक 153 अंक टूटा

मुंबई, 2 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच स्थानीय शेयर बाजार सोमवार को शुरुआती बढ़त के बाद नीचे आ गए। कारोबार के अंतिम दौर में बिकवाली तेज होने से बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 153 अंक टूट गया। यह लगातार सातवां कारोबारी दिन है जब बाजार में गिरावट दर्ज की गयी।

तीस शेयरों वाला बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 153.27 अंक की गिरावट के साथ 38,144.02 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी में भी एक समय अच्छी खासी तेजी चल रही थी । लेकिन अंत में 69 अंक गिर कर 11,132.75 अंक पर बंद हुआ।

शेयरखान बीई बीएनपी परिबा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूंजी बाजार रणनीति एवं निवेश के प्रमुख गौरव दुआ ने कहा- कोरोना वायरस के नये मामलों के कारण शेयर बाजार नीचे आये। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में स्थिरता के बावजूद निफ्टी में कारोबार के दौरान 11,430 के उच्च स्तर से करीब 400 अंक की गिरावट आयी और यह सब केवल एक घंटे में हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए प्रोत्साहन उपाय की उम्मीद से वैश्विक बाजारों में तेजी आई। हालांकि फरवरी में घरेलू विनिर्माण में वृद्धि में नरमी आपूर्ति संबंधी चिंता को बताता है। यह बताता है कि अल्पकालीन चिंताओं से बाजार में उतार-चढ़ाव रह सकता है। जनवरी में करीब आठ साल के उच्च स्तर पर रहने के बाद देश का विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि फरवरी में धीमी पड़ी है। कोरोना वायरस के कारण व्यापार धारणा प्रभावित हुई है।

आइएचएस मार्किट इंडिया के विनिर्माण क्षेत्र के पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) फरवरी 2020 में 54.5 पर रहा। यह आंकड़ा जनवरी के 55.3 अंक के मुकाबले नीचे है। सूचकांक में शामिल जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, उसमें एसबीआइ, टाटा स्टील, हीरो मोटो कार्प, बजाज ऑटो, ओएनजीसी और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। दूसरी तरफ एचसीएल टेक, नेस्ले इंडिया, आइसीआइसीआइ बैंक और इंफोसिस लाभ में रहे।

जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी बिल पकड़े, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

दिल्ली में माल व सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने फर्जी बिल जारी कर धोखाधड़ी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने 17 फर्जी कंपनियां बनाई जिनमें 436 करोड़ रुपए का माल खरीदने-बेचने के फर्जी बिलों पर कर लाभ लेने का मामला सामने आया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय जीएसटी दिल्ली पूर्व आयुक्तालय के अधिकारियों ने इस मामले का पता लगाया है। उनके मुताबिक इन कपनियों ने धोखाधड़ी के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत 11.55 करोड़ रुपए के कर रिफंड के लिए दावा किया। सीजीएसटी दिल्ली पूर्व की ओर से जारी बयान के मुताबिक-जांच पड़ताल के दौरान यह मामला प्रकाश में आया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा कुछ बैंक कर्मचारियों के साथ मिली भगत से एक बड़ा हवाला कारोबार चलाया जा रहा था। संलिप्त बैंक कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है।

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devnoor Singh Judicial magistrate-1st class, Ludhiana
Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Complaint r/w sec-138 of N.I.ACT
CNR NO: PBLD03-029555-2019
PESHI: 25-03-2020

Sunil Garg
V/s
Krishan Kant Mahato

[illegible] that you should appear personally before this court on 25-03-2020 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and The seal of the court. For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar Judicial magistrate-1st class, Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-058957-2018
NEXT DATE: 27-03-2020

Kotak Mahindra Bank
V/s
Vinay Batra

Publication Issued To: Vinay Batra Address- Hno 46 Arya Nagar Moradabad Uttar Pradesh [illegible] with a direction that you should appear personally before this court on 27-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Ramesh Kumar Judicial magistrate-1st class, Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR NO: PBLD03-058939-2018
NEXT DATE: 27-03-2020

Kotak Mahindra Bank
V/s
Inder Singh Kataria

Publication Issued To: Inder Singh Kataria Address- Hno 100 Nr Prem Hospital Kishan Sarup Colony Panipat Haryana [illegible] against you with a direction that you should appear personally before this court on 27-03-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana
JMIC LUDHIANA

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI
4TH Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001
OA No. 29/2019
PUNJAB NATIONAL BANK ... Applicant
VERSUS
Sh.Shiv Singh & Anr. ... Defendants

To, (1) Shri Shiv Singh S/o Dev Kishan (Borrower) Office Address At: Shop No. 6, Arjun Park, Near Bus Stop Metro Pillar No. 52, Najafgarh Road, New Delhi-110043. Residential Cum Godown Address At: RZ-50, Chowk Panna, Nangli Sakrawati, South West Delhi-110043. (2) Smt. Omwati W/o Dev Kishan (Guarantor), Residing at: RZ-50, Chowk Panna, Nangli Sakrawati, South West Delhi-110043.

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of **Rs. 10,17,766/- (Rupees Ten Lacs Seventeen Thousand Seven Hundred Sixty Six Only)** against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, This notice is given by advertisment directing you to make appearance before Ld. Registrar on 12.03.2020 at 10.30 A.M.

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this **22th January of 2020**

(Seal) **By order of this Tribunal**
For Registrar

BHARAT NIDHI LIMITED
Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Phone No. 011-43562982,
E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com Website - www.bharatnidhi.com
CIN No. U51396DL1942PLC000644

NOTICE is hereby given that the following Shareholders of the Company holding fully paid up equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost their respective Share Certificates and application has been made to the Company by them / their legal heir to issue duplicate share certificates:

Name of the Shareholder	Father/ Husband's Name	No. of Shares held	Folio No.
Kapil Kumar Munshi	Late Kishen Pershad Munshi	100	79
Late V.S Lakshmanan	Late Sengotiah Mustair	200	4644
Late Popatlal Amratlal Vaidya and Late Parmanand A.Vaidya	Late Amrutlal Vaidya	100	16357
Late Narmada Mehta	Late Natwar Lal Mehta	52	2940
Late M Venkatasubba Rao	Late Venkatasubba Rao	3587	300

Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice: else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

For Bharat Nidhi Limited
Sd/-
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: March 2, 2020

आइएनसी-26
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में
और
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (6)(ए) के विषय में।
और
मै. सेहरावत सिक्योरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, (CIN: U74920DL2008PTC180131) जिसका पंजीकृत कार्यालय 70, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, माता सुन्दरी रोड़, नई दिल्ली-110002 के विषय में ....आवेदक

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा **केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली से पश्चिम बंगाल राज्य** में अपना पंजीकृत कार्यालय हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु 22 **फरवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी शिकायत इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,** कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, नई दिल्ली**-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या भेजे जाने का कारण या निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा **एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति ऊपर वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है:

हिते एवं कृते आवेदक,
सेहरावत सिक्योरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड,
ह./- (मनिन्द्र कुमार झा)
निदेशक,
DIN: 06901190

दिनांक: 22.02.2020
स्थान: नई दिल्ली

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लि०
Delhi Tourism

निविदा सूचना

निम्नलिखित ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:
1. [illegible] निविदा आईडी नं. 2020_DTTDC_188987_1.
2. [illegible] निविदा आईडी नं. 2020_DTTDC_189002_1.
3. [illegible] निविदा आईडी नं. 2020_DTTDC_188991_1.

विस्तृत विवरण [illegible] www.govtprocurement.delhi.gov.in [illegible] 24-03-2020 [illegible] 3.00 बजे तक है।

प्रबंधक (कैटरिंग), डीटीटीडीसी

इण्डियन ओवरसीज बैंक
रचना बिल्डिंग, 4था तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008, फोन: 011-25758124,
ईमेल: iob1997@iob.in

शुद्धि पत्र

ऋणधारक मै. एआई मेटल्स प्रा.लि. की निजी संधि बिक्री की सूचना के संदर्भ में 1.3.2020 को **फाइनांसियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) एवं जनसत्ता (हिन्दी)** में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में निम्न सुधारों पर ध्यान दें:

1) ''चल परिसम्पत्तियों का विवरण'' को ''**अचल सम्पत्ति का विवरण**'' पढ़ें।
2) इस सूचना में वर्णित उपबंध जैसे- ''सूचनाः यदि किसी पार्टी को कोई आपत्ति हो तो निजी संधि सूचना के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर लिखित में बैंक को सूचित करें'' को वापस कर लिया गया है।

अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे।

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 3.3.2019
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन ओवरसीज बैंक

COURT NOTICE

Criminal Courts, Ludhiana
In the court of sh. Gurdarshan Singh Judicial magistrate-1st class Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
CNR NO:PBLD03-039385-2017
NEXT DATE: 04-04-2020

Kotak Mahindra Bank
V/s
Shamim

Notice To: Shamim H.no 103, Diwanpur Bilari, Moradabad -244001 (Uttar Pradesh) Punjab [illegible] on 04-04-2020 at 10.00 a.m. [illegible]
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Gurdarshan Singh Judicial magistrate-1st class, Ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
CNR NO:PBLD03-039375-2017
NEXT DATE: 04-04-2020

Kotak Mahindra Bank
V/s
Devendra Lal

Notice To: Devendra Lal H.no 256, Satheedar Kot Bandiya, Ps-kichha, Udham Singh Nagar- 263148, Punjab [illegible] on 04-04-2020 at 10.00 a.m. [illegible]
JMIC LUDHIANA

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: द ग्रैण्ड प्लाज़ा, प्लांट नं. 2, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज - फेस-II, नई दिल्ली - 110070
CIN: L35911DL1984PLC017354 | फोन: 011-46044220 | फैक्स: 011-46044399
ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com | वेबसाइट : www.heromotocorp.com

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाण पत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना अनुसारी चिंतित शेयरधारकों दावेदारों से प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाण पत्र के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

क्र. सं.	फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	डिसटिन्क्टिव नं. से	डिसटिन्क्टिव नं. तक	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
		शेयरों के अंकित मूल्य रू 10/- प्रत्येक				
1	HML0050700	शरदचंद्रा ए शेवडे	2549066	2549115	50991	50
2	HML0114407	सुरेश चंद जैन	19099103 19099113	19099112 19099114	275615 275616	10 2
3	HML0009821	रविंद्रा पी भोसले	491366	491415	9837	50
4	HML0140113	रमाकांत आर चोखानी	938716 2491416 35220435 35220485	938765 2491465 35220484 35220534	18784 49838 413597 413598	50 50 50 50
5	HML0083323	वसंत दत्तात्रेय साल्वी रश्मी रघुनाथ देसाई	4185816 12603062 16254576 16254586 16254591 21039497 21039547	4185865 12603081 16254585 16254590 16254592 21039546 21039583	83726 145713 242107 242108 242109 345633 345634	50 20 10 5 2 50 37
6	HML0064993	सुजाता मेहता	3265966 16195722 16195732 20814453 20814503	3266015 16195731 16195733 20814502 20814514	65329 231631 231632 339086 339087	50 10 2 50 12
7	HML0125314	अमित कुमार जैन	34485339 19291343	34485358 19291362	416303 282941	20 20
8	HML0154430	गुरशरण सिंह अमरजीत कौर जतिन्दर कौर	34009896	34009905	387988	10
9	HML0041184	शिवलदास असरानी	16122412 16122422	16122421 16122423	218534 218535	10 2
10	HML0120628	डू मुरली मुखी मुरली डायमल मुखी	11451014	11451063	104234	50
11	HML0122026	मोहम्मद साबिर हुसैन बीबी समीमा बेगम	4137466	4137515	82759	50
12	HML0121962	बीबी समीमा बेगम मोहम्मद साबिर हुसैन	252366	252415	5057	50
13	HML0117220	विश्वनाथ अग्रवाला	34275403 34276253	34275452 34276277	394468 394485	50 25
		शेयरों के अंकित मूल्य रू 2/- प्रत्येक				
14	HML0083323	वसंत दत्तात्रेय साल्वी रश्मी रघुनाथ देसाई	47321851	47322720	513452	870
15	HML0064993	सुजाता मेहता	46401086	46401705	511523	620
16	HML0154430	गुरशरण सिंह अमरजीत कौर जतिन्दर कौर	161601486	161601535	521454	50
17	HML0041184	शिवलदास असरानी	45269121	45269180	509254	60

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी 'सचिवीय डिपार्टमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख शेयर प्रमाण पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
हस्ता./-
नीरजा शर्मा
कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.03.2020

शुद्धिपत्र

3 फरवरी, 2020 को "जनसत्ता" में प्रकाशित अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का शुद्धिपत्र

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही अवधि के अनंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के क्रम सं. 5 को इस प्रकार पढ़े, न कि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित रूप में

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही अवधि के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम
(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	स्टैंडएलॉन समाप्त नौ माही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	स्टैंडएलॉन समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समेकित समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समेकित समाप्त नौ माही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समेकित समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	4412.35	4412.36	4411.85	4412.35	4412.35	4411.85

पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अविनाश चन्द्रा
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 02.03.2020

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
शाखा कार्यालय : गोविन्दपुरम शाखा, जिला गाजियाबाद

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना मे दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना / ई-नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है-

कर्जदार/गारन्टर के नाम / एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
श्री रवि कुमार कोदुकुला और श्रीमती शारदा कोदुकुला, दोनो फ्लैट नं. ई 52बी, द्वितीय तल, ब्लॉक ई, गोविंदपुरम, जिला गाजियाबाद, यू.पी.- 201013 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि : 29-06-2019	मांग सूचना की तारीख 26-04-2019 बकाया राशि ₹ 2,92,732.43 दिनांक 25-02-2020 तक (दिनांक 30.06.2019 तक ब्याज सहित) + दिनांक 01.07.2019 से ब्याज प्रभार एवं अन्य खर्च इत्यादि	साम्यिक बंधक सम्पत्ति फ्लैट नं. ई-52बी, द्वितीय तल, ई - ब्लाक, गोविंदपुरम, गाजियाबाद (यू.पी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती शारदा **कोदुकुला के नाम पर है। क्षेत्रफल 23.019 वर्ग मी.** और चौहद्दी : (1) सेल डीड दिनांकित 10.02.1988 क्षेत्रफल (15.12 वर्ग मी.), पूरब में - 3.70 वर्ग चौड़ा गालियारा, पश्चिम में - भूतल पर 4.5 मी चौड़ा रोड, उत्तर में - मकान नं. 51बी, दक्षिण में - मकान का 53बी

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्च आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 02.03.2020, स्थान : गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
शाखा : के 1436/37, रेलवे रोड, बहादुरगढ़ झज्झर, हरियाणा-124507, ई-मेल : synd9257@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
[अधिनियम के तहत परिशिष्ट IV-नियम 8(1)]

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडिकेट बैंक (शाखा : के 1436/37, रेलवे रोड, बहादुरगढ़, झज्झर, हरियाणा-124507) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार(रों)/जमानती(यों) निम्नलिखित तिथियों पर सूचना में लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक मांग सूचना निर्गत की थी।

सम्पत्ति के ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता(ओं)/जमानती(यों)/सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 26 फरवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से कर्जदार(रों) और जनसामान्य को एतद्द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि एवं उस पर भावी ब्याज, लागत आदि के लिए सिंडिकेट बैंक (शाखा : के 1436/37, रेलवे रोड, बहादुरगढ़, झज्झर, हरियाणा-124507) के अभियोग का विषय होगा। प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	मांग सूचना की तिथि
कर्जदार : (1) श्रीमती रजनी पत्नी [illegible] (2) श्री परवीन कुमार पुत्र श्री राम कुमार	इन्द्रा पार्क, शंकर गार्डन, लाइन पार, बहादुरगढ़-124507 पर स्थित [illegible]	रु. 13,73,572.64 [illegible]	01.11.2019 कब्जा करने की तिथि 26.02.2020
कर्जदार : श्री धरमवीर सिंह पुत्र श्री बलवानी दास	राजस्व सम्पदा बहादुरगढ़, जिला झज्जर में खेवट सं. 291/247, खाता सं. 390, खसरा नं. 3063 (3-18) [illegible] 12 फीट चौड़ी गली, पश्चिम : अन्य के प्लॉट।	रु. 08,19,541.47 [illegible]	01.11.2019 कब्जा करने की तिथि 26.02.2020

तिथि: 03.03.2020
स्थान: बहादुरगढ़
अधिकृत प्राधिकारी: सिंडिकेट बैंक

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम, रेल मंत्रालय)
उत्तर मध्य क्षेत्रीय कार्यालय (एनसीआर)
6वां तल, आईसीएआई भवन, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा 201301 (उ.प्र.)
फोन नं.: 0120-4052950, फैक्स: 0120-4052986
CONCOR

निविदा सूचना: कॉन/एनसीआर/पीएण्डए/टेक्सी/एमएलएआर/2020 दिनांक: 03.03.2020

ई-निविदा सूचना

कॉनकार द्वारा **इनलैंड कन्टेनर डिपो**, मालनपुर, जिला मुरैना (मध्य प्रदेश) मे तीन वाणिज्यिक वाहनों को किराए पर लेने की संविदा के लिए **दो बोली प्रणाली** के माध्यम से **ई-निविदाएं** आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की बिक्री की अन्तिम तारीख **23.03.2020** को **दोपहर 3:00 बजे** तक है और **www.tenderwizard.com/CCIL** वेबसाइट पर निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख **23.03.2020** को **सायं 5:00 बजे** तक है। इसकी विस्तृत सूचना एवं किसी भी शुद्धिपत्र के लिए कृपया **www.tenderwizard.com/CCIL** पर लॉग ऑन करें।

मुख्य महाप्रबन्धक/एनसीआर

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर::

क्रमांकः सामान्य/क्रय/के.भ./117/2020-21/70230 दिनांकः 20.02.20

:: ई-निविदा सूचना::

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये महानिदेशालय कारागार जयपुर के अधीन राज्य की केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं इनके अधीनस्थ उप कारागृहों, महिला बंदी सुधारगृह में निरुद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था हेतु दर अनुबंध किये जाने के लिये ई-बोली आमंत्रित की जाती है।

ई-बोली दिनांक 26.02.2020 को सायंकाल 05.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जात सकती हैः

1.	बोली डाउनलोड एवं प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	26/02/2020 को 5.00 PMसे
2.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	17/03/2020 को 1.00PM से
3.	बोली प्रतिभूति, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डीडी/बीसी जमा कराने की तिथि एवं समय	17/03/2020 को 1.00 PM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	17/03/2020 1.05 PM बजे
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

बोली प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 1000/- प्रति कारागृह/प्रति बोली एवं बोली प्रतिभूति राशि (अनुसूची ''ख'' अनुसार) तथा ई-बोली प्रक्रिया शुल्क के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित दिनांक व समय को महानिदेशालय कारागार जयपुर के कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराने होंगे।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वेबसाईट http://www.rajprisons.nic.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।

1	JLD1920GLOB00203	18	JLD1920GLOB00220	35	JLD1920GLOB00237
2	JLD1920GLOB00204	19	JLD1920GLOB00221	36	JLD1920GLOB00238
3	JLD1920GLOB00205	20	JLD1920GLOB00222	37	JLD1920GLOB00239
4	JLD1920GLOB00206	21	JLD1920GLOB00223	38	JLD1920GLOB00240
5	JLD1920GLOB00207	22	JLD1920GLOB00224	39	JLD1920GLOB00241
6	JLD1920GLOB00208	23	JLD1920GLOB00225	40	JLD1920GLOB00242
7	JLD1920GLOB00209	24	JLD1920GLOB00226	41	JLD1920GLOB00243
8	JLD1920GLOB00210	25	JLD1920GLOB00227	42	JLD1920GLOB00244
9	JLD1920GLOB00211	26	JLD1920GLOB00228	43	JLD1920GLOB00245
10	JLD1920GLOB00212	27	JLD1920GLOB00229	44	JLD1920GLOB00246
11	JLD1920GLOB00213	28	JLD1920GLOB00230	45	JLD1920GLOB00247
12	JLD1920GLOB00214	29	JLD1920GLOB00231	46	JLD1920GLOB00248
13	JLD1920GLOB00215	30	JLD1920GLOB00232	47	JLD1920GLOB00249
14	JLD1920GLOB00216	31	JLD1920GLOB00233		

ADVERTISEMENT IN TERMS OF SEBI ORDER NO. SEBI/WTM/GM/CFD/32/2019-20 DATED AUGUST 21, 2019 ("SEBI ORDER") FOR THE INFORMATION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

POLYGENTA

POLYGENTA TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN) - L17120MH1981PLC025388
Registered Office: Kaledonia (HDIL) Building, Unit No 1B, 5th Floor, Sahar Road, Off Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai - 400 069; Tel No.: +91 22 6215 4087 Fax No.: +91 22 6215 4003
E-mail: companysecretary@polygenta.com, Website: www.polygenta.com

PROPOSED ACQUISITION OF 3,90,51,636 FULLY PAID UP EQUITY SHARES (**"EQUITY SHARES"**) OF POLYGENTA TECHNOLOGIES LIMITED **(THE "COMPANY")** BY PERPETUAL GLOBAL TECHNOLOGIES LIMITED (REFERRED TO AS **"PROMOTER ACQUIRER"**) FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AND POLYGENTA STOCK OPTION TRUST **("ESOP TRUST")** AND THE CONSEQUENT VOLUNTARY DELISTING OF THE EQUITY SHARES FROM THE BSE LIMITED **("BSE")**.

i. The Company has received in-principle approval for the proposed delisting of Equity Shares from BSE vide its letter no. DCS/Delisting/VM/IP/408/2019-20 dated March 02, 2020.

ii. Consequently, the Promoter Acquirer has made a Public Announcement (**"PA"**) dated March 02, 2020 in connection with the Delisting Offer of Equity Shares of the Company which is published today i.e., on March 03, 2020 in the Financial Express (English daily), Jansatta (Hindi Daily) and Mumbai Lakshwadeep (Marathi Daily). Shareholders may refer to the same for additional detailed information.

iii. In terms of SEBI Order, MSKA & Associates, Chartered Accountants (FRN:105047W) and Lodha & Co., Chartered Accountants (FRN:301051E) (herein referred to as **"Independent Peer reviewed Chartered Accountants"**) were appointed, for the purpose of valuation of the Equity Shares of the Company. As per the valuation reports both dated 11 November 2019 submitted by them, MSKA & Associates has certified the value of ₹1/- per equity share and Lodha & Co. has certified the value of ₹ 0.97 per equity share.

iv. Based on the valuation reports, the Promoter Acquirer has finalized the Floor Price as ₹1/- per Equity share.

v. All Public Shareholders and ESOP Trust are requested to note that the Floor Price is not a ceiling/ maximum price. The discovered price will be determined through the reverse book building process specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity shares) Regulations, 2009 read with SEBI Order. Further, it shall be noted that the higher of the price discovered in the reverse book building process and the Floor Price decided after taking into account the valuation reports, shall be the price paid to the shareholders who tender their share in the delisting offer.

Note: The Promoter Acquirer is under no obligation to accept the Discovered Price. Alternatively, the Promoter Acquirer may, at its sole discretion, accept the Discovered Price for the Equity Shares or offer a price higher than the Discovered Price.

vi. The period during which the Public Shareholders and ESOP Trust can tender their Equity Shares in the delisting offer is as given herein under:

Bid Opening Date	Wednesday, March 11, 2020
Bid Closing Date	Tuesday, March 17, 2020

vii. For further details, the equity shareholders may refer to the PA dated March 02, 2020 and the SEBI Order available on the website of the Company under the tab "Notices, Reports, Announcements" in the Section "Investor Relations and Reach".

The Letter of Offer containing detailed procedure to tender the Equity Shares in the Delisting Offer shall be sent to all the Public Shareholders at their registered address.

MANAGER TO THE DELISTING OFFER

KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited
(Formerly Keynote Corporate Services Limited)
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West) Mumbai - 400 028; **Tel.:** +91 22 6826 6000-3
E-mail: mbd@keynoteindia.net; **Website:** www.keynoteindia.net
Contact Person : Ms. Pooja Sanghvi / Mr. Akhil Mohod
SEBI Registration No.: INM 000003606

For and on behalf of the Board of Directors of Perpetual Global Technologies Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Dr. Vivek Tandon	**Vikram Kundlik Nagargoje**	**AAA Global Services Ltd**
Director	Director	Corporate Secretary
(United Kingdom)	(United Kingdom)	(Mauritius)

Date: March 02, 2020

www.readwhere.com

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रक के नीचे दबने से पांच की मौत

पुणे, 2 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात पांच लोगों पर ट्रक पलट जाने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

दुर्घटना खोपोली थानांतर्गत अंडा पॉइंट मोड़ पर हुई। खोपोली पुलिस के अनुसार पुणे जिले के नजदीक तलेगांव दाभाडे के छह लोग तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रायगढ़ जिले के अलीबाग से लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार रात करीब 11 बजे सभी यहां से 85 किलोमीटर दूर एक्सप्रेस-वे पर अंडा पॉइंट मोड़ के निकट सड़क किनारे रुक गए। उनमें से एक व्यक्ति पास ही में झाड़ियों में शौच के लिए चला गया।

इसी दौरान आटे के बोरों से भरा ट्रक उस मोड़ से मुड़ रहा था। खोपोली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, 'ट्रक मोड़ते समय चालक संतुलन खो बैठा जिससे ट्रक पलट गया और वहां खड़े पांच लोग नीचे दब गए।'

जयपुर में गैस सिलेंडर फटने से मकान ढहा, दो की मौत

जयपुर, 2 मार्च (भाषा)।

जयपुर शहर में सोमवार की सुबह एक मंदिर परिसर में बने मकान में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान ढह गया। हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति झुलस गया।

थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि चौड़ा रास्ता इलाके में स्थित ताड़केश्वर मंदिर परिसर में बने एक मकान में सुबह सिलेंडर फट गया और मकान के मलबे में दबने से मंजू देवी (45) और अभिषेक (17) की मौत हो गई जबकि राजेश (45) झुलसने से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि हादसे में 50 फीसद तक झुलसने से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली हिंसा पर ईरान ने दी नसीहत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 मार्च।

ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने दिल्ली हिंसा की निंदा की है। सोमवार को उन्होंने ट्विटर पर बयान जारी किया, 'भारतीय मुसलमानों के खिलाफ संगठित हिंसा की ईरान निंदा करता है। भ

ारत और ईरान के संबंध सदियों से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हम भारतीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि सभी भारतीयों का कल्याण सुनिश्चित करें और बेलगाम हिंसा पर रोक लगाएं। शांतिपूर्ण वार्ता और कानून का राज ही रास्ता दिखाएगा।'

बलात्कार पीड़िता किशोरी ने दिया बच्ची को जन्म

जयपुर, 2 मार्च (भाषा)।

राजस्थान के नागौर जिले में पिछले वर्ष कथित बलात्कार का शिकार हुई एक किशोरी ने रविवार को एक बच्ची को जन्म दिया।

पुलिस ने रविवार को नागौर के एक अस्पताल में भर्ती पीड़िता के दर्ज बयान के आधार पर आरोपी रणजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामला चुरू जिले के एक थाने में दर्ज किया गया। पीड़िता के अनुसार यह कथित घटना वहीं की है। पुलिस जांच अधिकारी नरेंद्र शर्मा ने सोमवार को बताया कि किशोरी का विवाह एक व्यक्ति के साथ पिछले वर्ष नवंबर में हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ विवाह से लगभग दो माह पूर्व उसके घर में कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

पाकिस्तान में लादेन के डॉक्टर ने शुरू की भूख हड़ताल

इस्लामाबाद, 2 मार्च (एएफपी)।

पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का पता लगाने और उसे मारने में सीआइए की मदद करने वाले डॉक्टर ने जेल की कोठरी से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके वकील और परिवार ने सोमवार को यह जानकारी दी।

शकील अफरीदी कई वर्षों से जेल में बंद हैं जब से उनके फर्जी टीकाकरण कार्यक्रम ने 2011 में अलकायदा सरगना का पता लगाने और उसे मौत के घाट उतारने में अमेरिकी एजेटों की मदद की थी। पंजाब प्रांत की जेल में बंद अफरीदी से मुलाकात के बाद उनके भाई जमील अफरीदी ने कहा, 'यह उनके और उनके परिवार के खिलाफ किए गए अन्याय व अमानवीय व्यवहार का विरोध करने के लिए है।' उनके वकील कमर नदीम ने भी भूख हड़ताल की पुष्टि की। अफरीदी को मई 2012 में 33 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने आतंकवादियों के साथ संपर्क रखने के जुर्म में उन्हें सजा सुनाई थी। बाद में उनकी सजा 10 साल कम कर दी गई थी। कुछ अमेरिकी सांसदों ने इस मामले को अलकायदा सरगना की तलाश में की गई मदद का बदला बताया था। बिन लादेन की 2011 में हुई हत्या से पाकिस्तान की चौतरफा फजीहत हुई थी, खासकर उसकी ताकतवर सेना की। कई वर्षों तक अफरीदी को उनके वकील से नहीं मिलने दिया गया जबकि सजा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई में देरी पर देरी होती रही। उनके परिवार ने वर्षों तक अधिकारियों द्वारा निशाना बनाए जाने और परेशान किए जाने की भी शिकायत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वह पाकिस्तान को अफरीदी को रिहा करने का आदेश देंगे लेकिन पदभार संभालने के बाद वह इस मुद्दे पर चुप ही रहे।

'उत्तर कोरिया ने मिसाइल दागी'

सियोल, 2 मार्च (एपी)।

दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने कम दूरी वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।

इससे कुछ हफ्तों पहले प्योंगयांग ने 'नया सामरिक हथियार' दर्शाने की धमकी दी थी और कहा था कि प्रतिबंध से राहत देने के लिए अमेरिका को दी गई समय सीमा समाप्त हो गई। परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया का यह प्रक्षेपण तीन महीने से ज्यादा वक्त के बाद हो रहा है और यह ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के साथ बातचीत अब भी रुकी हुई है। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ (जेसीएस) ने बताया कि ये दो मिसाइलें पूर्वी तट पर वोनसन इलाके से समुद्र के ऊपर पूर्व की ओर दागी गईं और इन्होंने 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर 240 किलोमीटर की दूरी तय की। जेसीएस के एक अधिकारी ने कहा कि वे, 'कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मानी जा रही हैं।' राष्ट्रपति कार्यालय ब्लू हाउस ने कहा कि दक्षिण कोरिया के सुरक्षा मंत्रियों ने इस बात पर 'अत्यधिक चिंता' जताई है कि उत्तर कोरिया, 'सैन्य तनावों को बढ़ाने की कार्रवाई कर रहा है।' जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके जलक्षेत्र में या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में किसी भी वस्तु के गिरने या गुजरने का संकेत नहीं मिला है लेकिन कहा, 'उत्तर कोरिया द्वारा हाल में बार-बार बैलिस्टिक या अन्य मिसाइलों का प्रक्षेपण गंभीर मुद्दा है।'

इजराइल में 12 महीने में तीसरी बार मतदान

यरुशलम, 2 मार्च (एएफपी)।

सांसत से निकलने और राजनीतिक करियर को बचाने की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कोशिश के बीच राजनीतिक संकट से त्रस्त इजराइल में लोग 12 महीने में तीसरी बार मतदान करेंगे।

नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन चुनाव से मिल रहे संकेतों की मानें तो उनका समर्थक आधार कायम है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
United Bank of India
The Bank that begins with "U"

प्रमुख कार्यालय : 11, हेमांता बासु सरानी, कोलकाता – 700 001
दिल्ली क्षेत्र, पी–9/90 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

शुद्धिपत्र

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन दिनांक 16.02.2020 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है। कि खाता मैसर्स भगवती टेक्सटाइल्स, प्रोप. श्री राहुल कुमार बंसल, एम–144डी, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली के कॉलम नं. 4 में, 13 (2) के अनुसार बकाया राशि, जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है में त्रुटिवश रु. 26,06,604.24 लिखा गया था, के स्थान पर रु. 51,57,296.00 पढ़ा जाए।

प्राधिकृत अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

आइएनसी–26
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में
और
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (6)(ए) के विषय में।
और
मै. रोम्प फिटनेस केयर प्राईवेट लिमिटेड, (CIN: U51909DL2009PTC190548) जिसका पंजीकृत कार्यालय 932, तीसरा तल, गुरुद्वारा स्ट्रीट, मेन मार्केट, रानी बाग, दिल्ली–110034 के विषय में

..........आवेदक

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा **केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली से पश्चिम बंगाल राज्य** में अपना पंजीकृत कार्यालय हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु **22 फरवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसीएशन के परिवर्तन [illegible]

हिते एवं कृते आवेदक,
रोम्प फिटनेस केयर प्राईवेट लिमिटेड,
ह./– (स्वयम मैटी)
निदेशक,

दिनांक: 22.02.2020
स्थान: दिल्ली DIN: 08424585

आइएनसी–26
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में
और
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (6)(ए) के विषय में।
और
मै. नवग्रह रियलबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड, (CIN: U45200DL2009PTC197382) जिसका पंजीकृत कार्यालय डी–76, प्रथम तल, शकर पुर, नई दिल्ली–110092 के विषय में

..........आवेदक

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा **केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली से पश्चिम बंगाल राज्य** में अपना पंजीकृत कार्यालय हस्तांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु **22 फरवरी, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक** में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसीएशन के परिवर्तन [illegible]

हिते एवं कृते आवेदक,
नवग्रह रियलबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड,
ह./– (मनिन्द्र कुमार झा)
निदेशक,

दिनांक: 22.02.2020
स्थान: नई दिल्ली DIN: 06901190

आइएनसी–26
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में
और
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (6)(ए) के विषय में।
और
मै. आरबीए ट्रेवल एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड, (CIN: U63090DL2008PTC184018) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1/4455, गली नं. 8, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032 के विषय में

..........आवेदक

[illegible]

हिते एवं कृते आवेदक,
आरबीए ट्रेवल एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड,
ह./– (मनिन्द्र कुमार झा)
निदेशक,

दिनांक: 22.02.2020
स्थान: दिल्ली DIN: 06901190

आइएनसी–26
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में
और
कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (6)(ए) के विषय में।
और
मै. आरबीए मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड, (CIN: U51900DL2008PTC173967) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1/4455, गली नं. 8, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032 के विषय में

..........आवेदक

[illegible]

हिते एवं कृते आवेदक,
आरबीए मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड,
ह./– (मनिन्द्र कुमार झा)
निदेशक,

दिनांक: 22.02.2020
स्थान: दिल्ली DIN: 06901190

प्रपत्र–'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1	कार्पोरेट देनदार का नाम	श्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
2	[illegible]	06.01.2011
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	U70101DL2011PTC212252
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	03.03.2020
8	[illegible]	[illegible] 3chomes.cirp@gmail.com [illegible]
9	[illegible]	[illegible] 3chomes.cirp@gmail.com [illegible]
10	[illegible]	18.03.2020
11	[illegible]	28.03.2020
12	[illegible]	02.04.2020
13	[illegible]	12.04.2020
14	[illegible]	02.04.2020
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	02.05.2020
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	01.06.2020
19	[illegible]	गौरव कटियार पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409
20	[illegible]	गौरव कटियार [illegible] – 110065 ईमेल: cagauravkatiyar@gmail.com
21	[illegible]	[illegible] – 110065 ईमेल: 3chomes.cirp@gmail.com
22	[illegible]	गौरव कटियार [illegible] – 110065
23	[illegible]	03.03.2020

हस्ता/–
गौरव कटियार
[illegible]
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00209/2017-18/10409
[illegible] – 110065

तिथि: 03.03.2020
स्थान: नई दिल्ली

FIEM INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office : D-34, DSIDC Packaging Complex, Kirti Nagar, New Delhi-110015 (INDIA)
Tel.: +91-11-25927919 / 7820, **Fax**: +91-11-25927740, **E-mail** : investor@fiemindustries.com
Website : www.fiemindustries.com, **CIN : L36999DL1989PLC034928**

NOTICE OF RECORD DATE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 42 and 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, that the Company has fixed **Friday, 20th March, 2020** as the **'Record Date'** for the purpose of payment of Interim dividend on Equity Shares for the Financial Year 2019-20, if declared by the Board at their Meeting scheduled to be held on **Wednesday, 11th March, 2020**.

The Interim Dividend shall be payable to those shareholders whose name appear on the Register of members or records provided by the depositories at the close of business hours on **Friday, 20th March, 2020 (Record Date)**. The Interim Dividend, if declared by the Board, will be credited / dispatched to the shareholders on or before **31st March, 2020**.

In above connection, it is also informed that in terms of Company's 'Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons & their Immediate Relatives' ('Code'), the 'Trading Window' for dealing in securities of the Company will remain closed from **March 3, 2020 to March 13, 2020** (both days inclusive) for the Designated Persons and their Immediate Relatives as per Code.

Further information on Record Date etc. is also available on website of the Company at **www.fiemindustries.com** and also on the website of BSE Limited **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited **www.nseindia.com**

For **Fiem Industries Ltd.**
Sd/-
Arvind K. Chauhan
Company Secretary

Date: 02.03.2020
Place: Rai, Haryana

HINDUSTAN PAPER CORPORATION LIMITED – IN LIQUIDATION
CIN: U74899DL1970GOI005301
Registered Office: South Tower,4th Floor, Scope Minar Complex, Laxminagar, District Centre, New Delhi-110092

INVITATION FOR SUBMISSION OF A SCHEME OF COMPROMISE OR ARRANGEMENT UNDER SECTION 230 OF COMPANIES ACT 2013

NOTICE is hereby given for invitation of a scheme of Compromise or Arrangement under section 230 of the Companies Act 2013 for Hindustan Paper Corporation Limited (presently under liquidation) pursuant to order dated 18.02.2020 passed by Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi Bench-II.

INTERESTED parties can refer to the website www.hindpaper.in for eligibility criteria, scheme submission process document of Hindustan Paper Corporation Limited and other details. Last date for submission of final scheme shall be 04.04.2020 by 2 pm. In case of any queries please reach out to liquidation.hpcl@gmail.com/kuverma@gmail.com.

Sd/-
Kuldeep Verma
Liquidator of Hindustan Paper Corporation Limited
IBBI Regn No-IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038

Place: Kolkata
Date: 03.03.2020

Registered Address: 46 B.B Ganguly Street, 5th Floor, Unit No.-501, Kolkata-700012
Email: kuverma@gmail.com

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No. JDA/EE&-TA to Dir.Engg-I/2019-20/D-47 Dated: 28.02.2020

NOTICE INVITING BID
NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-I/19/2019-20

Bids are invited for works given below in various zones as per details given:-

S. No.	Zone	Name of Work	Cost of work (Lacs)	Last date bid invited online
1	Executive Engineer-9	Restoration and profile correction of important roads damaged due to laying of pipelines by PHED in Zone-9 area, JDA, Jaipur (Phase-I) **UBN: JDA1920WSOB00365**	256.00	23.03.2020 Up to 6.00 PM

Details may be seen in the Bidding Document at concerned Executive Engineer's office or the website of State Public Procurement Portal website **www.sppp.rajasthan.gov.in**, **www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in**

To participate in the bid, bidder has to be:
1. Registered on JDA website **www.jda.urban.rajasthan.gov.in** for participating in the Bid, the Bidder has to apply for the Bid and pay the Bidding Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit, online only.
2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan **www.eproc.rajasthan.gov.in** for online e-Bid submission.

Rajasthan Samwad/C/5736/2019-20 **Executive Engineer & TA to Dir.Engg-I**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे उल्लिखित के अनुसार कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सूचना निर्गत की।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर ब्याज और नीचे उल्लिखित तिथि से दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/रों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा करने की तिथि
9959310	श्री संजय सेठी (कर्जदार) एवं श्रीमती मधु सेठी (सह-कर्जदार)	27 मई, 2019 तक रु. 42,64,508/-	29 फर. 2020

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण : बेसमेंट स्थित दुकान सं. बीएम 1 एवं 2 माप 340 वर्ग फीट तथा दुकान नं. बीएम 18 एवं 19 माप 158 वर्ग फीट तथा एबीसी कॉम्पलेक्स के नाम से वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स के भूतल पर स्थित दुकान सं. जीएम 19, क्षेत्रफल 158 वर्ग फीट, कॉर्पोरेशन सं. 125/14, 6, क्विंटन रोड, वार्ड जगदीश चन्द्र बोस, लखनऊ, उ.प्र. 226001 पर स्थित, विक्रय विलेख में लिखित साझा सुविधाओं सहित।

तिथि : 03.03.2020 ह./- अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : लखनऊ, उ.प्र. कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: जसोला, जी-47 कालिन्दी कुंज रोड, नई दिल्ली-110025

कब्जा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम स. 2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जसोला, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **08/04/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्री रोहताश सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह, श्री नेत्र पाल भाटी पुत्र श्री रोहताश सिंह एवं श्री दीपक भाटी पुत्र श्री रोहताश सिंह,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.33,76,073/- (तैंतीस लाख छिहत्तर हजार एवं तिहत्तर रूपये मात्र)** उक्त सूचना के प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ-साथ आगे ब्याज एवं लागत के साथ आपको दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के सम्बन्ध में। उक्त सूचना में उल्लिखित राशि के बदले भविष्य में ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ कुल बकाया राशि में से आपने **रु.4,45,500/- (चार लाख पैंतालिस हजार पाँच सौ रूपये)** का भुगतान किया है। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 26.02.2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.33,76,073/- (तैंतीस लाख छिहत्तर हजार एवं तिहत्तर रूपये मात्र) और उस पर ब्याज,** खर्चे एवं अन्य शुल्क के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जसोला, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति क्षेत्र 200 वर्ग गज, प्लॉट न 128-129 खसरा न 1604-1606 एवं 1608-1665 मौजा फरीदाबाद, तहसील फरीदाबाद एवं जिला-फरीदाबाद में स्थित साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से **जो निम्नानुसार घिरा है:**

उत्तरः रास्ता दक्षिणः रास्ता
पूर्वः अन्य की सम्पत्ति पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति

स्थानः फरीदाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 26.02.2020 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

SOMANY CERAMICS LIMITED
CIN: L40200WB1968PLC224116
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001
Phone No-: 033 22487406/5913
Website: www.somanyceramics.com **Email:** ambrish.julka@somanyceramics.com

NOTICE

Notice is hereby given that 21st March, 2020 has been fixed as the Record date for the purpose of determining the members of the company eligible to receive the Interim Dividend on equity shares of Rs.2/- each for the financial year 2019-20 as may be declared by the Board of Directors at their meeting scheduled to be held on 13th March, 2020.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company, at www.somanyceramics.com and also on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited–www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited – www.nseindia.com.

For Somany Ceramics Limited
Sd/-
Ambrish Julka
GM (Legal) and Company Secretary

Place: Noida
Date: 02nd March, 2020

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के प्रवर्तन के तहत

सेवा में,

1. **श्रीमती मीरा गौतम**
पत्नी अनिल गौतम
मकान/फ्लैट सं. 203, दूसरी मंजिल, सूर्या अपार्टमेंट, लायर्स कॉलोनी, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005
2. **मैसर्स गौतम स्टाइलिश स्कार्फ**
इसके प्रोपराइटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से
8ए/आरएन/65, गणेश नगर, लॉयर्स कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005
3. **श्री अनिल कुमार गौतम**
पुत्र स्व. श्री राम भरोसे गौतम
मकान/फ्लैट सं. 203, दूसरी मंजिल, सूर्या अपार्टमेंट, लायर्स कॉलोनी, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005
4. **श्री प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पवन कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह चाहर**
38बी/43, सेवलासराय, ग्वालियर रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005, साथ ही : मकान/फ्लैट सं. 203, दूसरी मंजिल, सूर्या अपार्टमेंट, लायर्स कॉलोनी, दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005

सम्पत्ति का पता :
1. फ्लैट सं. 203, दूसरी मंजिल, मौजा नगला पाड़ी हरी पर्वत वार्ड आगरा, उत्तर प्रदेश–282005
2. प्लॉट, खसरा सं. 259, मौजा नगला पाड़ी, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005

प्रिय श्रीमान/महाशया,

11.04.2017 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत भावी ब्याज सहित **28 फरवरी, 2020** तक ऋण खाता सं. **7177233** में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात "टीसीएफएसएल" सन्दर्भित) का रु. 10401204.36/– (रुपये एक करोड़ चार लाख एक हजार दो सौ चार एवं छत्तीस पैसे मात्र) बकाया है। हमारे बार–बार निवेदन के बावजूद अपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे आरबीआई के दिशा–निर्देश के अनुसार टीसीएफएसएल के बकायों में चूक के चलते **8 दिसम्बर, 2018** को एनपीए खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23(2) के तहत आपको भावी ब्याज सहित रु. 10401204.36/– (रुपये एक करोड़ चार लाख एक हजार दो सौ चार एवं छत्तीस पैसे मात्र) के कथित ऋण का भुगतान करने को कहते हुए 28 फरवरी, 2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत वर्णित समस्त या किन्हीं अधिकारों का उपयोग नीचे वर्णित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्ति सं. 1 :
मौजा नगला पाड़ी, हरीपर्वत वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश–282005 पर स्थित फ्लैट सं. 203, दूसरी मंजिल, माप क्षेत्रफल 61 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख 28.12.2004 के अनुसार। मीरा गौतम के पक्ष में।

सीमाएँ :
पूर्व : खुला आसमान, उत्तर : फ्लैट सं. 204
पश्चिम : लॉबी तथा लिफ्ट दक्षिण : खुला आसमान

सम्पत्ति सं. 2 :
नगला पाड़ी, तहसील एवं जिला आगरा–282005 पर स्थित भूमि का प्लॉट मिनजुमला खसरा नं. 259, माप क्षेत्रफल 250.83 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख दिनांक 26.03.2004 में अधिक वर्णित, अनिल गौतम एवं श्री प्रवीण कृष्ण सिंह एवं पवन के के पक्ष में

सीमाएं :
पूर्व : अन्य की सम्पत्ति पश्चिम : श्री रामनाथ की सम्पत्ति
उत्तर : अन्य का प्लॉट दक्षिण : प्लॉट का निकास तथा 30 फीट चौड़ा रास्ता

चूँकि आप लाभ हेतु जिस मूल पते पर निवास/व्यापारिक कार्य/व्यक्तिगत कार्य करते हैं उस 28 फरवरी, 2020 को भेजी गयी सूचना सर्व नहीं, अतः हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा आपको उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त देयताएँ अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीएसएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा। आप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी विधि से अन्तरित नहीं कर सकेंगे।

स्थान : नई दिल्ली **भवदीय**
तिथि : 03.03.2020 **कृते टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी**

बिक्री सूचना
श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड (परिसमापन में)
पंजी. कार्यालयः 632/7, 2रा तल, खारी बावली, नई दिल्ली–110006 आईएन
परिसमापकः निशांत गौरव गुप्ता
परिसमापक का पताः सिद्धांत एडवोकेट्स, फ्लैट नं. 542, 1ला तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर–22, पॉकेट 1, द्वारका, नई दिल्ली–110077
मोबाईल नं. + 91 – 9555737707 (श्री ओम प्रकाश शर्मा)
ई–नीलामी
दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
ई–नीलामी की तिथि एवं समयः 18 मार्च, 2020 को 1.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड (परिसमापन में) जो आदेश तिथि 12 सितम्बर, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा का भाग है, के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी कम्पनी लिंक स्टार इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्लेटफार्म: https://www.eauctions.co.in पर की जायेगी।

परिसम्पत्तियां	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
वहां स्थित बिल्डिंग तथा एक टैंकर ट्रक पंजीकरण सं. HR55T6549 के साथ 1 कि.ग्रा. इन्कोण्डा रोड, ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला अमरोहा में स्थित श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के संयंत्र परिसर के भीतर पड़ी सम्पूर्ण प्लांट एवं मशीनरीज (दोनों स्थापित एवं चल)	ब्लॉक–1	रु. 27.78 करोड़	रु. 27,78,000/–

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई–नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा. लि. द्वारा "जो कुछ भी वहां है" "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर आयोजित होगी।
2. [illegible] https://www.eauctions.co.in [illegible] admin@eauctions.co.in [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible] 12.03.2020 [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible]
14. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों में प्रावधानों के अधीन होगी।

निशांत गौरव गुप्ता (परिसमापक)
श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के मामले में
पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00572/2017-18/11739
पंजीकृत ईमेलः nishantgaurav@outlook.in
पताः "सिद्धान्त एडवोकेट्स" फ्लैट नं. 542, 1ला तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स सेक्टर–22, पॉकेट 1, द्वारका, नई दिल्ली–110077
प्रोसेस, विशेष ईमेलः liquidator@outlook.in

तिथि: 2.3.2020
स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com

विराट सेना ने गंवाई 0–2 से टैस्ट शृंखला

क्राइस्टचर्च, 2 मार्च (भाषा)।

सितारों से सजी 'विराट सेना' (भारतीय टीम) एक बार फिर कागजी शेर साबित हुई जिसे न्यूजीलैंड की अनुशासित टीम ने दूसरे और अंतिम टैस्ट में तीन दिन के भीतर सोमवार को यहां सात विकेट से हराकर शृंखला में 2–0 से क्लीनस्वीप किया। भारत के 132 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 36 ओवर में तीन विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की।

इससे पहले भारतीय टीम सोमवार सुबह छह विकेट पर 90 रन से आगे खेलने उतरी और सुबह एक घंटे के अंदर ही उसकी दूसरी पारी 124 रन पर सिमट गई। बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद शमी को गेंद से चोट लगी और वह गेंदबाजी करने नहीं उतरे जिससे न्यूजीलैंड की राह आसान हो गई। सलामी बल्लेबाजों टाम ब्लंडेल (113 गेंद में 55 रन) और टाम लैथम (74 गेंद में 52 रन) ने पहले विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी करके आसान जीत की नींव रखी। इस शृंखला को जीतकर न्यूजीलैंड ने आइसीसी विश्व टैस्ट चैंपियनशिप में 120 अंक हासिल किए और उसके कुल 180 अंक हो गए हैं। भारत हालांकि वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को हराकर 360 अंक के साथ शीर्ष पर चल रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड दौरे पर टी–20 शृंखला 5–0 से जीती थी लेकिन इसके बाद विराट कोहली की टीम को एकदिवसीय शृंखला में 0–3 और टैस्ट शृंखला में 0–2 से क्लीनस्वीप का सामना करना पड़ा। भारत के इस प्रदर्शन से एक बार फिर साबित हो गया कि कागजों पर उसका रेकार्ड भले ही कितना अच्छा हो लेकिन जब गेंद स्विंग और सीम करती है तो उसके बल्लेबाज धराशायी हो जाते हैं। इंग्लैंड में 2014 और 2018 तथा अब न्यूजीलैंड में टीम को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। शृंखला के हार के अंतर से अधिक समस्या यह है कि भारतीय बल्लेबाजों ने बिना संघर्ष किए घुटने टेक दिए। दो मैचों की शृंखला की चार पारियों में भारत की ओर से सिर्फ चार अर्धशतक लगे और इस दौरान सीम और स्विंग लेती गेंद के खिलाफ अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, कोहली, चेतेश्वर पुजारा और पृथ्वी साव सहित लगभग सभी खिलाड़ियों की तकनीक पर सवाल उठे। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका कप्तान कोहली का प्रदर्शन रहा जो चार पारियों में सिर्फ 38 रन बना सके। सोमवार को भारत का निचला क्रम एक बार फिर नाकाम रहा और टीम ने 34 रन जोड़कर बाकी चार विकेट भी गंवा दिए। रिद्धिमान साहा पर तरजीह देकर ऋषभ पंत को मौका दिया गया लेकिन उन्होंने एक बार फिर निराश किया।

स्कोर बोर्ड : भारत बनाम न्यूजीलैंड

भारत दूसरी पारी : पृथ्वी साव का लैथम बो साउथी 14, मयंक अग्रवाल पगबाधा बो बोल्ट 03, चेतेश्वर पुजारा बो बोल्ट 24, विराट कोहली पगबाधा बो ग्रैंडहोम 14, अजिंक्य रहाणे बो वैगनर 09, उमेश यादव बो बोल्ट 01, हनुमा विहारी का वाटलिंग बो साउथी 09, ऋषभ पंत का वाटलिंग बो बोल्ट 04, रविंद्र जडेजा नाबाद 16, मोहम्मद शमी का ब्लंडेल बो साउथी 05, जसप्रीत बुमराह रन आउट 04, अतिरिक्त : 21, कुल : 46 ओवर में सभी विकेट खोकर : 124, विकेट पतन : 1–8, 2–26, 3–51, 4–72, 5–84, 6–89, 7–97, 8–97, 9–108, गेंदबाजी : साउथी 11–2–36–3, बोल्ट 14–4–28–4, जेमीसन 8–4–18–0, ग्रैंडहोम 5–3–3–1, वैगनर 8–1–18–1

न्यूजीलैंड दूसरी पारी : टाम लैथम का पंत बो उमेश 52, टाम ब्लंडेज बो बुमराह 55, केन विलियमसन का रहाणे बो बुमराह 05, रोस टेलर नाबाद 05, हेनरी निकोल्स नाबाद 05, अतिरिक्त : 10, कुल : 36 ओवर में तीन विकेट पर : 132 रन, विकेट पतन : 1–103, 2–112, 3–121, गेंदबाजी : बुमराह 13–2–39–2, उमेश 14–3–45–1, शमी 3–1–11–0, जडेजा 5–0–24–0, कोहली 1–0–4–0

हमें पूरी तरह पछाड़ दिया : कोहली

निराश भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोमवार को स्वीकार किया कि दो टैस्ट की शृंखला में न्यूजीलैंड ने उनकी टीम को 'पूरी तरह से पछाड़ दिया' और वे इस सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते कि प्रतिकूल हालात में 'पर्याप्त साहस नहीं दिखा सके'। दो टैस्ट की शृंखला के दौरान भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से नाकाम रहा और कप्तान कोहली ने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण समय की कमी के बावजूद टीम प्रबंधन को इसका हल ढूंढना होगा। कोहली ने यहां हार के बाद कहा, बेशक इस शृंखला में हम जिस तरह खेले उसे लेकर काफी निराश हैं। मेरा मानना है कि इस शृंखला में हमें पूरी तरह से पछाड़ दिया गया। उन्होंने कहा, बेशक हम टीम के रूप में वैसा क्रिकेट नहीं खेल पाए जैसा खेलते हैं। यहां से हम यह सबक लेंगे कि जो चीजें गलत हुई हैं उनसे भागना नहीं है और इसकी जगह उनका हल निकालना है और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना।

खबर कोना

चेन्नई में सोमवार को पहले अभ्यास सत्र के दौरान चिदंबरम स्टेडियम में दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते चेन्नई सुपरकिंग्स के महेंद्र सिंह धोनी।

चेन्नई के पहले अभ्यास सत्र में धोनी का शानदार स्वागत

चेन्नई, 2 मार्च (भाषा)।

महेंद्र सिंह धोनी का सोमवार को चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से पहले अभ्यास सत्र के दौरान एमए चिदंबरम स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। धोनी अपने करिअर को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच अभ्यास के लिए पहुंचे। पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस पूर्व भारतीय कप्तान ने तब से कोई मैच नहीं खेला है लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में वह वापसी करेंगे। धोनी जब स्टेडियम में पहुंचे तो 'धोनी, धोनी' के नारे गूंजने लगे। उन्होंने कुछ जोरदार शॉट लगाकर अपने प्रशंसकों को प्रसन्न किया। चेन्नई के खिलाड़ियों का अभ्यास देखने के लिए यहां कुछ सौ दर्शक उपस्थित थे। चेन्नई के जिन खिलाड़ियों ने सोमवार को अभ्यास में भाग लिया उनमें अंबाती रायुडु, मुरली विजय, पीयूष चावला, कर्ण शर्मा, आर साई किशोर और एन जगदीशन शामिल थे। आइपीएल का उद्घाटन मैच 29 मार्च को चेन्नई और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई में खेला जाएगा।

तस्नीम, मानसी ने डच जूनियर टूर्नामेंट में जीता कांस्य

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने योनेक्स डच जूनियर अंतरराष्ट्रीय 2020 प्रतियोगिता के लड़कियों के एकल वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय बैडमिंटन संघ की विज्ञप्ति के मुताबिक यह पहली बार है जब इस बीडब्लूएफ जूनियर अंतरराष्ट्रीय ग्रां प्री टूर्नामेंट में भारत ने दो कांस्य पदक हासिल किए। नीदरलैंड के हार्लेम में खेली गई प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में 11वीं वरीयता प्राप्त तस्नीम को तीसरी वरीयता प्राप्त कोरिया की सो यूल ली ने 36 मिनट तक चले मुकाबले में 21–19, 21–10 से हराया। एक अन्य सेमी फाइनल में मानसी को इंडोनेशिया की सैफी रिजका ने 21–11, 21–16 से शिकस्त दी। इस बीच कीनिया अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में लड़कियों के एकल में आकर्षी कश्यप और अनुपमा उपाध्याय ने क्रम से स्वर्ण और रजत पदक हासिल किया। कीनिया के थिका में खेली गयी प्रतियोगिता में छठी वरीयता प्राप्त कश्यप ने हरियाणा की खिलाड़ी को 21–15, 21–6 से हराया।

मुक्केबाज सांगवान से डोपिंग प्रतिबंध हटा

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

पूर्व एशियाई रजत पदक विजेता मुक्केबाज सुमित सांगवान ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) की सुनवाई में यह साबित कर दिया कि उन्होंने अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था जिसके बाद उन पर लगा एक साल का डोपिंग प्रतिबंध सोमवार को हटा दिया गया। भारतीय मुक्केबाजी संघ के एक अधिकारी ने एजंसी ने कहा, सुमित को मामले में क्लीनचिट मिल गई है और उन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। उन्होंने नाडा पैनल को आश्वस्त किया कि उनके नमूने जो प्रतिबंधित पदार्थ मिला था उन्होंने अनजाने में उसका सेवन किया था। सांगवान को दिसंबर 2019 में विश्व डोपिंग रोधी एजंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया था। सांगवान ने कहा, मैं राहत महसूस कर रहा हूं। मेरे कंधे से बड़ा बोझ हट गया।

बंगाल के बड़े लक्ष्य के सामने कर्नाटक का शीर्ष क्रम लड़खड़ाया

रणजी ट्रॉफी

कोलकाता, 2 मार्च (भाषा)।

बंगाल के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक ने रणजी ट्रॉफी सेमी फाइनल के तीसरे दिन सोमवार को यहां शीर्ष क्रम के अपने तीन महत्त्वपूर्ण विकेट जल्दी गंवा दिए।

बंगाल ने अपनी दूसरी पारी में 161 रन बनाए लेकिन पहली पारी की बड़ी बढ़त के दम पर उसने कर्नाटक के सामने 352 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा। कर्नाटक ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 98 रन बनाए हैं और वह लक्ष्य से अब भी 254 रन पीछे है। केएल राहुल (शून्य) को ईशान पोरेल ने पारी की दूसरी गेंद पर ही पगबाधा आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल (नाबाद 50) और आर समर्थ (27) ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़े।

लेकिन इसके बाद 19 रन के अंदर समर्थ और कप्तान करुण नायर (छह) पवेलियन लौट गए। समर्थ को आकाशदीप ने जबकि नायर को मुकेश कुमार ने पगबाधा आउट किया। अनुभवी मनीष पांडे (नाबाद 11) ने इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक कर्नाटक को आगे कोई झटका नहीं लगने दिया। पडिक्कल ने अपनी अर्धशतकीय पारी में अब तक 109 गेंदों का सामना करके छह चौके लगाए हैं।

इससे पहले सुबह बंगाल ने अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 72 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसकी पारी लंबी नहीं खिंच पाई।

सुदीप चटर्जी (45) अपने कल के स्कोर में केवल पांच रन जोड़ पाए। अन्य बल्लेबाजों में अनुस्तुप मजूमदार (41) और शाहबाज अहमद (31) ही कुछ योगदान दे पाए। कर्नाटक के लिए अभिमन्यु मिथुन ने 23 रन देकर चार विकेट लिए। के गौतम ने तीन और रोनित मोरे ने दो विकेट हासिल किए। बंगाल ने अपनी पहली पारी में 312 रन बनाकर कर्नाटक को 122 रन पर आउट कर दिया था।

कोरोना वायरस के कारण अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट स्थगित

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सोमवार को अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के 29वें सत्र को अप्रैल की जगह सितंबर में आयोजित कराने का फैसला किया गया।

आयोजकों की ओर से जारी बयान के अनुसार अजलान शाह कप का आयोजन मलेशिया के इपोह में 11 से 18 अप्रैल तक होना था लेकिन अब यह टूर्नामेंट 24 सितंबर से तीन अक्तूबर तक होगा। इसमें नियमित तौर पर खेलने वाले भारत के इस साल इस टूर्नामेंट में भाग लेने का कार्यक्रम नहीं है।

आयोजन समिति के अध्यक्ष डेतो हाजी अब्द रहीम बिन मोहम्मद ने बयान में कहा, यह खिलाड़ियों, अधिकारियों और सभी पक्षों के सर्वश्रेष्ठ हित में है कि सुल्तान अजलान शहा कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2020 को स्थगित कर दिया जाए। आयोजन समिति इसके कारण होने वाली असुविधा के लिए माफी मांगी है लेकिन कहा है कि दुनिया भर में मौजूदा संकट को देखते हुए यह फैसला किया गया है।

बयान के अनुसार, एफआइएच (अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ), एएचएफ (एशियाई हॉकी महासंघ), एमएचसी (मलेशिया हॉकी महासंघ) और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। घातक कोरोना वायरस के कारण इससे पहले भी कई खेल प्रतियोगिताएं रद्द, स्थगित या स्थानांतिरत हो चुकी हैं।

एशियाई 20 किलोमीटर पैदल चाल चैंपियनशिप रद्द

जापान में 15 मार्च को प्रस्तावित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप को दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए रद्द कर दिया गया। इस स्पर्धा में 13 भारतीय खिलाड़ियों को भाग लेना था। तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली भावना जाट को नोमि शहर में होने वाली इस स्पर्धा में भारतीय चुनौती की अगुआई करनी थी। एशियाई एथलेटिक्स महासंघ (एएए) ने जापान के महासंघ के निवेदन पर इसे रद्द करने का फैसला किया। एएए के अध्यक्ष दहलान अल हमद ने कहा, एएए परिषद से विचार विमर्श और अनुमोदन के बाद मैं पुष्टि करता हूं कि एशियाई 20 किमी पैदल चाल चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। घातक कोरोना वायरस के कारण इससे पहले भी कई खेल प्रतियोगिताएं रद्द, स्थगित या स्थानांतिरत हो चुकी हैं।

न्यूजीलैंड को हराकर आस्ट्रेलिया महिला टी–20 विश्व कप के सेमी फाइनल में

मेलबर्न, 2 मार्च (भाषा)।

मौजूदा चैंपियन आस्ट्रेलिया ने महिला टी–20 विश्व कप के अपने करो या मरो मैच में सोमवार को यहां न्यूजीलैंड को चार रन से हराकर सेमी फाइनल में जगह पक्की की।

ग्रुप ए के इस रोमांचक मुकाबले में आस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेथ मूने की 60 रन की पारी के दम पर पांच विकेट पर 155 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 151 रन पर रोक दिया।

इस ग्रुप से भारत ने पहले की सेमी फाइनल के लिए जगह पक्की कर ली है जबकि ग्रुप बी से दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने अंतिम चार का टिकट कटाया है। लेग स्पिनर जार्जिया वेयरहम ने चार ओवर में महज 17 रन देकर तीन विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया।

कैटी मार्टिन ने हालांकि 18 गेंद में चार चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 37 रन की पारी खेल न्यूजीलैंड की उम्मीदों को अंत तक जीवंत रखा लेकिन उनका प्रयास टीम के लिए नाकाफी साबित हुआ। इससे पहले मूनी ने 50 गेंद की पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए। उन्हें कप्तान मेग लेंनिग (21), एशलिघ गार्डेनर (20), एलिसे पैरी(21) का अच्छा साथ मिला।

लिंडे दक्षिण अफ्रीका टीम में नया चेहरा, डु प्लेसिस की वापसी

जोहानिसबर्ग, 2 मार्च (भाषा)।

बाएं हाथ के स्पिनर जार्ज लिंडे धर्मशाला में 12 मार्च से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में एकमात्र नया चेहरा होंगे जबकि पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस की टीम में वापसी हुई है। लिंडे ने पिछले साल भारत दौरे के दौरान टैस्ट पदार्पण किया था।

पंद्रह सदस्यीय टीम में डु प्लेसिस और रेसी वान डेर डुसेन दोनों की वापसी हुई है जिन्हें पिछली शृंखला में आराम दिया गया था। टीम में काइल वेरीने को भी बरकरार रखा गया है। केशव महाराज और लुथो सिपामला को भी टीम में बरकरार रखा गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने बयान में कहा कि स्पिनर तबरेज शम्सी चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार है।

हार पर रार पूर्व दिग्गजों ने हार के बाद टीम पर उठाए सवाल

भारत में अनुशासन की कमी, प्रतिस्पर्धा भी नहीं दिखा पाए

नई दिल्ली, 2 मार्च (भाषा)।

बिशन सिंह बेदी, वीवीएस लक्ष्मण और संजय मांजरेकर सहित पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने सोमवार को न्यूजीलैंड में टैस्ट शृंखला में भारत की 0–2 की हार के बाद विराट कोहली की अगुआई वाली टीम की रणनीति पर सवाल उठाए।

भारत को क्राइस्टचर्च में दूसरे टैस्ट में तीन दिन के भीतर सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा जबकि वेलिंगटन में टीम ने पहला टैस्ट 10 विकेट से गंवाया था। बेदी ने ट्वीट किया, क्या कोई बता सकता है कि न्यूजीलैंड ने दुनिया की नंबर एक टीम पर पूरी तरह से दबदबा कैसे बनाया? मैं सही कारण नहीं समझ पा रहा हूं। क्या किसी व्यक्ति को अपमानित किए बगैर कोई मेरी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, इस बीच, धैर्य रखने, शांत चित्त रहने और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए न्यूजीलैंड की सराहना कीजिए। लक्ष्मण का मानना है कि शृंखला के दौरान भारतीय टीम अनुशासित नहीं थी। उन्होंने ट्वीट किया, भारत को हराने और टैस्ट शृंखला आसानी से जीतने के लिए न्यूजीलैंड को बधाई। भारत जरूरी अनुशासन नहीं दिखा पाया और यह बेहद निराशाजनक है। ट्विटर पर सवाल–जवाब के दौरान पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने राष्ट्रीय टीम को सलाह दी। मांजरेकर ने कहा, पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करने का जरूरत से अधिक प्रयास कर रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ यह है कि सामान्य योजना अपनाइए जो आपने शीर्ष क्रम के खिलाफ अपनाई। अब पुछल्ले बल्लेबाजों को पहले बाउंसर और फिर यार्कर फेंककर आउट करना आसान नहीं है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि 2018 के इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका दौरों के विपरीत इस शृंखला में कोहली की टीम प्रतिस्पर्धा भी पेश नहीं कर पाई। चोपड़ा ने कहा, कोहली के नेतृत्व में भारत ने विदेशी सरजमीं पर अधिकतर टैस्ट मैच में अच्छी प्रतिस्पर्धा पेश की है लेकिन यह शृंखला अलग थी। भारत ने सिर्फ हिस्सा लिया।

बिशन सिंह बेदी क्या कोई बता सकता है कि न्यूजीलैंड ने दुनिया की नंबर एक टीम पर पूरी तरह से दबदबा कैसे बनाया?

वीवीएस लक्ष्मण भारत जरूरी अनुशासन नहीं दिखा पाया और यह बेहद निराशाजनक है। न्यूजीलैंड को बधाई।

संजय मांजरेकर सर्वश्रेष्ठ सामान्य योजना अपनाइए जो आपने शीर्ष क्रम के खिलाफ अपनाई।

जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लि.

कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालयः जीआईसीएचएफएल, नेशनल इंस्युरन्स बिल्डिंग, 6ठा तल, जे.टी. रोड, एस्टोरिया होटल के बगल में, चर्चगेट, मुम्बई, 400020, टेली.: (022) 43041900 ईमेलः corporate@gichf.com, वेबसाईटः www.gichfindia.com
देहरादून शाखा कार्यालय का पताः 242/202, इन्द्रलोक प्लाजा, बल्लुपुर रोड, रामदा होटल के निकट,
फोनः 0135-2531187, 0135-2530703, ईमेलः dehradun@gichfindia.com, वेबसाईटः www.gichfindia.com

सांकेतिक कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप–नियम (1) के अंतर्गत

जैसा कि जीआईसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे दी गई संबंधित तिथियों को जारी की गई मांग सूचना के अनुसार आप/ऋणधारकों (नीचे नामित) को संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया देयताओं के भुगतान का निर्देश दिया था। निर्धारित समय के भीतर आप सभी उक्त बकाया देयताओं का भुगतान करने में विफल रहे, अतएव, सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा नियमावली के साथ पठित धारा 13 की उप धारा (4) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीआईसीएचएफएल ने नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा कर लिया है:

क्रम सं.	ऋण खाता सं./ ऋणधारक एवं सह–ऋणधारक का नाम	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का पता	मांग सूचना तिथि	मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि	सांकेतिक कब्जा की तिथि
1.	UA0570600000022 आवेदकः श्री जीतेन्दर सिंह रावत सह–आवेदकः श्रीमती वीणा रावत	मौजा अजबपुर कलॉन (दून घाटी सहकारी आवास समिति लि.) जिला देहरादून, उत्तराखंड में मकान नं. 35, खसरा नं. 1235, एरिया 204.55 वर्ग मी., कवरेज एरिया 134.2 वर्ग मी.	08.02.2019	24,37,901/–	02.03.2020
2	UA0570600000065 आवेदकः श्री मोहम्मद जरार सह–आवेदकः श्रीमती खुशबू नाज	मौजा चिन्दोवाली, परगणा परवादून, जिला देहरादून, उत्तराखंड में स्थित सुपर बिल्ट अप एरिया 188.36 वर्ग मी. पर मकान, खाता नं. 215 (फसली 1416 से 1421), खसरा नं. 102, एरिया माप 24.15 वर्ग मी एवं खसरा नं. 103, एरिया माप 113.67 वर्ग मी.	17.09.2018	42,06,793/–	02.03.2020
3	UA0570600000020 आवेदकः श्री अनिल बंसल सह–आवेदकः श्रीमती नीलम बंसल	फ्लैट नं. 1 ला तल (बिना छत के अधिकार के), एरिया 86.16 वर्ग मी., खसरा नं. 1258 (फासिल–1416 से 1421), खसरा नं. 861 के ए, मौजा–निरंजनपुर, परगणा केन्द्रियदून, जिला देहरादून–248001, उत्तराखंड	18.07.2019	10,22,104/–	02.03.2020
4	UA0570600000208 आवेदक : श्री संजय कुमार सह–आवेदकः श्रीमती अंजू	मौजा पोन्धा, परगणा पछवादून, जिला देहरादून, उत्तराखंड में भूमि खाता नं. 81, खसरा नं. 336 का मिन (फासिल 1416 से 1421) एरिया 1792.40 वर्ग फीट अथवा 199.15 वर्ग गज अथवा 166.58 वर्ग मी. पर मकान	08.02.2019	24,58,464/–	02.03.2020
5	UA0570600000156 आवेदकः श्री छायन कुमार वर्मा	भूमि का प्लॉट, 112.96 वर्ग मी. का प्लॉट, खसरा खतौनी नं. 04, खसरा नं. 433 गा में (फासिल–1414 से 1419), मौजा ब्राहमणवाला, परगणा–पछवादून, जिला देहरादून–248001, उत्तराखंड	18.07.2019	8,13,377/–	02.03.2020

आगे इस सूचना के क्रम में एतद्द्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर जीआईसीएचएफएल को संबंधित सम्पत्तियां का खाली तथा शांति पूर्ण कब्जा सौंप दें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी सरफैसी अधिनियम 2002 तथा उसके नियमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार बलपूर्वक उपरोक्त सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा करने के लिये बाध्य होंगे तथा इन सम्पत्तियों का निपटारा करेंगे।
एतद्द्वारा ऋणधारकों तथा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि उपरोक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के किसी भाग का व्यवसाय न करें तथा परिसम्पत्तियों/ प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के समक्ष वर्णित राशि के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक देय आगे के ब्याज के लिये जीआईसीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8)के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
"यह सूचना पेस्ट भी की गई है"

जीआईसी हाउसिंग फाइनांस लि. के लिये
हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी

तिथिः 03.03.2020
स्थानः देहरादून

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.–21047/03–05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 107, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए–8, सेक्टर 7, नोएडा– 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com